राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का १७ वां दिवस [संख्या १२

शुक्रवार, १० मई, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्हपूर्व ११-७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

२५०) रुपये से कम वेतन-भोगियों को होम डिस्ट्रिक्ट में रखने सम्बन्धी

९५. **श्री लक्ष्मण हीरात** (वि० सं० ८६): क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है, कि सन् १९५४ में राज्य सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो कर्मचारी २५०) रुपये से कम वेतन पाते हैं उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर न भेजा जाय।

(२) यदि हां, तो अब तक उस नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) इस विषय में आदेश मार्च सन् १९५५ में जारी किये जा चुके हैं कि साधारणतया जिस कर्मचारी का वेतन २५०) रु० मासिक से कम हो उसको अपने जिले से बाहर स्थानान्तर न किया जावे।

(२) इस आदेश का पालन किया तो जा रहा है किन्तु कभी कभी प्रशासकीय कारणों से किसी को अपने जिले से बाहर स्थानान्तर करना ही पड़ता है।

श्रीमती सतवत कौर: माननीय मन्त्री जी, क्या यह सच है कि विनय नगर जिले के कुछ कर्मचारी बीकानेर डिवीजन से बाहर भेजे गए हैं और वह भी खास करके सिक्ख ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने निवेदन किया है कि प्रशासकीय कारणों से कुछ को बाहर भेजा जाता है।

जयपुर शहर के बढ़ते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था

९६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (वि० सं. ५९): क्या गृह मन्त्री जी निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक को सुव्यवस्थित ढंग पर लाने एवं उस पर कन्ट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये ?

(ख) घाट दरवाजा बाजार नाज की मंडी के पास तथा इसी प्रकार के शहर के अन्य

Page No.2

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

स्थानों पर ट्रैफिक को कन्ट्रोल करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई ?

(ग) इससे ट्रैफिक पर कन्ट्रोल हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) यातायात पर काबू पाने के लिए एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन-साधारण में यातायात ज्ञान उत्पन्न करने के, यातायात विधि तथा नियमावलियों को दृढ़ता पूर्वक लागू करने एवं नगर में अधिक यातायात बिन्दु स्थापित करने के प्रयास किये गये हैं।

(ख) घाट दरवाजा अनाज मन्डी में गाड़ी इत्यादि के यातायात पर अधिकार करने के लिये और दुर्घटना रोकने के लिये लगातार यातायात पुलिस लगाई जा रही है और इसी प्रकार दूसरी मन्डियों में भी।

(ग) बहुत कुछ व्यवस्था सुधर चुकी है किन्तु पूर्ण रूप से नहीं। सरकार यातायात पुलिस की संख्या बढाने और फुटपाथ से दुकाने हटाने, रिक्शाओं के लाइसेन्स कम करने, मोटरों के खड़े होने के लिये अच्छा स्थान और पुलिस को कुछ ज्यादा अधिकार देने तथा यातायात पर अच्छी तरह अधिकार पाने के लिए कुछ विशेष अधिकार देने के प्रश्नों पर विचार कर रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या इस सम्बन्ध में किसी तरह के नियम आदि बनाये गये हैं ? अगर बनाये गए हैं तो वे क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक बिल बनाया गया है जो आने वाला है।

श्री बहादुर सिंह : क्या इस सम्बन्ध में जन-प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ ट्रैफिक वीक्स मनाये जाते हैं उससे जनता को शिक्षा मिलती है।

श्री अध्यक्ष : Shri ShriBhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह: Question No. 98.

श्री दयाकृष्ण विजय: What about 97, Sir.

श्री अध्यक्ष : 98 has been taken up. Education Minister.

श्री दयाकृष्ण विजय : On a point of order, Sir, what about 97.

श्री अध्यक्ष : इसके बाद लिया जायगा

मैट्रिक तक के रूपवास तहसील में विद्यालय

९८. श्री **श्री भानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) How many schools are in Rupbas tehsil of Bharatpur District having matriculation classes?

(b) Did the Government give assurance to the people of Rupbas town to start matriculation classes there ?

(श्री श्रीमानसिंह)

(c) Have the people of Rupbas town voluntarily constructed rooms for the same purpose through donations ?

(d) If so, will the Government start Matric classes there from this year ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मंत्री) :
(क) कोई हाई स्कूल नहीं है ।
(ख) जी नहीं ।
(ग) जी हां, दो बड़े कमरे जनता द्वारा बना दिये गये हैं तथा दो कमरे अब और बन रहे हैं ।

रूपबास में इस वर्ष से एक हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्रीमानसिंह : Will it be decided before the year commences for education ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: Of course, it shall be decided before the next session begins.

श्री श्रीमानसिंह : Will the Hon'ble Minister infrom in which month the schools will be started.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : July.

कोटा फोरेस्ट स्कूल से पास हुए व्यक्तियों का वेतन स्तर

६७. श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ४५-४६ में कोटा स्टेट द्वारा स्थापित फोरेस्ट स्कूल में किन किन वर्षों में कितने कितने विद्यार्थियों ने किस विषय का शिक्षण प्राप्त किया ?

(२) उपरोक्त संस्था से ट्रेन्ड व्यक्ति का स्टार्टिंग वेतन क्या है ?

(३) सन् ५०-५१ के ट्रेन्ड विद्यार्थियों को क्या पूर्वी या पश्चिमी सर्किल में समान ग्रेड पर फिक्स किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री) :
(१) कोटा फोरेस्ट स्कूल में निम्न विद्यार्थियों ने फोरेस्ट ट्रेनिंग पाई :

४७	२२
४८	१५
४९	२४
५०	१४
५१	२०

(२) कोई खास वेतन निर्धारित नहीं है ।

(३) जी नहीं, फिलहाल इन लोगों का फिक्सेशन किया गया है दिनांक १-१-५० तक का ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कोटा स्टेट के समय फोरेस्ट स्कूल का निर्माण किया गया था, उस समय जो आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे वे गजट में शाया हुए हैं, जिनमें यह लिखा है कि यह रेन्जर्स ट्रेनिंग के लिये स्कूल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् ४६ से ४९ के बीच में एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें जरूर यह कहा था कि रेन्जर्स जाकर इसमें पढ़ सकते हैं ।

Page No.4

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह स्कूल रेन्जर्स की ट्रेनिंग के लिये था या अन्य ट्रेनिंग के लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्टिकुलरली रेन्जर्स ट्रेनिंग के लिये नहीं है बल्कि सबोर्डिनेट फोरेस्ट सर्विसेज़ की ट्रेनिंग के लिये यह स्कूल है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या गजट में इस प्रकार का नोटिस निकला था, is it true ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गजट कौन सा है, मुझे पता नहीं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है, इस स्कूल में रेन्जर्स व फोरेस्टर्स दोनों साथ ही ट्रेनिंग पाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं । दोनों को एक क्लास में शिक्षा नहीं दी जाती ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है, इस स्कूल के शिक्षण में सन् ४३ से लेकर सन् ५०-५१ तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिलेबस में परिवर्तन हुआ था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उस समय सिर्फ रेन्जर्स की ट्रेनिंग के लिए विज्ञप्ति निकली थी जिसमें फोरेस्टर्स आदि की घोषणा नहीं की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि सबोर्डिनेट फोरेस्ट सर्विसेज; जैसे रेन्जर्स, सब रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स और फोरेस्टर्स आदि की शिक्षा की व्यवस्था है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके अन्दर रेन्जर्स किस योग्यता के मांगे गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहूँगा कि इसमें मैट्रिक, इन्टर के विद्यार्थियों को लिया गया है । उस समय घोषणा की गई थी, उनको ८० से १५० का ग्रेड दिया जायगा । लेकिन सन् ५०-५१ में जो विज्ञप्ति निकली उसमें रेन्जर्स को ४०-२-६० का ग्रेड रखा गया है और उसी के अनुसार इन्क्रीमेन्ट किया जा रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जानकारी जो दी गई है उसके लिये धन्यवाद । जो ग्रेड्स के के बारे में बताया गया, उसके लिए यह निवेदन है कि जो १-१-५० को नौकरी में थे उन लोगों का फिक्सेशन हुआ है, बाकी लोगों का फिक्सेशन अभी बाकी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : बाकी लोगों का फिक्सेशन अब कब तक करने का इरादा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिक्सेशन का काम चालू है, हो जायगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : १. १. ५० तक के लोगों का फिक्सेशन किया गया है, वह कब किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके बाद आगे के लिए कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कदम उठ रहे हैं, अलग अलग कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं ।

बुनाई विभाग को समाप्त करना

६६. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कुटीर उद्योग शिक्षणालय, जयपुर से बुनाई विभाग को खत्म किया जा रहा है और बुनकरों के बच्चों को इसमें भर्ती नही किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या इस उद्योग को चलाने के लिए सरकार ने और कोई व्यवस्था की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : (क) हां।

(ख) हां, हाथ कर्घा बोर्ड की स्थापना होने के कारण और इस बोर्ड की तरफ से बुनकरों को सहायता देने का प्रबन्ध किये जाने के कारण कुटीर उद्योग शिक्षणालय में वीविंग ट्रेनिंग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ग) हाथ कर्घा बोर्ड सभी प्रकार की सहायता इस उद्योग को देने के लिए प्रयत्न शील है, इसलिए नुकसान का प्रश्न नहीं नहीं उठता।

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :- क्या इस सम्बन्ध में बुनकरों का एक शिष्टमंडल माननीय मंत्री महोदय से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि इसके तोड़ने से ५३ हजार बुनकरों को काफी नुकसान होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, ऐसा नहीं होगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या इन्तजाम किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके लिए शिक्षा का प्रबन्ध है, वे बच्चे डाइंग (dyeing) आदि का काम सीख सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : सरकार की ओर से अलग अलग ट्रेनिंग देने के लिए क्या व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पूरा नहीं समझ पाया, क्या शिक्षा दी जायगी इस सम्बन्ध में बताऊं ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कुटीर उद्योगों को समाप्त करके और कोई व्यवस्था की जा रही है और कहाँ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या इससे यह मान लिया जाय कि कुटीर उद्योग खत्म करना चाहती है सरकार ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिल्कुल नहीं। कई जगह अलग २ ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जा रहे हैं, जहाँ पर लोहागिरी, बढ़ईगिरी मीनाकारी, कार्पेन्टरी का काम शुरू हो गया है और कई जगह और शुरू किया जा रहा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यहाँ से बन्द क्यों किये जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ; जो अनावश्यक होते हैं वे बन्द किये जाते हैं और जो आवश्यक होते हैं खोले जाते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यहाँ से हैन्डलूम का काम भी बिल्कुल बन्द किया जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हैन्डलूम का तो बोर्ड स्थापित किया गया है; इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

मेज नदी पर बांध-कार्य का ठेका

१०० **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Irrigation and Power please state :—

(a) What are the terms and conditions under which the work of Bund construction of Mej river (Mej Nadi), in Kotah Division is given to the present contractor ? Copy may kindly be placed on the table of the House.

(b) What are the terms and conditions under which the work of bund construction on Mej Nadi was given to the previous contractor ? Copy may please be furnished.

(c) Is it a fact that the bund on Mej Nadi was once washed away in 1954 or so, and the Government had to undergo a loss of Rs. 11 lakhs on that account, and the bund was again reconstructed by the same contractor and is it also a fact that the bund was again washed away a second time in 1955-56 and this time the Government had to undergo a loss of Rs. 26 lakhs ?

(d) If so, will the Government place before the House the report of the departmental committee appointed in this connection ?

(e) What action has the Government taken against the Government servants who were responsible for proper supervision of the work on the bund, but failed to do so ?

श्री भीखाभाई (उप मंत्री) : (a) and (b)-The general terms and conditions under which the work of Bund construction on Mej River in Kotah Division is being p (ace) on the table of the House. These are applicable to all item rate tenders and contracts for works in the Irrigation Department and apply to both the old and new Contractors to whom the work had been allotted. The only differences relates to the rates and quantities and works required to be undertaken and the periods for their completion which conform to conditions publicised in the Notice for inviting tenders. At present the work on the Buond is entrusted to three contractors. viz :

(1) M/S Baij Nath Prasad

Page No.7

(श्री मीखाभाई)

Gulab Singh (Breach closing)

(2) Lala Basti Ram (Weir Crossing)

(3) Shri Ram Krishna (Reconstruction of right bank sluice)

The earlier constracts were also split into several parts and entrusted to various parties.

(c) and (d) No. The work wass till incomplete when a portion of it costing about Rs. 27 thousand got damaged during the floods of 1955 on account of unsatisfactory planning on part of the officer in charge of the work who raised a cut off wall in the Nullah portion of the river to a height of about 9 feet. There was no fault on the part of the contractor. The work was completed during 1956, but on account of certain defective execution of the sluice structure a breach occurred to a portion of this Bund in this reach involving washing away of work costing nearly one lac of rupees. A departmental enquiry in the matter is under progress and the Executive Engineer then in charge of the work has been placed under suspension. The report of the enquiry has not yet been recived.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का इतना लम्बा उत्तर है तो इसकी कॉपी माननीय सदस्य को मेज दें। वे इसे देख लें, फिर सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने में आराम रहेगा।

श्री मीखाभाई : As the questions that are tabled by the Hon'ble Members are long they should be unstarred questions.

(प्रश्न के उत्तर दोहराते हुए)

The departmental enquiry in the mattr is under progress

(हंसी)

and the Executive Engineer incharge of the work has been placed under suspension. The report of the enquiry is awaite.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know whether in the first contract there was any condition, if the contractor fails to execute the work according to specifications, what action will be taken against him ?

श्री मीखाभाई : I do not know because there were number of contractors. To whom the Hon'ble member is referring, I do not exactly know. There was one Mr. Baij Nath and then Lala Basti Ram. There are two more, Sir.

श्री अध्यक्ष : Please peace a copy of the contract on the Table of the House.

श्री मीखाभाई : It is being placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Only Specimen—Agreement Form 'C' contract, and not the contract which has aclually been entered, into with parties.

Page No.8

श्री पी० के० चौधरी : I could not follow anything.

श्री अध्यक्ष : He is placing a copy of the contract on the table of the House. You should have a look at that and if there is any supplementary question, you can ask.

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस कांट्राक्ट में इस बात का उल्लेख है या नहीं कि समय पर काम खतम करने का वादा हो और वह वादा समय पर पूरा नहीं करता है तो उसे क्या सजा दी जाय ? ये सड़कें पूरी हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह सड़क का प्रश्न नहीं है। यह आपको ध्यान रखना चाहिये।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know whether the Hon'ble Minister has given replies to sub-section (a) only or to (b) and (c) also.

श्री भीखाभाई : I have given replies to all.

श्री पी० के० चौधरी : Does the reply say whether the buud was washed away in 1953 ?

श्री भीखाभाई : I could not follow. Please repeat it.

श्री अध्यक्ष : I would suggest that the Hon'ble Member should have a look at the reply to the question which the Minister has given and if you have anything further to ask on the discussion you can do it later, because when you have not heard the reply distinctly it is no use asking supplementaries without that.

श्री पी० के० चौधरी : I want to ask other supplementaries as to what action the Government has taken against the officers or officials who were responsible for the supervision of the bund.

श्री भीखाभाई : As I have just said, the officer has been put under suspension and the enquiry is pending.

श्री अर्जुनदास : We cannot follow anything.

श्री भीखाभाई : For your information, I stated that the officer in-charge has been but under suspension and the enquiry is being conducted and it has not been completed.

श्री अर्जुनदास : Sir, it would be preferable if the Chair could kindly allow the Minister to reply by proxy.

श्री पी० के० चौधरी : By what time is the enquiry expected to be completed.

श्री भीखाभाई : This is an enquiry and enquiry takes time.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि

Page No.9

(श्री दयाकृष्ण)

सन् ५४ में मेज बांध बना था और वह खत्म हो गया, पर उसी कन्ट्रॉक्टर को फिर दुबारा ५५-५६ में क्यों कन्ट्रॉक्ट दिया गया ?

सार्वजनिक उप-निर्माण-मन्त्री (श्री भीखाभाई) : यह जो पहले कन्ट्रॉक्ट दिया गया था उसमें चार कन्ट्रॉक्टर्स थे और अब जो पिछला ठेका दिया गया है उसमें भी ३-४ हैं, इसलिये उसमें यह सवाल पैदा नहीं होता। दर असल जैसा पहले कहा गया वहां कॉन्ट्राक्टर का कोई कसूर नहीं है। डिले के कारण काम में गड़बड़ हुई है। इसी कारण से ऑफिसर इन्चार्ज को सस्पेन्ड किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो पुलिया बनवाया गया था उसमें कॉन्ट्राक्टर ने खराब माल लगाया था और इसी कारण से वह गिर गया था, तो दुबारा फिर उसी कॉन्ट्राक्टर को कन्ट्राक्ट क्यों दिया गया जो इस तरह से इनएक्सपीरियन्स्ड साबित हुआ है।

श्री भीखाभाई : Sir, these are details to which I cannot answer at persent. If the Hon'ble Member wants some further information he should table a separate question.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह।

कोटपूतली से डाबला सड़क पर चलने वाली गाडियां

१०१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) कोटपूतली से डाबला रूट पर कितनी गाड़ियां चलती हैं ? इस रोड की मरम्मत सरकार ने कब कराई थी ?

(ख) क्या इस सड़क को पक्का बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्घा) : (क) १२ गाड़ियां। साधारण मरम्मत हर वर्ष होती है।

(ख) नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्या इसकी हर साल मरम्मत होती है ? इसका रिकार्ड भी आपके पास है ?

श्री नाथूराम मिर्घा: जी हां, दो गैंगमैन साल भर बराबर रहते हैं।

श्री रामकरणसिंह : मरम्मत साल के किसी खास मुकर्रर समय में होती है या हमेशा होती रहती है ?

श्री नाथूराम मिर्घा : लगातार दो गैंगमैन उस सड़क पर रहते हैं। राजस्थान भर में हमारा हिसाब यह है कि एक मील के लिये ४००) रु. मरम्मत के लिये हम खर्च करते हैं। इसी हिसाब से दो गैंगमैन इस सड़क पर बराबर रहते हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या कभी निर्माण विभाग के अधिकारी ने इस सड़क की कभी जांच की है कि इसकी क्या हालत है ?

श्री नाथूराम मिर्घा : जांच करने की आवश्यकता अलग से नहीं है। गैंगमैन बराबर रहते हैं और उनका रेगुलर इन्सपेक्शन होता रहता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन मोटर मालिकों के आवेदन पत्र भी सरकार को प्राप्त हुए हैं कि हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो सरकार इन सड़कों की मरम्मत भी कराए ताकि उनकी मोटरें खराब न हों।

श्री नाथूराम मिर्धा : आवेदन-पत्र तो सब सड़कों पर अक्सर आते ही रहते है और हम भी मरम्मत के लिये रुपया बजट में रखते रहते हैं। इस वर्ष १० लाख रुपया नई सड़कों के बनाने में और मरम्मत करने में रक्खा है इस एरिया में। पर इस सड़क की बारी इस प्लान में नहीं आ सकी है, बाद में आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब इस बजट से है या सेकन्ड फाइव इयर प्लान से है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेकन्ड फाइव इयर प्लान के इस साल से।

प्रश्न संख्या १०२

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

कोटपूतली में कॉलेज खोलने की योजना

१०३ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटपूतली से ८० मील की दूरी में कहीं भी कोई कालेज नहीं होने से सरकार ने वहां कोई कॉलेज खोलने की योजना बनाई है?

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : (क) यहां कालेज खोलने की अभी कोई योजना नहीं है।

(ख) क्योंकि सरकार की नीति यह है कि उच्च शिक्षा को समवद्ध करने के पश्चात् ही उसका विस्तार किया जाय। लड़कों के लिये इन्टर कालेजों की स्थापना नहीं होगी। ३ वर्षीय सेकन्डरी एवं डिग्री कोर्स की योजना स्वीकार की जा चुकी है, इसी कारण उपर्युक्त क्षेत्र के हाई स्कूल को समयानुसार ३ वर्षीय के कोर्स क्षेत्र में परिवर्तित करने पर अन्य दूसरे स्कूलों के साथ साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री रामकरणसिंह : इस ३ वर्षीय कोर्स को कब तक बनाने का विचार है?

श्री पूनमचन्द : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में।

श्री रामकरणसिंह : क्या इस वर्ष तहसील कोटपुतली में कोई हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने की योजना है?

श्री पूनमचन्द : अभी नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि लिखा-पढ़ी करने पर आपके विभाग से समय समय पर इस प्रकार के आश्वासन मिलते रहे हैं और आपकी तरफ से भी ऐसे आश्वासन दिये जाते रहे हैं?

श्री पूनमचन्द : यह मेरी जानकारी में नहीं है। आपने अपने सवाल में इसको पूछा भी नहीं, नहीं, तो यह भी मैं जानकारी करके उत्तर दे देता।

Page No.11

श्री रामकरणसिंह : इसी के पेरेलल यह दूसरा सवाल है।

श्री पूनमचन्द : पेरेलल तो बहुत से हो सकते हैं, पर इसमें से निकलता है या नहीं; यह देखना है। पेरेलल में और अन्दर से निकलने वाले में फर्क है।

श्री रामकरणसिंह : आपने हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये जिक्र किया था वो इस पर यह प्रश्न मैंने पूछ लिया। हायर सेकन्डरी स्कूल किस कायदे से खोले जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द : किस तहसील में पहले खोलने चाहिये, जिसमें प्राइमरी स्कूलें ज्यादा हैं, कहां पर लड़कों की तादाद ज्यादा है ये सारी बातें देखी जाती हैं। अगर ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं तो वहां भी खोलने में हमें कोई अड़चन नहीं हो सकती। अगर इस सीमा में वह क्षेत्र नहीं आता है तो वहां नहीं खोली जावेगी।

श्री रामकरणसिंह : क्या आपके विभाग की तरफ से टिकाने के बाद में मिडिल या हाई स्कूल इस इलाके में, इस तहसील में बनाई गई है ?

श्री पूनमचन्द : यह इस प्रश्न में से नहीं है। दूसरा अलग से सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

प्रश्न संख्या १०४,

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०५,

श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

जनवरी १९५३ से कृषकों को ट्रेक्टर्स हेतु दिया गया ऋण

१०६ **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :-

(a) In how many cases since 1-1-53 were loans advanced to agriculturists for purchasing tractors and in how many cases have tractors been supplied to them on hire-purchase basis ?

(b) How much agricultural land does each of these persons who have been either provided with tractors on hire purchase basis or have been granted loans for purchaaing tractors hold ?

(c) What check has the Government put to find out whether these agriculturists are using their tractors for bonafide agricultural operations or not ?

कृषि मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा)

(a)

Year	Number.
1952-53	61.
1953-54	59.
1954-55	26.
1955-56	29.
1956-57	—
	175

No tractor has been supplied on hire-purchase basis.

(b) The question was received in the department on 27-4-57.

Page No.12

(श्री नाथूराम मिर्धा)

All the information was to be Collected from all the Districts, it has not been possible during this short period to secure answer this information is being collected.

(c) The Collectors as well as the officers of the Agriculture Department ensure on the spot that the tractor is being used for bonafide agricultural purposes.

श्री पी. के. चौधरी : Will the hon'ble Minister state what was the magnitude of loans granted to individuals, average magnitude to an individual ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I could not hear.

श्री पी. के. चौधरी : यानि एक एक आदमी को एक साथ कितना रुपया दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : 50% of the cost.

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon'ble Minister state whether the licence of the persons who were granted these loans was for agricultrral purpose or for commercial purpose ?

श्री नाथूराम मिर्धा : It was all for agricultural purpose. Than and than alone the person was given 50% of the cost of the tractor. This amount was given directly to the company from whom the person made the purchase; it was not given direct to individuals.

श्री पी. के. चौधरी : Will the Minister state how many of these people have paid their regular instalments and in how many cases instalments are over-due ?

श्री नाथूराम मिर्धा : As I told you, it requires time to collect this information. The question was received very late, on 27-4-57 and the whole information has not been collected.

श्री पी. के. चौधरी : Than this qunstion I would be able to ask again ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes, you can table any further question and you will be given an answer.

राजस्थानी नवोदित हिन्दी साहित्यकारों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु कदम

१८७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने राजस्थान के नवोदित हिन्दी साहित्यकारों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु क्या २ कदम उठाये हैं ?

(ख) सरकार ने राजस्थानी हिन्दी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों पर किन किन वर्षों में व किन २ पुस्तकों पर क्या २ पुरस्कार अब तक दिये हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) : (क)

(श्री पूनमचन्द)

राजस्थान के नवोदित हिन्दी साहित्यकारों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार ने एक राजस्थान साहित्य एकेडमी का निर्माण किया है।

ख)१. राजस्थानी चित्र कला पर	५०० रु०
२. आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान पर	२५० रु०
३. राजस्थान परिचय ग्रन्थ	२५० रु०
४. राजस्थान का आर्थिक विकास	२५० रु०
५. भारतीय आर्थिक लेख	२५० रु०
६. महान् बालक	२०० रु०
७. राजस्थान की लोक कथायें व राजस्थानी बातें........	२०० रु०
८. पंचतंत्र की कहानियां	१०० रु०

यह पुरस्कार गत वर्ष ही दिया गया था।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिन पुस्तकों पर यह पुरस्कार दिया गया है इसका निर्णय करने का माप-दण्ड आपने क्या निर्धारित किया था और किन लोगों की सिफारिश पर यह पुरस्कार दिया गया था ?

श्री पूनमचन्द : शिक्षा विभाग की मार्फत इसकी सब जांच करवाई गई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री पूनमचन्द : नाम मुझे अभी मालूम नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : साहित्य एकेडेमी की स्थापना के विषय में बताया तो कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी ?

श्री पूनमचन्द : यह इसी साल बनी है और इसके लिये १ लाख रुपयों का प्रोविजन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इसके लिए किसी योग्य आदमी की नियुक्ति कर दी गई है ?

श्री पूनमचन्द : यह एजुकेशन सेक्रेट्री के आधीन है। अभी एकेडेमी के खुद के सब मेम्बर्स नहीं बने हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई आधार निश्चित किया गया था कि इस प्रकार के पुरस्कार देने हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कोई आधार नहीं निश्चित किया गया था। उन पुस्तकों की अच्छाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आम तौर पर जो उन्होंने सिफारिश की थी उस पर यह पुरस्कार दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : ये सब पुस्तकें सरकार के पास गईं या डाइरेक्टर के पास गईं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अभी ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है किन्तु शिक्षा विभाग की सिफारिश पर यह पुरस्कार दिया गया।

श्री अर्जुनदास : Is any of these persons a non-congressman ?

(विराम)

Is any recipient among these persons a non-congressman ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I do not know any of them.

श्री भैरोंसिंह : क्या पुरस्कार दिये जाने के पहले सरकार की ओर से कोई घोषणा की गई थी कि अच्छे साहित्य लेखकों को पुरस्कार दिया जा सकेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस चीज को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए एक साहित्य एकेडेमी की स्थापना की गई है । यह टोटल तो दो-तीन हजार की रकम होती होगी, आगे रेगुलरली साउन्ड लाइन्स पर साहित्य-कारों को प्रोत्साहन दिया जाय, इसके लिये साहित्य एकेडेमी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और उसके बाद इसका फोर्मेशन होगा ज्यादातर पुस्तकें आई हैं, किन्तु यह तय किया गया है कि ज्यादा रकम देने के लिए साहित्य एकेडेमी प्रोपोज़ल्स भेजेगी और उस पर उनको पुरस्कार दिया जायगा ।

श्री पी. के. चौधरी : Who has been entrusted with the work of preparing the constitution of th Academy ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : The Education Secretary and a few other experts of Hindi.

श्री पी. के. चौधरी : Who are these experts, we want to know ? whether the names of these experts can be disclosed here ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक हिन्दी कमेटी थी जो हिन्दी के बारे में स्थापित की गई थी । उस कमेटी में काम करने वाले सदस्य उससे सम्बन्धित हैं और एक सदस्य जिनको माननीय सदस्य भी जानते होंगे वे हैं श्री मुकुल, वे भी उससे सम्बन्धित हैं जिनको सेक्रेटरियट के साथ स्पेशली अटेच किया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जितनी पुस्तकों को पुरस्कार दिया गया उनमें से एक भी पुस्तक साहित्य के अंग जैसे कविता, नाटक, उपन्यास नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक एक पुस्तक की डिटेल नहीं जानता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जितनी पुस्तकों के नाम अभी बोले गये हैं उनको मैंने सुना है और उनमें से एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने भी सुना है, लेकिन जब तक जानकारी न हो तब तक क्या हो ?

श्री अर्जुनदास : Has the whole amount been paid-up ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो सैंक्शन किया गया था वह चुका ही दिया गया होगा ।

श्री अर्जुनदास : Was the amount paid before the elections ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : They are not our voters, at least.

श्री अध्यक्ष : Next. प्रश्न संख्या

१०८, श्री सोहनलाल भटनागर ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चोधरी ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हेतु ५० प्रतिशत भारत सरकार की सहायता

१०६. श्री पी. के. चौधरी (कुलेरा) : Will the Chief Minister please state :—

1. Is the Government aware of the recents offer of the Government of India to meet 50% of the expenditure that may be incurred by the State Governments on increase in the emoluments of Class IV and class III employees ?

2. What policy has the Government adopted for granting a substantial increase in the emoluments of the low income Government employees so as to bring them to a minimum subsistance level ?

उप-मंत्री, वित्त विभाग (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : The only offer received from the Central Government is for assistance for four years beginning from 1957-58 for meeting the cost of expenditure involved in increasing the emoluments preferably in the form of adhoc increase in D.A. to low paid employees whose emoluments do not exceed Rs. 100/- p. m. as under :-

(i) State Government employees and employees of local bodies whose emoluments (Pay and D. A.) are upto Rs. 60/- p. m. 66%

(ii) State Government employees and employees of local bodies, whose emoluments exceed Rs. 60/- p.m. but do not exceed Rs. 100/-/p. m. 33%

The quantum of central assistance is subject to review on the basis of recommendations of Finance Commission.

3. On the basis of above assistance from the Central Government, State Government have issued orders vide No. F. 1 (182) A/ Rules/ 56 dated the 20th. March, 1957 (copy enclosed) for adhoc increase in the rate of D. A. at Rs. 5/- p. m. of their employees whose emoluments (Pay and D. A.) do not exceed Rs. 100/-

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : What was the communique issued by the Central Government in this connection ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : The communiqe issued by the Central Government is not here with me, but if the Hon'ble member would like to see it would be available. I do not think it was a communique, but it was merely in the form of an information given.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the Central Government made a declaration that whatever increase the State Government will make they will bear 50% of it ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : The answer is self-contained. They have made an offer of 66% with respect to the pay which do not exceed Rs. 60/-and above Rs. 60 to Rs. 100/- 33%.

श्री अध्यक्ष : तारीख ३ मई के प्रश्न अब लिये जायेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया था।

श्री अध्यक्ष : इन प्रश्नों को लेने के बाद में।

सीकर जिले के विभिन्न थानों में हथियारों के अनुज्ञा-पत्र

३५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले के किस किस थाने में कितने कितने हथियार किस किस तारीख से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु पड़े हैं ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन हथियारों के लाइसेन्स प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब लंबा है इसलिए एक हफ्ते का टाइम इसमें और चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी अगली टर्न पर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हथियारों के सम्बन्ध में पिछले लगभग ५ साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया यह हथियारों का प्रश्न नहीं अध्यापकों का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : सीकर जिले के किस किस थाने में कितने कितने हथियार हैं इस बारे में प्रश्न है। अध्यापकों का प्रश्न तो आगे है।

मैंने कई बार इस बारे में प्रश्न पूछा है लेकिन जवाब नहीं मिला ? इस बार मन्त्री जी कह जरूर रहे हैं कि अगले टर्न पर उत्तर मिल जायगा, लेकिन जैसा पिछली बार आश्वासन दिया था उसी तरह का इस बार भी न हो।

श्री अध्यक्ष : अब तो वे एक सप्ताह का समय ही चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक सप्ताह में कहीं हाउस एडजोर्न हो गया तो यह फिर रह जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हाउस एडजोर्न नहीं होगा।

सीकर जिले के जी. टी. सी. अध्यापकों को ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड

३६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिले

(श्री भैरोंसिंह)

के सन् ५१-५२ के जे. टी. सी. अध्यापकों को १-७-५२ से आदेश प्राप्त होने के बावजूद भी ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड की रकम नहीं दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ? कितने अध्यापकों को यह रकम नहीं मिली है और अब यह कब तक मिल जायगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) जी हां।

(ख) क्योंकि तत्कालीन डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को यह शंका हुई कि सीकर जिले में यह पोस्ट उपलब्ध नहीं थी अतः उन्होंने इस तरक्की की रकम खजाने से वसूल करना उचित नहीं समझा। ऐसे ७४ अध्यापक थे। आशा है कि दो माह में यह रकम मिल जावेगी।

सन् १६५० के जयपुर डिविजन के शोर्ट टर्म ट्रेन्ड अध्यापकों के ग्रेड

३७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन् ५० के जयपुर डिवीजन के शोर्ट टर्म ट्रेन्ड मिडिल अध्यापकों को सन् ५० से ४०—१—४५ की ग्रेड स्वीकृत की गई थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि सीकर जिले के ऐसे शोर्ट टर्म टेन्ड मिडिल अध्यापकों को यह ग्रेड नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) न केवल जयपुर वरन् समस्त राजस्थान के लिये सरकार ने कुछ पे स्केल्स मंजूर किये जिनमें शोर्ट टर्म ट्रेन्ड मिडिल अध्यापकों का ग्रेड ४०—१—४५ था।

(ख) जी हां। सीकर जिले में इस ग्रेड के दिये जाने के लिये बजट में पोस्ट उपलब्ध नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : जब ग्रेड थे तो पोस्ट उपलब्ध क्यों नहीं हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्रेड होने से ही पोस्ट उपलब्ध हो जाय, ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : सीकर में जब कि अध्यापक नियुक्त हैं तो उनको ग्रेड के मुताबिक तनख्वाह क्यों नहीं मिलती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस ग्रेड के लिये ट्रेन्ड अध्यपक थे लेकिन उनका फिक्सेशन इस ग्रेड में नहीं हुआ था। सिर्फ ट्रेनिंग पाने से ही उस ग्रेड में फिक्सेशन नहीं हो जाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि शोर्ट टर्म ट्रेन्ड अध्यापकों को यह ग्रेड उपलब्ध नहीं होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब सब टीचर्स को एस. पी. सी. का जे. पी. सी. में कर दिया गया है, सिर्फ तीन टीचर्स ऐसे बचे हैं जिनका रेशनालाइज्ड पे स्केल्स के अनुसार १—३—५६ से फिक्सेशन कर दिया जायेगा।

वन विभाग के सबोर्डिनेट सर्विसेज का फिक्सेशन

३८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि जंगलात विभाग में सबोर्डिनेट सर्विसेज का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की गई है ? यदि हां, तो कितनी बार ? कृपया प्रत्येक लिस्ट की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ग) भविष्य में फिक्सेशन कब तक समाप्त हो जायगा ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) प्रोविजनल फिक्सेशन हो गया है। असंतुष्ट कर्मचारियों के आवेदन-पत्र विचाराधीन होने के कारण फाइनल फिक्सेशन अभी तक नहीं हो पाया है ।

(ख) सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है । लिस्टें तीन बार प्रकाशित हुई हैं । पहली बार केवल रेन्जर्स व डिप्टी रेन्जर्स की लिस्ट प्रकाशित हुई थी। दूसरी बार रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स फोरेस्टर्स, हैडगार्ड, हवलदार, ड्राइवर्स, मेकेनिक, मिस्त्री, फोरेस्ट गार्ड्स, चौकीदार्स, क्लीनर्स, चपरासी व फोरेस्ट सेटिलमेंट स्टाफ की प्रकाशित हुई व तीसरी बार रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स व फोरेस्टर्स की । लिस्टों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखवादी गई है।

(ग) असंतुष्ट कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों पर अन्तिम निर्णय होते ही फिक्सेकेन का कार्य समाप्त हो जावेगा ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : तीन बार लिस्टें बनी हैं उनमें सीनियोरिटी के आधार पर हेर फेर क्यों हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समय समय पर रिप्रजेन्टेशन्स हुए जिनमें कुछ बातें वाजिब कही गईं, कुछ रूल्स में रद्दोबदल करने पड़े, इसके बाद फिर ऐतराज माने गये। चार बार चेष्टा की गई, फिर भी कुछ रिप्रज़ेन्टेशन्स का फाइनल डिस्पोज़ल बाकी है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि बहुतों का फिक्सेशन हो गया है, तो क्या उनको तनख्वाह भी उसी हिसाब से मिल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन लोगों ने फाइनली मान लिया है उनको उसी हिसाब से तनख्वाह मिलती है और जिनके रिप्रज़ेन्टेशन्स पेन्डिंग हैं या जिन्होंने उज्र रखे हैं उनके लिये फाइनली तय नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : उनके फिक्सेशन की कार्यवाही कब तक समाप्त होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जवाब दिया कि अन्तिम निर्णय होते ही ।

श्री भैरोंसिंह : रेन्जर्स की लिस्ट में सीनियोरिटी में हेर फेर किस कारण से हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनाई नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : तीसरी लिस्ट रेन्जर्स की बनाई गई। एक बार जो लिस्ट बनाई गई उसमें जो रेन्जर सीनियर था वह दूसरी लिस्ट में जूनियर हो गया और तीसरी में जूनियर आदमी सीनियर हो गया, यह क्या केवल इस आधार पर हुई है कि कुछ व्यक्तियों ने मांग की थी कि हम सीनियर हैं इसलिये हमें सीनियर बनाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं। केवल आवेदन-पत्रों के आधार पर सीनियरोरिटी नहीं हुई लेकिन कुछ रूल्स में रद्दोबदल करने पड़े उसके मुताबिक चेन्चेज करनी पड़ीं।

श्री भैरोंसिंह : जब एक बार लिस्ट प्रकाशित हुई तो दूसरी बार चेन्चेज होने की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन तीसरी बार ऐसा क्यों हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स में रद्दोबदल होने के बाद फिर ओब्जेक्शन्स मांगे गये, उन पर विचार किया गया और उसके अनुसार फिर प्रकाशित करनी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह : क्या तारीख निश्चत नहीं की गई थी कि इस तारीख तक ओब्जेक्शन्स पेश हो जावें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब फाइनल डेट निश्चित करके ओब्जेक्शन्स मांगे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या तारीख पहले निश्चित नहीं हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स में हेर-फेर होने के बाद १ महीने में ओब्जेक्शन्स पेश करने का मौका दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : एक महीने के बाद ओब्जेक्शन्स आये तो फिर क्यों सुनवाई की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सारे डिटेल्स इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जितने ओब्जेक्शन्स थे उनका एक बार डिस्पोजल हो गया तो दूसरी और तीसरी बार फिर पेश करने का मौका क्यों दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी दफा मौका कहाँ दिया गया ? तीसरी दफा तो फाइनल कर रहे हैं।

सन् १९५५–५६ में टोरिया कूप (किशनगढ रेंज) का ठेका

३९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि १९५५–५६ में टोरिया कूप, किशनगढ़ रेंज, का ठेका श्री बरियामसिंह को दिया गया और उन्होंने ठेके की चौथान रकम जमा कराई ?

(ख) उपरोक्त रकम श्री बरियामसिंह को कब व क्यों वापिस की गई और यह कितनी रकम थी ?

(ग) वर्ष १९५५–५६ में यह कूप किसको नीलाम किया गया और कितने में ?

(घ) क्या सरकार ने चौथान रकम वापिस करने की कोई शर्त की थी ? यदि हां,

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) दिनांक ७–६–५७ को ४१३८ रुपये की ठेके की रकम वापिस की गई, क्योंकि ठेकेदार ठेके की मियाद बढ़ाना नहीं चाहता था और अपनी रकम वापिस चाहता था ।

(ग) सन् ५५–५६ में यह कूप श्री बरियामसिंह को इस तरह नीलाम किया गया ।

(१) टोरिया कूप नं० १ ३१०० रु० में

(२) टोरिया कूप नं० २ ५१७५ रु० में

(३) कोई शर्त नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट की कॉपी तो रख दीजिये । मैंने पूछा था, क्या सरकार ने चौथान रकम वापिस करने की कोई शर्त की थी ? यदि हां, तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई शर्त नहीं थी । कॉपी का सवाल आपने कहां किया है ? (कुछ ठहर कर) कॉपी हम रखवा देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि जंगलात विभाग में ठेके के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं होता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीमेंट हर ठेके में होता है ।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले में कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीमेंट हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें यह शर्त रखी जाती है कि समय में बीड़ को नहीं काटा गया तो एडवान्स मनी को जब्त कर लिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेका समय में पूरा न होने पर एडवान्स मनी जब्त करने की शर्त हर एक कॉन्ट्रेक्ट में नहीं रखी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : फिर उससे एडवान्स मनी क्यों लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेके की रकम का चौथाई हिस्सा पहले जमा करवाना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : इस एडवान्स को जमा कराने का मतलब क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून के अनुसार बीड़ को काटे और ठीक तरह से काम करें, इसलिये एडवान्स मनी लिया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है तो फिर काम समाप्त न होने पर रकम जब्त क्यों नहीं कर ली गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठेका टोरिया कूप किशनगढ़ रेंज में से फायर वुड सप्लाई करने को दिया था । वे चाहते थे कि कोयला बनावें । उन्होंने कोयला बनाने के लिए इजाजत मांगी, तो उनको रुपया वापिस लौटा दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : जब उनको ठेका दिया गया था तो सरकार की जितनी भी कन्डीशन्स थी, उनको बता देना चाहिए था और कन्डीशन बताने के बाद में रकम जमा करनी चाहिये थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फायर वुड बेचने के लिये उनको ठेका दिया था उन्होंने बाद में कोयला बनाने के लिए कहा और कहा कि कोयला बनाने के लिए ठेका चालू रहेगा नहीं तो नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय ठेका दिया गया था उस वक्त बता दिया था कि कोयला बनाने के लिए ठेका ले रहा है, क्या उस पर विचार नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : कॉन्ट्रेक्ट के एग्रीमेंन्ट (Agreement) की कॉपी सदन की मेज पर मन्त्री महोदय रख देंगे, उसमें आप देख लेना कि क्या शर्त रखी गई थी ?

नेक्स्ट क्वेश्चन

अचनावर रेंज में दो कूपों का ठेका

४०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५६-५७ में अचनावर रेन्ज में जंगल (दो कूप) का ठेका बरियामसिंह ठेकेदार को दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितने में और कब ?

(ख) क्या उपरोक्त ठेके के लिये डेढ़ी (ड्योढ़ी) रकम पर ठेका लेने के आवेदन-पत्र आये जिस पर सी. सी. एफ. ने दुबारा नीलाम करने की आज्ञा दी ?

(ग) यदि हां, तो फिर यह ठेका दुबारा नीलाम किये बिना कैसे मन्जूर किया ?

(घ) इस ठेके की मन्जूरी के लिये सी. सी. एफ. ने कौन सी तारीख को लिखा और सरकार ने अपनी स्वीकृति कब दी ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। सन् १९५६-५७ में अचनावर रेंज के दो कूप नं० (१) सागोडिया कूप नं० ३ व (२) कूट बावड़ी कूप का ठेका क्रमशः दिनांक १६-१०-५६ को ३३०० रुपयों में व दिनांक २४-१०-५६ को ११००० रुपये में श्री बरियामसिंह को दिया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सागोडिया कूप नं० ३ के ठेके की स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर ने दिनांक १६-१०-५६ को दी व कूट बावडी कूप के ठेके की स्वीकृति के लिये मुख्य, वन संरक्षक ने सरकार को ६-१०-५६ को लिखा जिसकी स्वीकृति २८-११-५६ को दी गई। टेलीफोन पर स्वीकृति दिनांक २४-१०-५६ को ही दे दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : यह नीलाम करने से पहले क्या सरकार ने कोई सूचना-पत्र प्रकाशित किया था कि अमुक जगह का ठेका, अमुक दिन व अमुक तारीख को दिया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमेशा ही ऐसे कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सूचना-पत्र के आने के बाद श्री बरियामसिंह ने जो ठेके की रकम लगाई थी, उससे भी ज्यादा बोली लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र आये थे ?

Page No.22

श्री **नाथूराम मिर्धा** : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि उनके ठेके नामन्जूर होने के कारण सी. सी. एफ. को इस बात की शिकायत की और दुबारा बोली लगाने देने की आज्ञा देने के लिए दरख्वास्त दी थी ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या ऐसी सूचना दी जाये तो उस पर जांच करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : सूचना आने पर जांच की जा सकती है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन।

बीलवाड़ी (त० बैराठ) की मैड तक की सडक का टेन्डर

१०२. श्री **मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील बैराठ ग्राम बीलवाड़ी से मैड़ तक सड़क बनाने का टेन्डर कब पास किया गया था ?

(ख) काम समाप्त किये जाने की अवधि क्या थी ?

(ग) अब तक सड़क बन कर तैयार क्यों नहीं हुई ?

(घ) अब कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) दिनांक २४-१२-१९५४ को।

(ख) दिनांक २८-१०-१९५५

(ग) ठेकेदार की अकर्मण्यता व एलाइनमेन्ट के बदलने के कारण।

(घ) मार्च सन् १९५९ तक तैयार होने की संभावना है।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : क्या यह सड़क १९५९ तक तैयार हो जायेगी। अब तक तीन वर्ष हो गये, अब आप १९५९ के लिए कह रहे हैं। क्या दूसरे ठेकेदार को ठेका नहीं दे सकते हैं ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : उस ठेकेदार की गलती नहीं है, एलाइनमेन्ट बाद में बदला गया, इसलिए देरी हुई। अब उसने १९५९ तक काम पूरा करने का वायदा किया है।

श्री **भैरोंसिंह** : एलाइनमेंट बदलने में कितना समय लगा ?

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : एलाइनमेंट तो वह का वही है, बदला नहीं गया था।

(हंसी)

श्री **अध्यक्ष** : Is it true that the alignment was not changed.

श्री **नाथूराम मिर्धा** : मेरी इत्तला के मुताबिक एलाइनमेंट बदला गया है।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : एलाइनमेंट बदला नहीं गया था। मैं एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर के साथ में था।

Page No.23

श्री अध्यक्ष : उत्तर मिल चुका है, दूसरा प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एलाइनमेंट को बदलने में कितना समय लगा, किसीकी दरख्वास्त पर उसको बदलने की कार्यवाही हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एलाइनमेंट बदलना कब शुरू हुआ, कितने अर्से में बदला गया, किसने रिपोर्ट दी, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया अभी कि एलाइनटमेंट बदलने के कारण समय लगा, कितना समय लगा, यह बता दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एलाइनमेंट को बदलने की वजह से ही देरी नहीं हुई, इसके दो कारण मैंने बताये । ठेकेदार स्लो प्रोग्रेस से काम कर रहा था, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, दूसरा एलाइनमेंट बदलने के कारण देरी हुई । स्लो प्रोग्रेस के कारण जो देरी हुई, उसके लिए १० प्रसेंन्ट पेनॉल्टी लगा दी है और ठेकेदार को कहा है कि १६५६ के अंत तक काम पूरा करना पड़ेगा, उसने पूरा करने के लिए कहा है और काम चालू है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अगर उस ठेकेदार ने गलतियां कीं, तो क्या उसको बदला नहीं जा सकता ? उस ठेकेदार को ठेका दिये हुए तीन वर्ष तो हो गये और दो वर्ष के लिए और कह रहा है । इस छोटे से काम के लिए इतना समय लगेगा तो सरकार चल ली ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको बताऊं कि ठेकेदार को बदलना इतना आसान नहीं । इस ठेकेदार को इसलिये रखा है कि उसकी रेट्स लो (Low) हैं । अगर अब दुबारा टेन्डर मांगें तो रेट्स हाई आती हैं । उसने जो स्लो काम किया है उसके लिए पेनॉल्टी इम्पोज कर दी है और उन्हीं रेट्स पर काम करवा रहे हैं । बजाय इसके कि जो काम १६५६ में खत्म होने वाला था वह १६५८ में खत्म होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो पेनॉल्टी इम्पोज की गई थी वह वसूल कर ली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पेनॉल्टी तो वसूल कर ली है ।

श्री मदनसिंह ; वह पेनॉल्टी कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १० पर्सेन्ट ।

खोले गये मल्टी पर्पज हाई स्कूल तथा हायर सेकन्डरी स्कूल्स

१०५. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : सरकार की तरफ से मल्टी पर्पज हाई स्कूल तथा हायर सेकन्डरी स्कूल कहां कहां खोले गये हैं और प्रत्येक स्कूल में छात्र संख्या कितनी कितनी है ?

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जरा मन्त्रियों को सावधान रहने के लिए हिदायत दे दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : अभी जरा नये हैं ।

(हंसी)

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): माननीय सदस्य अगर समय पर उपस्थित होते तो यह सारी दिक्कत नहीं होती।

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) :

(क) माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) छात्र संख्या अभी प्राप्त नहीं हो सकी है और आने पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि एक मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल में जितना रुपया खर्च किया है उतनी छात्र संख्या है क्या ? आप कहते हैं कि छात्र संख्या है, यह लिस्ट तो आपकी ही है न ? इसमें छात्र संख्या नहीं लिखी है, एक में है और एक में नहीं है, एक एक मल्टी पर्पज स्कूल पर चार-चार लाख रुपया खर्च होता है, और उनमें छात्र संख्या कहीं २०० है कहीं ढ़ाई सौ है और कहीं ३०० है।

श्री पूनमचन्द : मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी; इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। उनमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, सब स्टाफ हाइली पेड होता है। स्टूडेन्ट्स कम होते हैं और खर्चा ज्यादा होता है, यह कोई बात नहीं। इन्जीनियरिंग कॉलेज में छात्र कम हैं पर खर्चा ज्यादा होता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जहां लड़के ज्यादा हैं वहाँ मल्टी पर्पज़ स्कूल क्यों नहीं खोले और जहाँ कम हैं सिर्फ दो—दो सौ, ढाई—ढाईसौ और तीन तीन सौ लड़के हैं वहाँ चार चार लाख रुपया खर्च करें, यह कहाँ तक उचित होगा ? दूसरी जगहों पर कहीं एक हजार लड़के हैं, तो कहीं चार हजार लड़के हैं तो कहीं पांच हजार लड़के हैं और कहीं ७—७ हजार लड़के हैं वहां क्यों नहीं खोला जाता ? कहीं दो सौ ढाई सौ लड़के हैं वहां चार लाख रुपया खर्च करें, यह कहां तक उचित है ? और फिर सेकेन्डरी हाई स्कूल्स के लड़कों की लिस्ट है ही नहीं साहब। जहां एक एक लाख की पोपुलेशन है उन जगहों पर सेकेन्ड्री हाई स्कूल्स हैं ही नहीं साहब और न यहां मल्टी पर्पज हाई स्कूल्स ही हैं तो ....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): एक लाख की आबादी का कहां का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक लाख की आबादी कोटपुतली में है, बैराठ में है, श्री माधोपुर में है, दांता रामगढ में है और कई तहसीलों की आबादी एक लाख है, पर वहां न सेकेन्डरी हाई स्कूल्स हैं और न मल्टीपर्पज हाई स्कूल्स हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री): एक लाख की आबादी से तो आपने को १६०, १७० खोलने पड़ेंगे। तब यह प्रश्न पूछा जायगा तो ठीक रहेगा।

पर जो संख्या आपके सामने दी हुई है उसके सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने की है। जहां तादाद कम मालूम होती है वहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

९ वीं क्लास से क्लासें चलती हैं। कुछ जगह पहली से नवीं क्लास तक ही क्लासें चलती हैं तो वहां संख्या ज्यादा होगी। कई जगह छठी क्लास तक ही क्लासें हैं और कई जगह ६ वीं क्लास से आगे क्लासेज होती हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जहां ज्यादा लड़के है और वहां सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है तो फिर वहां मल्टीपर्पज हाई स्कूल या सेकेन्डेरी हाई स्कूल खोलने का सरकार ने विचार में क्यों नहीं लिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): लड़कों की तादाद इस बात पर निर्भर करती है कि किस क्लास के ज्यादा हैं, न कि स्कूल में कितने छात्र हैं। मल्टीपर्पज स्कूलों की लिस्ट आपके सामने है। उसको देखने से ज्ञात होगा कि एक जिले में एक स्कूल आम तौर से खोलने का प्रयत्न किया गया है, कोई जिला बड़ा है तो वहां ज्यादा रखने की कोशिश की गई है और इनके लिए सभी तरह से उपयुक्त स्थान चुनने का प्रयत्न किया गया है।

श्रीमती डा० चन्द्रकला : मल्टीपर्पज हाई स्कूल्स के अध्यापकों का वेतन ज्यादा क्यों रखा गया है जब कि उनकी योग्यता अन्य स्कूलों के अध्यापकों के समान है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए ज्यादा रखा गया है कि हमारे यहां जो यह परीक्षण हो रहा है वह सफल हो; इन्टरमीजियट के बराबर उनकी योग्यता होती है।

एक माननीय सदस्य : सीकर जिले में एक भी नहीं हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सीकर जिले में इन्टर कॉलेज था इसलिए दूसरी जगह जहां नहीं था वहां खोला गया।

उपरोक्त सदस्य : वहां वायदे हुए हैं, वायदे किये गये सरकार की तरफ से, फिर क्यों नहीं खोला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार की तरफ से तो कोई वायदा नहीं किया गया; चुनाव में किसी ने खुद ने कर दिया हो तो अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रथम पंच वर्षीय योजना में बीकानेर डिविजन हेतु रखी गई धन-राशि

१. **श्री मुरलीधर व्यास**:(बीकानेर सिटी) --क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बीकानेर डिवीजन के लिये कितनी राशि रखी गयी थी और उसमें कितनी व कहाँ कहां खर्च हुई ?

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना व्यय किस तरह किया जायेगा ?

उत्तर

(a) The information with regard to expenditure in the Bika-

Page No.26

(श्री मुख्य मंत्री)

Division in the First Plan period is being collected and will be suppied in due course.

(b) The large heads of expenditure during the Second Plan period are clearly indicated in the Second Five Year Plan of the State published by Government; copies of which have been supplied to all Members of the Legiseative Assembly. At the end of this volume, schemes under each Sector are listed and give the area of application wherever possible.

In the matter of Social Services etc. certain broad Policy decisions have been taken; for example, every village with a population of 500 will have a Primary School. Every Four Panchayat Circles will have an Ayurvedic Aushdhalaya, every town or village with a population of 5,000 or more will be connected to a Major or Minor District Road, every village by the end of the Second Five Year Plan period will have a Hygienic Drinking water Draw--well, the entire State will be covered by National Extension Service. These broad decisions can, with advantage, be modified to suit the special condltions in the desert areas.

राजस्थान के यु० डी० सीज़ व एल. डी. सीज़ में हरिजन

२. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार में यु० डी० सी० एन्ड एल० डी० सी० क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) इनमें हरिजन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) कितने हैं ?

(ग) गत ५ वर्षों में अर्थात् सन् १९५१ से १९५६ तक शिड्यूल्ड कास्ट्स में से कितने क्लर्क यु० डी० सी० की पोस्ट पर और कितने क्लर्क एल० डी० सी० की पोस्ट पर नियुक्त किए गए ?

(घ) शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए सरकार द्वारा क्या कोटा निर्धारित किया गया था ?

(ङ) उक्त कोटे के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स के क्लर्क की पूर्ति हुई या नहीं ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

(छ) अब इस समय यु० डी० सी० और एल. डी. सी. की कितनी जगहें खाली हैं जिन पर हरिजन शिड्यूल्ड कास्टस के लोग लिए जावेंगे ?

(ज) यदि हां, तो कहां कहां पर ? यदि नहीं हैं, तो क्यो ?

उत्तर

(उत्तर अनुपलब्ध)

जनवरी से मार्च, ५७ तक मन्त्री मण्डल के सदस्यों की कार्यालय में उपस्थिति

३. श्री सतीश चन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री सतीशचन्द्र)

(क) जनवरी, फरवरी तथा मार्च, १९५७ में तत्कालीन मन्त्री मन्डल के सदस्य अपने अपने कार्यालयों में कुल कितने कितने दिन उपस्थित रहे ?

(ख) इस अवधि में उन्होंने किन किन क्षेत्रों का ऑफिशियल दौरा किया और इस अवधि में उनके टी०ए० बिल पृथक पृथक कितनी कितनी रकम के बने ?

(ग) सन् ५६ में उनका पृथक पृथक प्रति मास टी०ए० बिल कितना आता रहा ?

उत्तर

(क) ऐसा कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ख) व (ग) इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूचियों अ और ब में दी हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

उदयपुर डिवीजन में भ्रष्टाचारी निरोधक शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारी

४. श्री सुगनचन्द जैन (बैगूं) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर डिवीजन में एन्टीकरप्शन शाखा में काम करने वाले किस किस जिले में कितने कार्यकर्त्ता तैनात हैं तथा उनके द्वारा सन् ५५ से आज तक किस किस तारीख को कितने मामले पकड़े गये हैं और किन किन मामलों में किसको कितनी २ सजा हुई तथा कितने मामले ऐसे हैं जो पेन्डिग हैं ?

उत्तर

(क) उदयपुर डिवीजन में एन्टीकरप्शन का काम करने के लिये एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, एक सब इन्सेपेक्टर, दो हैड कॉनिस्टेबिल तथा दो कॉनिस्टेबिल हैं। उनके नाम बताना जनहित में न होगा ।

(ख) कृपया साथ लगा हुआ स्टेटमेन्ट देखिये ।

(ग) इनका काम भ्रष्टाचार के मामलों में तहकीकात करना है । ये राजस्थान राजपत्र दिनांक ४-२-५६ में प्रकाशित इन्क्वायरीज एन्टीकरप्शन रूल्स, १९५५ एवं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत में काम करते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

वनमहोत्सव एवं वृक्षारोपण आन्दोलन में लगाये गये वृक्ष

५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(राजस्थान में वन महोत्सव और वृक्षारोपण आन्दोलन में कितने वृक्ष लगाये गये और उनमें से कितने नष्ट हुए ?

(ख) बाड़मेर जिले में कितने वृक्ष लगाये व नष्ट हुए ?

(ग) उपरोक्त वृक्षों को लगाने में कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(क) इसकी सूचना इस प्रकार है:—

वर्ष	लगाये गये पेड़ों की संख्या	सूखे हुये पेड़ों की संख्या

Page No.28

(श्री वन मंत्री)

सन्	१९५२	६,८७,२१६	६,२८,५७३
	१९५३	६,८३,६००	५,०८,८३४
	१९५४	२६,१५,०४१	६,३१,०२१
	१९५५	१०,७२,०४२	३,८७,०३०

१९५६ : आंकड़े उपलब्ध किये जा रहे हैं। एकत्रित होने पर सदन की मेज पर रखवा दिये जावेंगे।

सन्	१९५३	६१०	४७०
	१९५५	७६३	४००

अन्य वर्षों के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखवा दी जावेगी।

(ख) अभी खर्चे की सूचना उपलब्ध नहीं है प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखवा दी जावेगी।

(ग) वन विभाग द्वारा जो खर्चा हुआ है वह इस प्रकार है:—

सन्	१९५२	६,३००)	रुपये
	१९५३	२२,६००)	”
	१९५४	२५,१००)	”
	१९५५	१४,६४६)	”
	१९५६	१०,२७१)	”

(सूचियें प्राप्त नहीं हुई)

बीकानेर पॉवर हाउस की माहवारी उत्पादन क्षमता

६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(अ) बीकानेर पॉवर हाउस की माहवारी उत्पादन क्षमता और अधिकतम औसत मांग कितनी है ?

(आ) यदि मांग उत्पादन से अधिक है तो नये कनेक्शन क्यों दिये जाते हैं ?

(इ) यदि उत्पादन मांग से कम है तो एकाएक बिजली फेल होने के क्या कारण हैं ?

(ई) बीकानेर में ता० २३ अप्रेल को शाम के ६॥ बजे सिटी की सारी लाइनें सिंगल फेस क्यों व किसके ऑर्डर से हुई और उसकी इत्तिला कन्ज्यूमर्स को दी गई अथवा नहीं ?

उत्तर ·

(अ) बीकानेर पॉवर स्टेशन की इन्सटालड केपेसिटी ८५०० किलोवाट स्टीम और ५७ किलोवाट डीजल डिरेटेड केपेसिटी ६६५० किलोवाट स्टीम और ४५० किलोवाट डीजल तथा अफेक्टिव केपेसिटी ४००० किलोवाट स्टीम और २०० किलोवाट डीजल। ज्यादा से ज्यादा मांग ३३५० किलोवाट और औसत मांग २२०० किलोवाट है।

(आ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(इ) केवल ऐसी परिस्थितियों को जो वश के बाहर हैं वितरण (सप्लाई) लगातार चालू रहती है।

(ई) आटे की चक्कियों तथा अन्य दूसरे उद्योगों को शाम को ६ बजे से १० बजे तक बिजली नहीं दी जाती है क्योंकि यह समय घरों तथा सड़कों पर रोशनी तथा इस कारण अधिकतम मांग का समय होता है। इस सम्बन्धित स्थाई सूचना बिजली उपभोक्ताओं की अधिशासी अभियुन्ता इन्चार्ज बीकानेर द्वारा दी जा चुकी है। इस समय बिजली की लाइनों को अधिकतर सिंगल फेस कर दिया जाता है ताकि ऊपर लिखे उपभोक्ता प्रतिबंध के समय बिजली न ले सकें। इसी कारण २३-४-५७ को भी बिजली की लाइनें सिंगल फेस कर दी गई थीं।

राजस्थान में सन् १९५२ से १९५७ तक वितरित बीज

७. **श्री तनसिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री तनसिंह)

(१) राजस्थान में ५२-५३ से ५६-५७ तक प्रतिवर्ष कुल कितना बीज वितरित किया गया ?

(२) इसमें से बाडमेर तहसील में कितना बीज किस किस गांव के लोगों में वितरित किया गया ?

(३) उपरोक्त बीज वितरण के लिए क्या तरीका अपनाया गया ?

उत्तर

(१) तालिका संलग्न है।

(२) (अ) तालिका संलग्न में उत्तर है।

(आ) गांव के नाम—सिवाना, अकन्तरी, अजीत, समदारी, मजल, बट्टू, भोकावार, राट्टू, कुशाविपी, करमवास।

(३) नकद, उधार (बारी), नगद—उधार।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

१२.४ म. प.

राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७

(प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव कल सदन ने पास किया। वह प्रवर समिति इस प्रकार होगी और अगले अधिवेशन के प्रथम दिन से पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

१. मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल
२. श्री पी. के. चौधरी
३. श्री घासीराम
४. श्री सूबेदारसिंह
५. श्री अमृतलाल पायक
६. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया
७. श्री तेजमल बापना
८. श्री तेजाराम
९. श्री चुन्नीलाल बिश्नोई
१०. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
११. श्री सम्पतराज
१२. राजा श्री मानसिंह
१३. श्री रामकरणसिंह
१४. श्री नरेन्द्रसिंह
१५. श्री अर्जुनदास

नियम ८२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

रूल्स ऑफ बिजनेस की नियमावली के नियम ८२ के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य श्री श्रीराम बासोतिया ने गृह मन्त्री का ध्यान एक आवश्यक एवं सार्वजनिक मामले की ओर आकर्षित करने के लिये एक पत्र भेजा है। यह मसला इस प्रकार है :

"नवलगढ़ के थानेदार श्री रामबाबू का जनता के साथ निरंतर दुर्व्यवहार रहा है। इसकी शिकायत समय पर समय उच्चाधिकारियों को की गई है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि दिनांक ५-५-५७ को उक्त थानेदार ने नवलगढ़ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री सीताराम खाती को बिना अपराध गिरफ्तार कर लिया तथा हवालात में बन्द करके उसको इस बुरी तरह पीटा कि उसकी आज सुबह ७-५-५७ को मौत हो गई। जनता में इसके कारण एक बड़ी अशोभनीय स्थिति पैदा होने का अन्देशा हो रहा है। जनता की मांग है कि थानेदार को तुरन्त मुअत्तिल किया जाकर, इसकी जांच कराई जाकर, अपराधी को दंडित किया जावे।"

Page No.30

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे इस सम्बन्ध में मिले थे और मैंने इसमें तुरन्त कार्यवाही करने की आज्ञा दे दी है। इसमें जो लिखा है कि उसकी पीटने से मृत्यु हुई, यह शायद नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो आदमी सुसाइड करने के लिए कुए में गिरा, कुए में गिरने से उसकी मृत्यु हुई। पर साथ ही यह शिकायत थी कि थानेदार ने उसे टोर्चर किया, इसके लिये उसका वहां से ट्रांस्फर कर दिया गया है और इन्क्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया गया है और रिपोर्ट आने पर सस्पेन्शन के भी ऑर्डर्स कर दिये जायेंगे।

मैं समझता हूँ इससे सदन को संतोष होगा।

(श्री श्रीराम बासोतिया के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : रूल ४२ के अन्तर्गत इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री श्रीराम बसौतिया : मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, खुलासा करना है तो इस तरह नहीं, इसके लिए और कोई तरीका काम में लाइये।

१२.८ म. प.

विभिन्न समितियों के सदस्यों का मनोनयन

अब मैं निम्नलिखित समितियों के सदस्यों की नामावली पढ़कर सुनाता हूँ :

१. प्रिविलेजेज़ कमेटी :

१. श्री आबिदअली
२. श्री रामचन्द्र
३. श्रीमती प्रभा मिश्रा
४. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
५. श्री वीनोराम
६. श्री रामप्रसाद लड्ढा
७. श्री राजाराम
८. श्री गोपाललाल पुरोहित
९. श्री फतहसिंह
१०. श्री तनसिंह।

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला इस समिति के सभापति होंगे।

२. पिटीशन कमेटी :

१. श्री बृजमोहनलाल शर्मा
२. श्रीमती डा० चन्द्रकला
३. श्री अमृतलाल पायक
४. श्री लक्ष्मण हीरात
५. श्री छोटूसिंह
६. श्री भँवरलाल
७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
८. श्री मदनसिंह दांता
९. श्री रामलाल बंसीवाल
१०. श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा इस समिति के सभापति होंगे।

३. एश्योरेंसेज़ कमेटी :

१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
२. श्री किशनलाल शर्मा
३. श्री रामदेव सिंह
४. श्रीमती शन्नोदेवी
५. श्री तेजाराम।

श्री चतुर्वेदी इस समिति के सभापति होंगे।

४. हाउस कमेटी :

१. श्री उपाध्यक्ष

Page No.31

(श्री अध्यक्ष)

२. राजा श्री मानसिंह
३. श्री अर्जुनदास
४. श्री आनन्दसिंह कछवाहा
५. श्रीमती कमला श्रोत्रिय ।

श्री उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद जारी रहेगा । श्री तनसिंह बोलेंगे ।

राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल की कमेटी में मिनिस्टर इन्चार्ज को चेयरमेन रखा गया है उसके बजाय मैं यह निवेदन करूंगा कि लॉ मिनिस्टर को चेयरमेन रख लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह ठीक है, ऐसा कर दिया जाएगा ।

सिलेक्ट कमेटी में लॉ मिनिस्टर को जोड़ा जाता है और वे इस कमेटी के चेयरमैन होंगे ।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिजनेस ।

राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स) विधेयक, १९५७ (पुर: स्थापन)

श्री हरिभाऊ (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स) बिल, १९५७ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ : मैं बिल को पुर: स्थापित करता हूं ।

मारवाड़ पट्टा ऑर्डिनेन्स रिपील विधेयक १९५७ (पुर: स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मारवाड़ पट्टा ऑर्डिनेन्स (रिपील) बिल, १९४७ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल को पुर: स्थापित करता हूं ।

१२.११ म. प.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद
(पूर्वतमय से)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, अब मैं, कल्याणकारी राज्य का हमारा यह जो बजट पेश हुआ है, समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ने वाला जो बजट पेश हुआ है, उसके पहलुओं, जिन पर कुछ मोटी मोटी बातें अंकित होती हैं । पर मैं निवेदन करूंगा कि जो टैक्स घाटे को पूरा करने के लिये लगाया है उसमें से एक सेल्स टैक्स है । इसके लिये बताया यह जाता है कि हमने सेल्स टैक्स की रेटों को कम कर दिया है लेकिन वास्तविकता यह है कि इसको कम करने के साथ साथ उन्होंने जमीन से २५०) रुपये मासिक की आमदनी होनेवालों से यह कर लेना निश्चित किया है; जब कि पहले ५००) की आमदनी की बात

(श्री तनसिंह)

थी। केवल यह ही नहीं हुआ लेकिन इसके अलावा भी पहले जिन चीजों पर कई प्रकार से सेल्स टैक्स में छूट थी अब उन पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया है।

दूसरे टैक्स लगाये गये हैं वे सेल्स टैक्स के समान ही हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, सेल्स टैक्स और एग्रीकल्चरल टैक्स दोनों का बोझा किसानों और जमीन से आमदनी प्राप्त करने वालों पर ही होता है। हो सकता है, सेल्स टैक्स मे कुछ अमीर लोग भी उसके उपभोक्ता हों लेकिन व्यापारियों पर तो इसका कोई असर पड़नेवाला नहीं। उपभोक्ता तो साधारण लोग ही होते हैं जो सामान का उपभोग करते हैं। इसके अलावा आपने केवल यही कहा है कि भाखरा की तरफ जो भूमि है उनसे बेटरमेंट लेवी के रूप में लिया जाएगा। इसका भी असर साधारण किसानों पर ही आकर पड़ता है। यह भी मान लिया जाए कि उसकी आवश्यकता है लेकिन यहां पर कोई रीजन्स मालूम नहीं होते। हम आज पिछले ६ वर्षों से देखते आये हैं। प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हुए छठा वर्ष चल रहा है और वह द्वितीय योजना का प्रथम वर्ष चल रहा है और फिर भी करों में वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। आज ६ वर्षों में माननीय मन्त्री एक मिसाल भी देकर बतावें कि किसमें कर कम किया है या किस पर से उन्होंने कर हटाया है। ज्यों ज्यों हम विकास की ओर बढ़ते जाते हैं, तथाकथित विकास की ओर कार्य करते हैं वैसे वैसे करों में वृद्धि होती जाती है। करों के लगाने के अलावा आमदनी को बढ़ाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है। अतः आमदनी को बढ़ाने का केवल एक ही जरिया रह जाता है, वह है हमारी जेबों को कतरने का साधन मात्र। सिद्धान्ततः राष्ट्रीय आय का मतलब है आय को बढ़ाना और जीवन स्तर को उठाना। आज हमारा जीवन स्तर साधारणतः नीचे गिरता जा रहा है। आज खाद्य पदार्थों की कीमत वैसी की वैसी स्थिर हैं। इसके अलावा आज जीवन-यापन की आवश्यक सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अभी सिलिंग लगाने की योजना है। इससे यह होगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनकी जमीनें दूसरों के काम में आवेंगी। मगर इससे एक निश्चित हद जमीन की कायम हो जावेगी और जमीन की आमदनी दिनों-दिन घटती रहेगी। हो सकता है कि यह बेकारी मिटाने का दूसरा आयोजन है, मगर मैं यह कहूंगा कि सीलिंग लगा कर किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा। यह कुछ अर्से तक चल सकता है क्योंकि जमीन इलास्टिक तो है नहीं, आखिर वह जमीन है। जमीन से तो वही आमदनी होगी जो हो रही है, बल्कि कुछ कम होगी मगर आबादी बढ़ती रहेगी और उस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उसी जमीन से हम अपना निर्वाह करना चाहेंगे। तो मैं यह कहूंगा कि हमारे लिये मुश्किल हो जावेगा, हमें जमीन की कमी महसूस होती जावेगी और जमीन जो आज ५०० बीघा है वही आज से १०-१५ वर्षों बाद २०० बीघा ही रह जाएगी और धीरे धीरे और भी कम होती जावेगी। जीवन के विकास का उनके कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हमें वास्तविकता को देखना चाहिये बजाय इसके कि हम इस प्रोग्राम में पड़ें कि हमने इस प्रोग्राम में इतना रुपया खर्च किया, हमने इतना विकास में खर्च किया। अगर विकास आदि के प्रोग्राम में जो खर्च किया जाता है, उसको देखें तो हमें मालूम होगा कि अधिकांश खर्चा एस्टेब्लिशमेंट पर

Page No.33

(श्री तनसिंह)

ही होता है। यह शुरू से ही ऐसा होता आया है। आखिर अगर आप कुछ लोगों को ही विकास के नाम पर पालना चाहते हैं तो इसकी कीमत हमें बहुत चुकानी पड़ती है। यहां राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है मगर देश में किसी भी जगह उन्नति हुई दिखाई नहीं देती है। आज हम इस कल्याणकारी और समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ाने वाले लोगों के स्टेटमेंट के दूसरे पक्ष की ओर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि विकास केवल की दिशा की ओर बढ़ा कर हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि वास्तव में विकास का काम हो रहा है? इसमें हम देखते हैं कि राजनैतिक दृष्टिकोण से काम होता है। यदि किसी जगह यह काम ज्यादा हो जावे तो उसकी यह भावना नहीं समझनी चाहिये कि काम कराने की भावना से किया गया है; केवल अपने क्षेत्र और स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चुनाव के दौरान में बहुत से प्रतिष्ठित मंत्री, कांग्रेस के माने हुए नेताओं ने चुनावों में भाषण दिये कि अगर आपके यहां कांग्रेस हारती है तो विकास-कार्य आपके यहां नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अपने भाषणों में ऐसा कहा जैसे सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर हो। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव में जीतने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हो जावे तो यह पब्लिक के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। मैं नहीं समझता कि सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी की यही भावनाएं हैं कि हमारे माननीय मंत्री और दूसरे नेता जिनका शासन के प्रति बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, आम लोगों में जाकर यह कहें कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो आपके क्षेत्र को कोई लाभ नहीं होगा। यह कहने तक ही बात सीमित हो, ऐसी बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। मैं तो इस विषय में आपसे बहुत कम कहना चाहता हूं। आप खुद देख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जो स्थान पहले बांसवाड़ा और डूंगरपुर का था वही जगह आज अजमेर ने घेर ली है। आप जहां भी देखें, कल ही किशनगढ़ से आये हुए मेरे एक मित्र ने बताया कि किशनगढ़ के लिए एक पैसा भी मुकर्रर नहीं किया गया है। मैं कैसे समझाऊं कि वह किशनगढ़ से आये हैं और कांग्रेस सीट से आये हैं और उन्हीं के अजमेर के साथी होने के नाते वह सारा पैसा माननीय वित्त मंत्रीजी ले गये, इसलिये उनको पैसा नहीं मिल सका। साथ ही साथ उनकी ओर बैठने वाले लोगों का भी जब यह हाल है तो फिर हम लोग तो किस आशा से किस विश्वास से उनकी तरफ देखें कि जिस इलाके से हम आये हैं उस इलाके ने कोई अपराध नहीं किया है। उसने तो अपने विधान के अनुसार लोगों को चुनकर अपनी राय व्यक्त की है।

अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्रीजी ने संकेत किया था, हमको कुछ व्यक्ति-विशेष की तरफ ध्यान आकृष्ट करके कहा था कि उनकी तरफ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जैसी भी स्थिति हो लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं और एक तरफ जो आतंक फैल रहा है वह आतंक हमको बहुत ही दुखदायी प्रतीत होता है। वह ऐसा है कि बलवन्तसिंह नाम का एक डाकू था जिसको सरेन्डर करने के लिए पहले जो मंत्री-मण्डल

(श्री तनसिंह)

था, उसके एक मंत्री का गुट था, उन्होंने काम किया था। उस पर यहां पर एक प्रकार की योजना रखी गई थी कि इन डाकुओं के लिए नागरिक-जीवन बिताने का एक साधन निकाला जाय। परन्तु उस समय भी हमने कहा था कि डाकुओं को नागरिक जीवन व्यतीत करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वह असफल रहेगा। आज जब उनके पास में सत्ता आती है तो हम देखते हैं, जो बात हमने पहले कही थी वह सच उतर रही है। मैं आपको उदाहरण दूं कि वही बलवंतसिंह डाकू जिसने उस समय में अनेक मनुष्यों की हत्यायें कीं, लोगों को लूटा और फिर इस प्रकार देश के विरुद्ध गद्दार होकर पाकिस्तान में मिल गया था वहां जाकर उसने शेल्टर प्राप्त की थी, वही कुछ हफ्ते पहले हिन्दुस्तान में आया और मुझे कहते हुए खेद है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे, ऐसी मुझे आशा है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है उसको पकड़ा जाता, फिर उसको जेल में रखा जाता और उस पर मुकदमा चलाया जाता; ये बातें करना तो दूर रहा, बल्कि आर. ए. सी. के बैण्ड ने उसका स्वागत किया। यह वही व्यक्ति है जिसके लिए अखबारों में अनेकों बार खबरें आई और आज उसका बैण्ड से स्वागत किया जाता है। चुनाव से पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताया करते थे कि चुनाव के अन्दर भी हम किसी प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि चुनावों के अन्दर किसी प्रकार की भी धांधली न हो लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह बताऊं कि हम लोगों से कहीं अधिक धांधली उस पक्ष की ओर से हुई है, क्योंकि वही डाकू जिससे सरकार की सांठ-गांठ थी और उसको पकड़ने के लिये न जाने क्या क्या उपाय किये गये, आज वह आज़ादी से चल रहा है, घूम रहा है और उस पर किसी प्रकार का भी नियन्त्रण नहीं है। आज उसके गांव के चारों ओर आतंक क्यों फैल रहा है, इसलिए कि उसने कांग्रेस को जिताने में मदद की। इन्हीं चुनावों में उसने कांग्रेस को खूब मदद दी। यदि यह नहीं है तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि उसको बचाने में हमारे मन्त्री महोदय चुप क्यों हैं? यदि ऐसा है और जो मैं कह रहा हूं वह सच है तो आशा है वह इसका स्पष्टीकरण करेंगे। अगर वह इसका स्पष्टीकरण कर देंगे तो मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं यह समझता हूं कि एक सीट में कांग्रेस को जिताने के लिए जो जनता को कीमत चुकानी होती है वह समाज-कल्याण के लिए और समाजवादी स्थापना की बात नहीं है।

मुख्यमन्त्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं आपको इन्टरप्ट कर रहा हूँ, आप यह बता दें कि वे कौन कौन सी सीटें हैं जिनको जिताने के लिए उसने मदद दी।

श्री तनसिंह : गुढा मालानी और चोहटन की सीटस थीं और इसमें भी ज्यादा जानकारी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कटुता नहीं फैलाना चाहता और अगर कोई और दूसरी बात कहूँ तो आपको किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये।

आखिर यह सीट की बातें तो यहां नहीं हो रही हैं। मैं स्पष्टरूप से यह कहूँगा कि लोगों ने चुनावों में खुले रूप से प्रचार किया। इस डाकू को पकड़ने के लिये पहले

Page No.35

(श्री तनसिंह)

सरकार तत्पर थी। वह बोम्बे प्रोविन्स से पास होता है, वहां से उसको राजस्थान की पुलिस यहां लाती है और दूसरे ही दिन उसको छोड़ दिया जाता है। यह तब की बात है जब की आपने उसके खिलाफ बहुत प्रचार किया था।

१२.२३ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी बातें उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि हमने यहां पहले ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विषय में जिक्र किया था, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक ध्येय है कि राजस्थान में नशाबन्दी को बन्द किया जाय। लेकिन इस दिशा में हमारी ओर से जो प्रयास किये जा रहे हैं वे यह हैं कि उसका कोटा कम कर दिया गया है और उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यदि शराब के ऊपर अधिक कर लगा कर इस राजस्थान की जनता का भला आप करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि इससे भला होने वाला नहीं है। आप टैक्सों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, इसकी भलाई करना चाहते हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उचित रास्ता नहीं है। यदि किसी राष्ट्र का निर्माण करना है, उसकी उन्नति करनी हैं तो वे सिद्धांत अच्छे होने चाहिये, जिनके द्वारा हम ऐसा करना चाहते हैं। यदि शराब और अफीम की आमदनी पर आप हर साल रुपया रुपया और दो-दो रुपया टैक्स बढ़ा दें और उस पैसे से आप सोचें कि योजनायें चल सकेंगी तो मैं कहूंगा कि यह शोभाजनक बात नहीं है। आपने कोटा कम किया, यह खुशी की बात है, लेकिन फिर भी कोटा कम करने से अफीम और शराब पीने की जो प्रवृति है वह नहीं रुकेगी। उसको रोकने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में या इस बजट में क्या प्रयोग किये गये हैं, यह हमें इससे मालूम नहीं होता है। आपने इस नशे आदि को बन्द करने के लिये क्या काम किया है, मेरे ख्याल से इसके लिये कोई काम अथवा योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। जो प्रचार किये जा रहे हैं भू-दान और भारत सेवक समाज के या इसके अलावा दूसरे भी कार्यों के लिए या राजस्थान के जो सार्वजनिक विभाग हैं उनमें भी यदि कहीं नशाबन्दी के विरुद्ध में प्रचार किया हो तो आप मुझे उसका एक ही उदाहरण दें। मैं आपको बताऊं कि हमेशा हमारी सरकार की यह नीति रही है कि हर एक चीज को कानून के जरिये दूर करें। लेकिन उनको यह मानना होगा कि हमारे समाज में जो दुर्गुण हैं वे आसानी से मिटाये नहीं जा सकते। उनके लिए वातावरण और वह भी उपयुक्त वातावरण बनाना पड़ेगा। यदि कानून के जरिये या डंडे के जरिये इस नशाबन्दी को दूर करना चाहते हैं या बन्द करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और वह भी अफसरों में अधिक।

इसके अतिरिक्त दूसरी बातों पर जो मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद के समय भी कही थीं फिर कहूंगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि आज हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति को ८ वर्ष हुये हैं। आठ वर्ष तक के निरन्तर प्रयास के बाद जिस स्वतन्त्रता के लिए हमें विश्वास है, जिस न्याय के लिए विश्वास है, उसके अन्दर हमें खामियां मिलती हैं। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, उनके ट्रान्सफर, उनको हटाया जाना और

(श्री तनसिंह)

उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं । इनके बारे में मैं कहूंगा कि ज्युडिशियरी से एग्ज़ीक्युटिव को अलग कर देना चाहिये और यह हमारे विधान द्वारा स्वीकृत भी है लेकिन; मुझे अफसोस है कि इसमें भी हमारी सरकार ढिलाई के साथ काम कर रही है । मैं नहीं कह सकता इसके करने से क्या फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स होते हैं । हो सकता है कि थोड़ी बहुत अड़चनें प्रारम्भ में काम में अवश्य हो सकती हैं, लेकिन वह भी सब कुछ किया जा सकता है, यदि काम करने की नीयत हो ।

दूसरी बात और अन्तिम बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जो यह है कि हमारे इस राज्य के अन्दर जहां एक ओर तो हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां एक ओर हमें तरक्की के रास्ते बताये जा रहे हैं, वहां दूसरी ओर हमारी शिक्षा अच्छे ढंग से नहीं हो रही है । अब तो पहले हमारे यहां, विधान सभा में, एक कानून पास किया गया था कि आज से सारा का सारा कार्य हिन्दी में होगा और यहां तक हुआ कि जितने भी विधेयक यहां प्रस्तुत किये गये वे सब हिन्दी में थे, लेकिन ज्यों ही थोड़ा समय हुआ तो हम देखते हैं कि सभी के सभी, जितने भी बिल्स पास होते हैं और यहां प्रस्तुत होते हैं अंग्रेजी में आ रहे हैं । हमारे यहां के बहुत से सदस्य हिन्दी जानने वाले हैं । लेकिन एक ओर जहां यह कार्य हुआ है दूसरी ओर एक हिन्दी की क्लास रखी गई है, हिन्दी पढ़ाने के लिए. यह मेरा ख्याल है कि यह क्लास सेक्रेटेरियट के लोगों के लिए जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनको पढ़ाने के लिये खोली गई है । मुझे समझ में नहीं आता कि एक ओर तो हम हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिये क्लासें खोल रहे हैं किन्तु दूसरी ओर जो काम हिन्दी में होना चाहिये था उसको बन्द कर रहे हैं । जहां वास्तविक कार्य होना चाहिये वह न होकर अनाप-शनाप पैसा व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है । समय के अभाव के कारण मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना): Mr. Deputy Speaker, Sir, though I am not a financial expert, but I have tried to go through this voluminous budget in which the Hon'ble Finance Minister has provided a labyrinth of figures. But after giving it a cursory look I came to the conclusion that this budget is not different from the rest of the budgets. In short, if I say it is a stereotyped budget, I will not be far wrong. Not only this, Sir, when I saw the revenue side, the Hon'ble Finance Minister will excuse me if I say that to enhance the revenues of this deficit State he has made a very timid effort and the problems that he wants to combat in Rajasthan through deficit financing, he will again excuse me if I say, that they are Quixotic tilts against those objects which he hopefully perceives as outragious giants of that detested race. But unfortunately our Don-Quixote had no Sancho-Panza to advise him that he is waging war or fighting against a wind-mill. That is how he intends to secure the fina-

(श्री श्रीमानसिंह)

nces of this State,

Sir, I am not a supporter of balanced budgets. When we want to develop our State and our economy, we have to, as regards our financial side, incur deficits. But if I remind or I draw attention of the Finance Minister to a very sound advice given by the Taxation Enquiry Commission that the States in India plus the Union Government should make deficit financing as a subsidiary source and they should try and raise revenues from other sources. But unfortunately that primary advice has not been heeded to by our Finance Minister and there is a huge deficit of four crores. While I believe in deficit financing, I do not believe in such a huge deficit because if we visualise the repercussions of deficit financing on our economy I think all the Hon'ble Members will be of the same opinion.

Sir, we are going to meet this gap through, if I may say so, created money, and if I remember the figures of the Second Plan right, the Centre will meet the resources by created money worth about Rs. 1,200 crores. This money, Sir, in short, must have its effects upon the rise of prices. With the best of efforts and all the solemn pledges of the Government that it will control prices, Government will not be able to control prices. After all, the trends which it will set through this created money will result, with my most conservative estimates, in a price rise from 45 to 80%. Not only this, Sir, how this deficit financing is going to upset the very basis of our planning ? Sir, the object of the Second Plan is to raise the standard of living, that is by raising the national income. When the prices will rise, I am rather unable to understand that during the rise in prices how the standard of living will be improved ? The living index is bound to go up with the result that the country or the people will have to or will be faced by low standard of living. Not only this, if we take the targets or the assumptions that are underlying the Second Plan, they were calculated at a time on the assumptions of constant prices, Government, and I am sure, even the Finance Minister himself, has planned expenditure on the assumption that the prices will be constant. If there is to be a variation there will be a slight variation upwards or a slight variation downwards. But in the variation of 45 to 80% this expenditure which he plans will be increased when he actually implements all this, with the result that due to high prices, due to high increase, due to low living standards, he will not be able, despite the best of efforts, to achieve the targets planned.

(श्री श्रीभानसिंह)

Sir, if we see another repercussion of this deficit financing, the main stake or the mobilisation of our resources is the Finance Minister's appeal for small savings. The success of the plan depends on how far the economy accelerates these forces where the savings are greater, where these savings are ploughed back in the form of investments. Again, I may be allowed to say, that, with the raise in prices the savings will be affected. Thus the singular failoure that the Finance Minister will not be able to mobilise the resources for the Second Plan is here, and, Sir, it is here in deficit financing. That is, if I say that the attitude of the Finance Minister has been somewhat like the cat in the adage who wishes to eat the gold fish and does not wish to wet the jaws, Sir, this narrow gap, as the Hon'ble Finance Minister said, he wishes to fulfil by aditional measures of taxation. Before I deal with certain heads of taxation I must remind the Hon'ble Finance Minister that I have no objection to have increase in taxes, but, sir, those taxes which are levied must be levied with a view whether increasing the irrigation rates or the levying of agricultural income-taxes or any other taxes, as to what will be the effect of these taxes on the incentive of the agriculturists. Thus to me it appears that our Finance Minister had certain targets before him, and those targets have to be achieved and he had hardly the ultimate knowledge as to the resources. Thus he was between the two horns or rather between the devil and the deep-sea. He was to achieve these targets and thus he had no alternative, but to have fresh taxation, to search out fresh measures of taxation, but when he increased the rates of agricultural income-tax, the rates were increased without keeping into mind what will be their repercussions on the incentive or otherwise. But, before I deal with these new taxations, I must say that he has not even kept in view the tax-structure of Rajasthan. It is, if he will excause me, regressive, repressive, it is rathar aetrogative tax-strecture under which 80% of the agriculturists, the poor people, are dying. The question obviously arises and the Hon'ble member may ask me as to how ? Sir, the principle of court fee is this that the Government should charge equal to the amount of expenditure on administering justice. But, unfortunataly this principle has been set aside and the Hon'ble Finance Minister has thought probably he will not like, and is trying to make profit out of it. Even the Taxation Enquiry Commission has laid down certain basic principles regarding such sources of revenue, but those principles have been disregarded;

(श्री श्रीमानसिंह)

Similarly, if we look to the head "Registration"; there again the registration fee should be equal to the specific services rendered. If the services of the State are worth Rs. 6000/- then obviously Rs 6000/- can be levied as a fee. But if we look to the head 'Registration' we find that the Government is making lacs of rupees as profit through this source. After all the Government has avoided the basic principle of taxation in these two heads.

Thirdly, Sir, land revenue. After all if we take land revenue, the Finance Minister will please excuse me, I do not want, or I am not making an appeal, a sentimental appeal on behalf of the 80% population, but what I wish to say is that the structure of land revenue in our State still continues to be inequitable. It is still not based on the ability of the cultivator to pay, and a tax that is inequitable, that is not based on capacity, must be abolished. But I do not advocate abolition. I advocate that land revenue should remain but there must be certain relief to the cultivators who have small holdings; they must be provided relief. The Finance Minister will put forward an argument that since we have Agricultural income-tax therefore we have not got the inequality in the land revenue. As also argued by the Taxation Enquiry Committee, Sir, I may draw the attention of the Finance Minister that all over India the rate of exemption is Rs. 3000/-, while in Rajasthan it is Rs. 10,000/- Therefore, I can say that we are maintaining that regressive structure of land-revenue by granting such excessive limits of exemption. Sir, I am told that the Government is bringing a Bill in which the exemption limit has been reduced to Rs. 6000/-, but if we compare Rs. 6000/- with the ordinary rates and the incidence of the land-revenue that fall upon the cultivators we again come to the same conclusion that the land-revenue is regressive, inequitable and is beyond the capacity of the ordinary farmer to pay. Thus, Sir, this is our tax-structure.

Then the income is supposed to increase from the Excise Duty. Sir, with his age, with his learning and with his all his services to the country and now to this State I was expecting that the Finance Minister will come out with that courageous policy to say that he does not want to exploit the weakness of the poor people. He does not want the poor man to indulge in intoxication. On the countrary, what we see is the enhanced rates of the excise duty. From the figures of the Budget we come to know that the greatest increase of revenue to the State is from the sale of the country

(श्री श्रीमानसिंह)

liquor. Who consume the country liquor ? Not those with money but those who are poor and thus the tax-structure, the enhanced rates, are born by our poor people, poor people cosnume liquor at the higher cost.

We want to raise their standard. This is our taxation policy wherein he has to kept in view the meeting of the financial deficit of our budget, but he has not kept in view that the aim of our budget, that the aim of our expenditure, is the creation of a welfare State, a walfare state based on such a structure, a structure that exploits the poor men, a structure or a taxation that exptoits the poor people , or makes revenue out of the weaknesses of the poor people. How far it is a walfare State ? How far it is a walfare budget ? How far it is a budget which is going to establish socialism ? That is the question that I want to put to the Hon'ble Finance Minister.

Sir, after all this is the revenue side. This is one side of our budget. Coming to the expenditure side, of course, all the Hon'ble members will agree with me that there are certain gaints that we have to combat, though they are provided in the budget. And the first one that strikes any body is the expenditure on administration. In a socialistic State, in a poor State like ours, why there should be such a disparity that the highest should get Rs. 1800/- or 5000/-, and the poorest 60/- or 30/-. There is an argument that we have provided an all round in the increment of Rs. 5/-, but, Sir, when certainly there is a rise of 45 or 50% in the prices, when the prices, of the commodities have gone up to 25% more, what is the value of those Rs. 5/- ? We must evaluate those Rs. 5/- in terms of commodities that they can purchase, and what will those Rs. 5/- bring. We are giving Rs. 100/- to those who have already more. Where is the equality ? Today according to our budget and in a State which is trying for Socialism I should say that the ability has been commercialised. We are commercialising the ability in the way: if you pay me Rs. 1000/-, I will serve you, and if you pay me Rs. 60/- I would not. But all services should be on co-operative sentiments. If anybody is educated, if anybody has got speciality, no doubt he will be paid but according to our Finances and not according to his ability. After all what is the difference between capitalist society and socialistic society ? There is competition. Things are sold and things are bought. There every thing has got a prize, a bidder but in a socialistic society everything has a social value and whoever contributes more will be given higher. Socialism agree in differentials but not in such vast differentials. The Finance Minister must

(श्री श्रीमानसिंह)

look to that at least with his vast learning. Let them not commercialise ability, let them not at least make it a commodity. Thus I would request that there should be maximum and the differences should be, I mean, less, so that the poor may feel, the fourth class servants may feel, that they are not subordinate, but they are co-operative workers in the well-being of the State, in administration.

Secondly, Sir, I remember the statement made in the Governor's Address that the law and order problem has improved. But if the Hon'ble member look to the improvement of problem of law and order, I do not believe that certain dacoit is killed, that man is behind prison-bars. I do not believe in that. The question is that the improvement in the law and order should have been reflected in the budget, in the figures of the budget. But, Sir, from 1956-57 we see that again the expenditure on the Police has increased, then where is the improvement in law and order problem? If it has improved, it should have been shown through reduction in expenditure on the Police, and that money should have been invested in development activities by which you can certainly raise the standard of the people. But gradually we are increasing the police expenditure and gradually we are making a paradoxical statement that the law and order problem has improved. If you eliminate dacoits, I will say, that, the figures of the Budget must be reduced. That must ease the law and order problem.

Then, Sir, thirdly, of course the third big giant that stands on the expenditure side is Compensation. No doubt those who reflect vested interests they would excuse me but much is said about the bravery, courage and sacrifice of the Rajput race. I ~~will say~~ that it is upon them that today this State calls for a similar sacrifice, for a similar bravery, not for their own benefit but for the benefit of the eighty percent who are today poor, who are ignorant and diseased. Today they and their children who are trying to rise require financial assistance. They have made you rich by their toil. It is now only that they ask you for a return. I request them, let this compensation rate be revised. The record of the past history is proving that you still have that courage.

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, जागीरदारों के लिए यह प्रश्न किया था या राजपूतों के लिए किया था ?

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री श्रीमानसिंह : Fourthly, Sir, there is the question of our development blocks. Of course, I will not go behind the principle of Community Projects and National

(श्री श्रीमानसिंह)

Extension Service Blocks because they are based on a very high and noble principle. But I, belonging to the Twentieth Century materialistic age, do not think that in a poor country such principles can be put into being with advantage.

Thus, if we see the expenditure on the Community Projects we find that on establishment and administration out of every one hundred rupees eighty rupees are spent and of the value of rupees twenty the work goes to the villagers. Thus, if we want to develope that higher spirit of self-sacrifice, of doing work for everybody and doing away with self-interest, then, in that case, it is my earnest request that the expenditure on establishment and administration in the National Extension Service and Community Development Blocks must be reduced.

Sir, the Finance Minister has put forward that the objectives of the Second Plan are increasing the national income and raising the standard of living.

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble member will please be brief. I will give him two minutes more to conclude.

श्री श्रीमानसिंह : I am trying to be very brief, Sir, but the Budget cannot be discussed so briefly.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, we have allotted time to every speaker.

श्री श्रीमानसिंह : Thus the objective of the Second Plan is the doubling of the national income and this doubling of the national income will raise the standard of living. This will be done by rapid industrialization of heavy and basic industries.

The third objective is the combating of the unemployment problem. The fourth objective is the distribution of Economic Power. Sir, if I touch the industrial policy and how the Government is taxing the people to meet the deficit, it will take much time. The Hon'ble members are well conversant that the industrial policy of this Government has been complacent and if I say inefficient it will be absolutely correct, because the amount invested in the concerns liquidated amount to crores of rupees. We have to make good the deficit only if the order of rupees four crores while in all the concerns in which the Government invested large sums have all been liquidated. Secondly, economic power should be distributed by nationalization of industries. It needs courage to start State owned enterprises. It has failed to take lessons

(श्री श्रीमानसिंह)

from the economic development of western countries where the budget deficits are made up not by taxes but by the State taking over and starting public enterprises. Take the case of iron-ore. Take the case of copper deposits of Khetri. They are not worked out by the State. They must be State owned or nationalized. Take the cases of gypsum, cement, etc. While we have been laying increasing emphasis on nationalization in these days of Socialism, we have given a sum of rupees sixty lacs loan to a cement factory. As a public enterpise why not start a cement factory at Bayana and other places and from their income meet the deficit, but the industrial policy is such that...

(घन्टी)

May I be allowed two minutes more ?

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. You have consumed already twenty-five minutes.

श्री श्रीमानसिंह : So in the industrial policy we have been rather shy, that suppose we have losses how will we face the public ? I assure you Heaven will not fall and you will not have to catch the swallows. You must take the enterprising step of starting State enterprises. You must take steps to nationalise transport and then see whether the income from State enterprises and nationalisation is insufficient to cover the Budget deficit.

And then it is our duty to support these taxation measures to cover the Budget deficit.

अनेक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष,........

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member behind you.

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज.........

श्री उपाध्यक्ष : But before the Hon'ble member resumes the debate (श्री मदनसिंह से) you will kindly take your seat. I would say that there are 57 members still to speak. I have received the names of these speakers from diffrent parties. You will. therefore, co-operate with the chair, if I give preference only to those speakers who have given their names in the list. You will kindly extend your co-operation to me in assessing so far as time itself is concerned because this is the last date today and we have to conclude the dedate today. So only those members will rise who have given their names.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो रोज से बजट के ऊपर

Page No.44

(श्री मदनसिंह)

बहस चल रही है। मैं बजट का तो विरोध नहीं करूंगा और न यह आशा ही रखूंगा कि कोई भी बजट का विरोध करे। पर मुझे इसका विरोध जरूर करना है कि बजट अच्छा तो होता है पर बजट का पास होना बुरा। इसकी स्वीकृति के विरोध में बातचीत कहूँगा कि इसकी स्वीकृति नहीं दी जाये, जब तक पूर्णरूप से इस बजट के बारे में समझ नहीं लें। यह बजट क्या है और इस पर विचार करने वाले कौन हैं, इस पर आज हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, अन्यथा इस बजट पर वाद-विवाद और पार्टी फीलिंग अगर शुरू हो गई है तो इस पर न तो ठीक ढंग से बातही कही जा सकेगी और न इस पर विचार ही हो सकेगा। अगर कोई सिद्धान्त की बात होती, अगर कोई राजनैतिक मसला होता तो जरूर आपस में कटुता का वातावरण बढ़ जाता। बजट ऐसी चीज़ है जिसके लिये विरोध नहीं होना चाहिये, लेकिन साथ साथ उसको पास भी इतना जल्दी नहीं कर देना चाहिये, उसकी स्वीकृति भी इतनी जल्दी नहीं दे देनी चाहिये, जब तक हम उसको समझ न लें। इस बजट पर, कम से कम हर धारा (मद) पर बोलने के लिये १ घण्टा चाहिये। इधर समय कम है इसलिये कुछ निवेदन कर दूं ताकि उस निवेदन के जरिये सदस्यों के कुछ समझ में आ जाये तो इस पर विचार हो सकेगा। हमें पहले यह सोचना है कि यह बजट क्या है और इसमें क्या चीज है? इस बजट के अन्दर राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का पैसा है जो टैक्स के जरिये आया हुआ है और जब यह मालूम हो गया कि प्रत्येक नागरिक का पैसा है तो फिर इसके ऊपर विचार करने वाले कौन हैं? यदि हम यह सोचें कि विचार करने वाले कांग्रेस के सदस्य हैं या हम यह सोचें कि विचार करने वाले जनसंघ या रामराज्य परिषद के सदस्य हैं तो इस पर ठीक विचार नहीं होगा। इसलिये हमें यह सोचना है कि राजस्थान का प्रत्येक नागरिक पूरी जनता है। उसको एक कुटुम्ब की तरह समझें और हम उस कुटुम्ब के प्रतिनिधि यहां आये हुये हैं और इस विश्वास के साथ आये हुये हैं कि जो कुछ कार्यवाही यहां करें, जो कुछ विचार करें उस समय ठीक उसी ढंग से सोचें जिस ढंग से एक कुटुम्बी का आदमी सोच रहा है। यदि यह भाव रखा गया है तो ठीक है, नहीं तो आज तक जो बहस हुई है वह ठीक नहीं हुई है। इसलिये हमें यह सोचना है कि वाकई एक कुटुम्ब के लोग रुपयों-पैसों के बारे में बातचीत करते हैं और सोचते हैं उसी तरह से इस बजट के बारे में भी हमें विचार करना चाहिये। आपको ख्याल होना चाहिये कि एक नौकर को ४ पैसे देकर सब्जी लाने के लिये हम भेजते हैं और उसमें से दो पैसे इधर-उधर हो जाते हैं तो हम उस नौकर को बुरा-भला कहते हैं। केवल बुरा-भला ही नहीं कहते हैं, लेकिन साथ ही उसको निकाल भी देते हैं। इसी तरह से हम इस बजट के बारे में भी सोचें कि सारे राजस्थान का पैसा किस तरह से खर्च कर रहे हैं और पहले किस तरह से खर्च किया गया है, इस पर सोचना है तो यह भी सोचना होगा कि पहले बजट किस तरह बनाया गया है। इस बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके पेज नं० १७ को देखेंगे तो आप पायेंगे कि उसमें लिखा है कि कम से कम १७ ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या क्या सरकार ने घोटाले किये हैं। कम से कम १३-१४ घोटाले हैं। तो जिन लोगों के हाथ से पहले के बजट में इस तरह के घोटाले हुये हैं, जिनको सभी सदस्य

(श्री मदनसिंह)

अनुभव करते हैं कि वाकई रुपयों का घोटाला हुआ, यदि उन्हीं के हाथों में फिर बजट दिया जाय, उन्हीं के हाथों से फिर रुपये खर्च कराये जायें तो जिस जनता ने हमको वोट दिये और जिन्होंने हमारा विश्वास करके हमें यहां भेजा, उस जनता को हम धोखा देते हैं। मैं इस बारे में ज्यादा इसलिये नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि १५ मिनिट ही मुझे दिये गये हैं; इतने कम समय में ठीक ढंग से इतनी बातें नहीं कह सकता इसलिये मुझे कुछ मिसालें देनी पड़ेंगी कि पहले क्या क्या घोटाला हुआ है और अब हम क्यों नहीं कहते कि इस बजट में ऐसा नहीं हो सकता।

एक बहुत मालदार सेठ था जिसके पास बहुत रुपये थे। लेकिन उसके यहां ११६ नौकर थे। उनमें से चार ऐसे थे जिन्होंने सेठजी को कहा कि आप बहुत दुबले-पतले होते जा रहे हैं, आपके पास पैसा बहुत है इसलिये आपको अपने लिये काफी खर्च करना चाहिये, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये आपको दूध पीना चाहिये। तब सेठजी ने कहा कि हमारे पास कोई विश्वास-पात्र नौकर नहीं है जो शुद्ध दूध लाकर पिलावे। उन्होंने कहा कि हम चार विश्वास-पात्र आदमी हैं, आप दूध पीजिये। उनमें से एक नौकर दूसरे दिन दूध लेने गया। बीच में एक नाला मिला। दूध लेकर आते समय उसने सोचा कि क्यों नहीं इसमें से कुछ दूध पी लिया जाय और उतना ही पानी मिला दिया जाय। यह सोच कर वह आधा दूध पी गया और उसमें उसी हिसाब से पानी मिलाकर सेठजी के पास आ गया। इसी तरह से एक एक चारों गये और उन्होंने दूध पीकर उसी हिसाब से पानी मिला दूध सेठजी को लाकर दिया। बहुत दिन हो गये दूध पीते हुये, लेकिन सेठजी के चेहरे पर रौनक नहीं आई। तब सेठजी से पांचवें नौकर ने कहा कि मैं ऐसा आदमी हूं जिसका आप अच्छी तरह से विश्वास कर सकते हैं। मैं आपके लिए दूध लाऊंगा। लेकिन पांचवां आदमी ऐसा था जैसे राजस्थान के पांचवें मिनिस्टर। उसने पहलेवाले चार नौकरों से कहा कि तुम बेवकूफ हो, ऐसा क्यों करते हो? पांचों ही मिलकर दूध पीजिए। दूध की जो थरकन होगी उसे सेठजी के नाक पर सोते समय लगा देंगे। सेठजी सोये हुए थे उन्होंने दूध की थरकन सेठजी के नाक पर लगा दी। जब सेठजी नींद से जगे तो उसने सेठजी के मुंह के आगे कांच कर दिया और कहा कि सेठ साहब आप अब मोटे हो रहे हैं। नाक पर लगी हुई दूध की थरकन इस बात का सबूत है। इसी तरह से हमारी सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं और उसके लिये बड़े बड़े बजट बनाती है। लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं और बजट बनाने से क्या होता है? चुनाव के समय हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर जनता से कहते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया। लेकिन वास्तव में आपने थरकन जनता के लगाई और दूध आपने पिया। आज राजस्थान की जनता सोई हुई है, इसलिए आज चुनाव के बाद आप यह बजट पेश करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमने इतने रुपये खर्च कर दिये। हमें एक किताब मिली है। जिन जिन मिनिस्टरों ने गड़बड़ियें की हैं उनको रिपोर्ट इसमें दर्ज है। यदि मैं उनको पढ़ कर सुनाऊं तो मुझे २ घन्टे लग जायगें। इसलिए मैं उसे न पढ़कर यह कहना चाहता हूं कि यह बजट पास नहीं होना चाहिये। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज

(श्री मदनसिंह)

यह है कि वे मिनिस्टर हटाने चाहिये जिन्होंने गड़बड़ियें की हैं। मैं या हरेक आदमी इस काम को नहीं कर सकते। लेकिन सत्तारूढ़ दल इस काम को कर सकता है। आप दूसरे को बनाइये। यदि दूसरा ठीक नहीं है तो तीसरे को बनाइये और यदि तीसरा भी ठीक नहीं है तो चौथे को बनाइये। क्योंकि आपके पास ११६ आदमी हैं इसलिए कोई सिद्धान्त में फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह नहीं हो सकता कि विरोधी दल वालों में से किसी को बनाया जाये। लेकिन आपके पास तो इतने आदमी हैं। आप किसी को भी बना सकते हैं। आपके भाषणों में हमारे से भी ज्यादा आवाज़ इस बात की आती है कि यह अन्याय है। आपके पास ११६ आदमी हैं। आप अच्छी तरह से इस काम को चलाइये, फिर आप इस बजट को पास कराइये: हम भी आप की मदद करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी जनता के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है।

मैंने सुना कि दो-तीन सदस्य बधाइयां उड़ाने लगे। कल की बात है। दो-तीन सदस्यों ने कहा कि इस तरह के अच्छे बजट को पेश करने के लिये आपको धन्यवाद है। यह बिल एक्ट आप बना रहे हैं। यदि यह बजट पूरा ही बिल में घुस जायगा तो जनता को पता भी नहीं चलेगा कि कहां गया। बजट की रकम को देखकर ही जनता को खुश न होना चाहिये। यदि जौहरी बाजार के लोग यह कहें कि बाजार में कितने हीरे पन्ने आ गये हैं, अब जयपुर से गरीबी मिट जायेगी। लेकिन यह बात नहीं है। वे जौहरी बाजार के हीरे पन्ने वहीं रह जायेंगे। इसी तरह यदि उन्हीं लोगों के जरिये बजट पास करा देंगे तो जो हाल पहले हुआ वही आगे होनेवाला है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बहुत सोच-विचार कर इसे पास करना है।

वैसे राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर काफी वाद-विवाद हुआ था और वे ही चीजें आज फिर कही जा सकती हैं। लेकिन मैं बहस में ज्यादा न जाकर यही निवेदन करूंगा कि यदि पार्टीबाजी से ऊंचे उठकर विचार करेंगे तो कुछ चीज बनेगी, अन्यथा वे ही योजनाएं हैं और वे ही काम करने वाले हैं और उसी तरह से देखी जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट का विरोध करिये। इसमें जो पैसा खर्चा होगा वह यों ही होगा, ऐसे कई विभागों पर पैसा खर्च हो रहा है जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे जलबोर्ड इसमें कुछ नहीं हुआ, सिवाय चुनाव प्रचार के। इसमें पूरा चुनाव का काम हुआ है। सारे नौकरों पर दबाव डाला गया कि चुनाव में काम करो अन्यथा निकाल दिये जाओगे। किन किन नौकरों को जलबोर्ड से निकाला गया, किन किन को दबाया गया कि चुनाव में मदद करें, यदि माननीय मन्त्री जी को पसन्द है तो मेरे पास दो-चार पत्र हैं। उन्हें मैं यहां नहीं लाया हूँ। ओफिस में बता सकता हूँ। इसलिए जल बोर्ड के जितने काम हुए, वे केवल चुनाव मात्र के लिए हुए। आप कह सकते हैं कि आपकी मन्शा नहीं है। लेकिन वैसा क्यों हुआ, यह सब जानते हैं।

ऐसे ही शिक्षा की बात आती है। शिक्षा के अन्दर भी हमें यह नहीं मालूम होता है कि इतने स्कूल खोले जा रहे हैं, इनमें क्या शिक्षा दी जायगी? इससे तो अच्छा है कि कम स्कूल खोलें, अच्छे मास्टर वहाँ हों, ताकि अच्छी पढ़ाई हो,....

(श्री मदनसिंह)

(घंटी)

और बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा हो और वे चरित्रवान बनें। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को चरित्रवान बनना चाहिए। लेकिन यह चरित्र कहां से आयेगा? क्या सफेद टोपी में से निकलेगा।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मदनसिंह : Sorry.

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक सदस्य खड़े हैं। मैं माननीय से अर्ज करूं कि उनका समय समाप्त हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

१.११ म. प.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने एक घाटे का बजट प्रस्तुत है। ऐसे घाटे के बजट के वाद-विवाद में अगर समय का संकोच बरता जाय, तो मैं समझता हूं कि उसके प्रति भी न्याय करने में घाटा रहेगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें थोड़ी खुल्लत बरती जाय। घाटे का नाम लेते ही हमारे यहां कुछ लोग घबड़ा उठते हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो घाटे के बजट के लिए कह देते हैं कि ऐसे घाटे के बजट के लिए सरकार अनुमोदन की पात्र नहीं है। यह ठीक विचारधारा हो सकती है और यह व्यक्तिगत बजट के लिए ज्यादा सत्य है, लेकिन आज कल की नई परम्परा के अनुसार जहाँ हम कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करते हैं, जहाँ कल्याणकारी प्रजातन्त्र की नींव डालने जा रहे हैं वहां परिस्थितिवश कभी कभी यह लाजिमी बात हो जाती है कि इस तरह का घाटे का बजट प्रस्तुत करना पड़े। यदि हम केवल घाटे के शब्द के ऊपर जोर लगा कर सामान्य तरीके से घाटे की काट करते हैं तो यह विचार उपयुक्त नहीं। अगर घाटा जनसाधारण की स्थिति सुधारने के लिए है, तो वह घाटा वाटा नहीं है। आज का घाटे का बजट कल का फायदे का बजट बन सकता है, अगर जन साधारण की टैक्सेशन केपेसिटी को वह बढ़ाते हैं, जन साधारण की अनएम्प्लोयमेंट की समस्या को हल करते हैं, वस्तुओं की प्राइसेज़ संतुलित करते हैं। इन सब समस्याओं को हल करने से घाटा आता है तो वह घाटा नहीं है, किन्तु फायदा है। यह बात जरूर विचारणीय है कि मुतवातिर घाटा सही है या नहीं। जब हम एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और उसे मुतवातिर घाटे से बनाना पड़ रहा है, यह सोचने की बात है। हमारे पास कितने साधन हैं, कितना पोथा है, उसका विचार करना भी आवश्यक हो जाता है और मैं समझता हूँ कि हमारे पास कुछ साधन कम होते हैं लेकिन इस विषय को अलग कर विचार करने की आवश्यकता है। केवल करों के प्रति कटाक्ष नहीं फेंक सकते हैं। कई व्यवहारिक चीजें बीच में आती हैं। जब हमारा असंतुलित बजट, घाटे का बजट पेश हो, तो मुद्रास्फीती का भय पैदा होता है। कुछ हद तक मुद्रास्फीती आवश्यकता होती है, लेकिन जहां उससे असर कीमतों पर, कीमतों के संतुलन पर पड़ने लगता है तो हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और बजट को संतुलित करने की तरफ हमें प्रवृत होना पड़ता है, और वहां हम सीधे करों की व्यवस्था की तरफ, टैक्सेशन की तरफ अग्रसर हों, तो मेरे ख्याल से यह व्यवहारिक नहीं होगा, गलत

(श्री नारायणसिंह)

होगा गलत ही नहीं बल्कि सही आर्थिक सिद्धान्तों के प्रति हम अपनी समझ की कमी बताते हैं और इसमें भी सन्देह नहीं कि जन-साधारण की मनोवृत्ति के ऊपर हम ठेस लगाते हैं। यहां जब टैक्सेशन पद्धति का सवाल आता है तो मेरा विचार है कि इनडाइरेक्ट टैक्स और डाइरेक्ट टैक्स की खूबी और खराबी पर गहरा दृष्टिपात आवश्यक है। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन से बहुत चुपके से एक प्रकार से गरीब की जेब काटते हैं। कुछ ऐसी इनडाइरेक्ट टैक्सेशन के अन्दर चीजें हो सकती हैं जो सीधी गरीब की जेब न काटे, जैसे पेट्रोल पर टैक्स, जैसे व्हीकल टैक्स लेकिन अधिकतर चीजें ऐसी आती हैं, जो गरीब की जेब काटती है। डाइरेक्ट टैक्सेशन उसके मुकाबले में अमीर की जेब टटोलता है। धन वितरण को इसे सही सामाजिक तरीका कह सकते हैं। सही बात भी है। मैं इनडाइरेक्ट टैक्स के बजाय डाइरेक्ट टैक्स को उचित समझता हूँ और डाइरेक्ट टैक्स से भी जो पब्लिक लोन्स की एक व्यवस्था है, परम्परा है, उसे मैं अधिक उचित समझता हूँ। इस विषय में हमारे वित्त मन्त्री ने भी एक बात कही है कि जनता को देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में जन-सहयोग के मूल्य का भान हुआ है। यदि हम टैक्सेशन पद्धति में भी जन सहयोग के मूल्य का भान कराना शुरू करें तो उचित हो। डेफीसिट फाइनेंसिंग के लिए, टैक्सेशन का सख्त कदम आखिर में उठाना चाहिए। हम पब्लिक लोन्स और सेल ऑफ पब्लिक असेट्स से काम चलाना चाहिए, उनसे काम चलाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं वित्त मन्त्री महोदय को कुछ बातों के लिए बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने जहां कुछ लक्जरी गुड्स पर टैक्स लगाया है, नशे-पत्ते की चीजों पर टैक्स लगाया है, मैं समझता हूं, उन्होंने बुद्धिमानी का कार्य किया है। उसके लिए वे बधाई के पात्र होते हैं। कुछ सदस्यों ने इस विषय पर एतराज उठाया कि नशे-पत्ते पर टैक्स बढ़ाने से लोगों को शराब इत्यादि का मूल्य ज्यादा देना पड़ेगा और नशीली चीजों का मूल्य ज्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करूं कि एक तरफ तो जीवन स्तर को उठाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ नशीली चीजों की कीमतें ऊंची हो जाने से उस पर असर पड़ने की बातें उठाते हैं। इसी प्रकार हम प्रोहीबिशन का भी जिक्र कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोहीबिशन की जब हम बात करते हैं, प्रोहीबिशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पूरे पहलू को नहीं सोचते। उससे बहतर तो यह हो कि सरकार जिन नसीली चीजों को रोकना चाहती है, उनकी कीमत इतनी बढ़ा दे ताकि जन साधारण की क्षमता के ऊपर उनकी कीमत चली जाये। इससे राज्य की आमद पर फर्क नहीं पड़ता और जो कार्य हम अनुनय-विनय से करा सकते हैं, वह अधिकांशतः पूर्ण हो जाता है। हम समाज के हर कार्य के लिए लॉ नहीं बना सकते, उसी प्रकार प्रोहीबिशन के लिए लॉ बना कर इस आदत को नहीं छुड़ा सकते। इसके लिए लॉ बना कर हम राज्य की आय व्यवस्था को कम जरूर कर देंगे। अतः इस दृष्टि से जब हम कर लगाते हैं, तो मैं उनको अनुचित बात नहीं समझता। अब जहां मैं नसीली चीजों के ऊपर, लक्जरी गुड्स के ऊपर टैक्स बढ़ाने के लिए वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं वहां मैं उनसे एतराज भी करता हूं कि उन्होंने अधिक चीजों पर इस प्रकार टैक्स लगाया है जो

Page No.49

(श्री नारायणसिंह)

अनुचित है जैसे रो वूल, रो कॉटन, पिग आइरन, इत्यादि ऐसी चीजें हैं, जिन पर टैक्स लगाना अनुचित है । इसी तरह से सेल्स टैक्स के अन्दर जिन चीजों को अलग रखा गया था, जैसे ऑयल सीड्स, रॉ वूल, रॉ कॉटन इत्यादि पर पहले टैक्स नहीं था, वह अब भी नहीं होना चाहिए । मैं यह मानता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय को इस घाटे को पूरा करने में काफी उधेड़-बुन करनी पड़ी होगी । मैं जानता हूं जो उस काम पर बैठता है, उसको ही अपनी कठिनाई मालूम पड़ सकती है, केवल वाद-विवाद करना अनुचित है । मैं समझता हूं कि कर के भारी मसलों को हल करने में भारतवर्ष में क्या, सारे संसार में हर आदमी के दिमाग में ऐसी समस्या सामने आती है लेकिन इन बातों पर इतना ही सोच कर संतोष नहीं कर लेना चाहिये कि हमें इस कर पद्धति पर, कर लगाने से पहले विचार कराने की आवश्यता नहीं है । हमारे लिए कर लगाने के पहले उन करों का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है और इस बात को मैं सबसे पहली चीज़ मानता हूं कि जो आवश्यक चीज़ें है उनके ऊपर हम कर लगाने से अलग रहें, जिन चीजों का कन्ज़्यूमर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कहलाती हैं, उनको अलग रखें । इसके अलावा कर लगाना है, अगर कर लगाने की आवश्यकता है तो जो हमारी नीति है कि हम विकेन्द्रित पद्धति की व्यवस्था करना चाहते हैं, उसका ध्यान रखें । हम हैंड लूम इन्डस्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्री को इन्क्रीज़ करना चाहते हैं और इसकी आवश्यकता भी है । आज हैंड लूम इन्डस्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्री, हैवी इन्डस्ट्री के मुकाबले में खड़ी होवे तो वे उनके कम्पीटीशन में खड़ी नहीं हो सकती हैं, उनके लिए हम बहुत ही उचित प्रकार से, सहूलियत से हैवी इन्डस्ट्री के प्रोडक्ट पर कर लगा सकते हैं ।

इसके अलावा मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि जहां फसलों के अन्दर कैश क्रोप्स, फूड क्रोप्स का स्थान लेती जा रही हैं, उन पर भी कर की दृष्टि से खास तरह की नीति अख्त्यार करें जो कैश क्रोप्स को रोकने के बारे में हो, अथवा कीमतों का संतुलन ऐसा बिठायें कि जिससे वे रुक सकें । मेरा यह मतलब नहीं कि उनको बिलकुल रोक दिया जाय । कीमतों का संतुलन ऐसा बिठायें कि कैश क्रोप्स फूड क्रोप्स का स्थान न ग्रहण करें । मेरा मतलब यह है कि कर केवल बजट संतुलन ही नहीं बल्कि जन-साधारण की आर्थिक प्रवृत्तियाँ हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए भी यह आवश्यक है, यह बात हमें याद रखनी है ।

वित मंत्री ने अबकी बार एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की ओर एक नया कदम उठाया है जो सराहनीय है । यह बड़ा ही वैज्ञानिक और अच्छा कर है । हमारी कर पद्धति में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, इन्डस्ट्रियल रिवोल्युशन के बाद यह आया है । इसके पहले जो कर-व्यवस्था थी, शुरू की; वह अव्यवस्थित कर-व्यवस्था थी, उसकी देन थी लैंड रेवेन्यू, भूमिकर । तो यह भूमि-कर इतना वैज्ञानिक नहीं था । इस सम्बन्ध में डॉक्टर रंगा ने अपनी एक एग्रीकल्चर रिपोर्ट में लिखा है कि जो भूमि-कर लगता है वह पूर्ण तथ्यों की जांच करने से वैज्ञानिक नहीं उतरता । मैं जहाँ एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का लगाना उचित समझता हूं, वहां इस बात को

(श्री नारायणसिंह)

भी जरूरी समझता हूं कि हमें इस बात को ध्येय बना लेना चाहिए कि भूमि-कर को किसी तरह घटाना है। इसको हटाने से हजार दो हजार की आमदनी तक के कृषक बिलकुल छूट सकते हैं। यह एक नया कदम होगा। इसके लिए एक ऐसी कमेटी जरूर नियुक्त करनी चाहिये जो इस मसले को पूरी तरह से विचारे कि भूमि-कर हटाने से कितना घाटा पड़ेगा और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से कितनी क्षति-पूर्ति होगी।

इसके अलावा एक चीज और मेरे सामने आती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हम कर लगाना चाहते हैं तो हैवी इन्डस्ट्रीज़ पर डेवेलपमेण्ट सैस क्यों नहीं लगाया जाये? जिनकी सब्सक्राइब्ड केपिटल १० लाख से ज्यादा हो, उन हैवी इन्डस्ट्रीज़ पर हैवी कर क्यों न लगायें, इससे हमारी रेवेन्यू में इज़ाफा हो सकता है। जहां पर हैवी इन्डस्ट्रीज़ के लिये कर का सवाल उठता है, वहां मजदूरों और मालिकों का सवाल भी हमारे सामने आ जाता है। हम मजदूरों को पूंजीपतियों के जाल से बचाने का प्रयत्न करते हैं; सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के लिए नियम बनाते हैं, इसके लिये कानून पास कर रहे हैं, हम उसके लिये न्यूनतम वेतन, मजदूरी भी तय कर रहे हैं और कई ऐसे विधान कर रहे हैं जिससे उनकी मजदूरी में, रोजगार में इज़ाफा हो। पर इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक तरफ स्ट्राइक्स का सिलसिला देश में बराबर जारी है और दूसरी तरफ केपिटलिस्ट की लोक आउट्स का बोलबाला है। इस रस्सा कस्सी में इस समस्या का कोई पूर्ण हल नजर नहीं आता। इसमें हमें एक बिलकुल नई समूची नीति को, बोल्ड नीति को अख्त्यार करने की आवश्यकता है।

हमें लेबर को भी उसके उत्तरदायित्व का ध्यान दिलाना है और केपिटेलिस्ट्स को भी उनके उत्तरदायित्व का ध्यान दिलाना है। हमारी अर्थ व्यवस्था में लेबर के लिये यह होना चाहिये कि वर्क लोड्स और वर्क क्वान्टिटीज़ के अनुसार मजदूर का मजदूरी में कुछ उचित शेअर निर्धारित कर सकें। इसकी भी पहले जांच-पड़ताल की काफी आवश्यकता है।

इसके अलावा यह भी आवश्यकता है कि लेबर इन्डस्ट्रीज़ में सरकार स्वयं शेयर लेने का विचार करे। सरकार को लाज़िमी तौर पर ऐसी इन्डस्ट्रीज़ में शेयर लेने चाहिये! शेयर वेल्यु से शेयर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं, मार्केट वेल्यू से शेयर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से जमींदारों, जागीरदारों की समस्या में मार्केट का खयाल नहीं रखा गया और मुआवज़ा दिया गया उसी तरह की नीति इन इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में भी सरकार को अख्त्यार करनी चाहिये। १० लाख के ऊपर जिसकी सब्सक्राइब्ड केपिटल है, उस इन्डस्ट्री में सरकार के शेयर जरूर होने चाहिएं। सरकार दूसरी इन्डस्ट्रीज़ में, बजाय इसके कि वह शेयर्स लेने की प्रवृत्ति में आये, लोन्स देने की उसकी प्रवृत्ति हो। मैंने देखा है कि राजस्थान सरकार ने कई इन्डस्ट्रीज़ में शेयर्स ले रखे हैं और मैं समझता हूँ कि यह देन उस जमाने की है जब रियासतें थीं, जो अलग अलग धन्धों में शेयर्स ले लेती थीं।

शेयर्स लेने में बहुत रिस्क इन्वोल्व्ड होता है, शेयर्स फ्लक्च्युएट होते रहते हैं, एकसे

Page No.51

(श्री नारायणसिंह)

नहीं रहते, शेयर्स के घटाव-बढ़ाव से सरकार को हजारों, लाखों, करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से सरकार को बचने की आवश्यकता है, इन्डस्ट्रीज़ को लोन्स देने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस इन्डस्ट्री को वह विकसित, प्रोत्साहित करना चाहती है उसको लोन देने की पद्धति सरकार अख्यार करे। इसमें कोई खतरा नहीं होता, लोन्स वसूल हो सकते हैं और सरकार इन्डस्ट्रीज़ को जो लाभ पहुँचाना चाहती है वह लाभ भी पहुँचा सकती है। भ्रष्टाचार का एलीमेंट अभी बिलकुल साफ नहीं हुआ है और इसमें जिन लोगों के पास, जिस किसी अफसर आदि के पास शेयर्स की जिम्मेदारी होगी उसके डिस्क्रिशन के अन्दर कुछ फर्क आ सकता है। इसलिए मैं शेयर्स से ज्यादा लोन की पद्धति को ठीक समझता हूँ।

मजदूरों और मालिकों की समस्या के बारे में मैं कह रहा था, इनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं उनका ताल-मेल प्रबन्ध क्षेत्र में बैठे और इसमें सरकार का आर्थिक एवं प्रबन्ध सम्बन्धी हस्तक्षेप भी हो। मजदूर, मालिक और सरकार तीनों मिल कर काम चलायेंगे तो स्ट्राइक्स और लौक-अप की समस्या हल होगी। इतना ही नहीं, मजदूरों को पूरा लाभ मिल सकेगा। जो व्यवस्था करना चाहते हैं वह व्यवस्था ठीक हो जायगी और प्रोडक्शन पर हमारे देश में अधूरी नीतियों से जो धक्का आता है, वह नहीं आयेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं कुछ समय और लूंगा।

अब प्रशासन के ढांचे की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रशासन के खर्चे का घटता दायरा तथा सामाजिक सेवाओं का बढ़ता दायरा बजट की क्षमता का द्योतक है, नहीं तो सरकार सेवा के स्वरूप को एक तरह से प्रशासन के ढोल में ही खो बैठती है। मैं समझता हूं, मैंने बजट के थोड़े से आंकड़े देखे हैं, उससे मैं महसूस कर पाया हूं कि राजस्थान सरकार ने इस ओर काफी प्रयास किया है। मैं यह भी मानता हूं कि यह मामूली काम नहीं है कि प्रशासन को किस तरह हल्का किया जाय। बात कहना सहल है, काम करना मुश्किल है। इसमें एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये जो प्रशासन में किस तरह, हर तरफ से इकोनोमी लाई जा सके, इसकी एक बाकायदा रिपोर्ट पेश करे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां टेक्निकल केडर्स की कमी की ओर। इसका जिक्र हमें बजट की कार्यवाही में और भाषण में मिलता है। केन्द्रीय सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, इकोनोमिक एण्ड स्टेटिस्टिकल केडर्स खोले हैं। स्टेटिस्टिक्स की तरफ हमारी राजस्थान सरकार ने कुछ ध्यान देना शुरू किया है, इस पर भी संकेत बजट के आंकड़ों में मिलता है। इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि जहां टेकनिकल कन्सनर्स और डेवेलपमेंट का प्रश्न आता है वहां पर आई० ए० एस० और आई० पी० एस० इत्यादि अफसर सही तरह से काम अंजाम नहीं दे सकते। वहां तो कोई हिकमत वाला टेकनिकल केडर वाला ही काम अच्छी तरह से कर सकता है। हिकमत और हुकूमत में काफी फर्क होता है। हिकमत

(श्री नारायणसिंह)

वाला अपनी हिकमत से जो बुनियादी कार्य करा सकता है वह हुकूमत करने वाला नहीं कर सकता और हमारे डेवेलपमेंट के लिए हिकमत ही कि पूरी पूरी जरूरत है ।

अब मैं थोड़े में पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार श्रीमान् राज्यपाल महोदय के भाषण के अवसर पर भी प्रकट किए थे और उस समय भी मैंने चार बातों पर मुख्यतः प्रकाश डाला था । उसको यहां पर दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि हमारी योजना में नियोजन की कमी, अंक व्यवस्था की कमी, प्रशासनिक तत्परता की कमी, और सामाजिक दृष्टिकोण आदि की हमेशा कमी रही है । मैं इन बातों को ज्यादा इस समय यहां बढ़ाना नहीं चाहता । मैं यही कहूंगा कि सरकार स्टेटेटिक्स की तरफ जरूर कदम बढ़ा रही है और बढ़ाया है और यहाँ कहा भी जाता है हमारे नियोजन नीचे से शुरू होता है । तहसील स्तर से प्रोग्राम बनकर आते हैं, मैं मानता हूँ कि जो प्रोग्राम तहसील स्तर से आता है इससे जरूर लोगों को हित होगा, मगर कोई ग्रामीण यदि फिर भी यह शिकायत करता है कि उसको दिया उन्नत बीज या खाद असफल रहा या उसके यहां फलां काम होना चाहिए जो जरूरी था फिर भी नहीं हुआ, या फलां फलां सड़कों के पुल टूट गये हैं, फलां फलां जगह स्कूलें नहीं बनी है, इस प्रकार की जब शिकायतें आती हैं तो यह सोचने की आवश्यकता हो ही जाती है कि कितनी राहत हम पहुंचाना चाहते हैं वह क्यों नहीं पहुंचती, कहाँ नियोजन में कमी है, जब प्रोग्राम नीचे से आ रहे हैं । शोर्ट फॉल्स की शिकायत स्वयं फाइनेन्स मिनिस्टर करते हैं और इस विषय में मैं आपका ध्यान फाइनेन्स मिनिस्टर के भाषण के पेज ४ और ५ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जहां ऐसे शार्ट फॉल्स की चर्चा है । व खुद इस बात को मानते हैं कि व्यवस्था का अभाव जरूर रहा है । आपने उनके भाषण को सुना होगा उन्होंने इस ओर इशारा किया है और हम यह मानते हैं कि हमारा मूल सिद्धान्त आर्थिक स्वावलम्ब होना चाहिये । हर गांव को और जिले को आर्थिक स्वावलम्ब का एक चित्र बनाना होगा । इसके लिये छोटे-छोटे दायरे बना लिये जावें और हर दायरे में स्वावलम्बन के सिद्धान्तों को पूरी पूरी तरह से लागू किये जावें । चार–चार या पांच-पांच या ज्यादा गावों के दायरे बना लिये जावें और हर दायरे में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे और इन्डस्ट्रीज़ और दूसरी चीज़ों के उत्पादन का पूरा नकशा बनाया जावे । रोटी और कपड़े की जरूरत को पूरा करने का प्रश्न है इसके लिए प्रोग्राम बनाये जावें और.... ..

(घंटी)

मैं ५ मिनट और बोलना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Mine is an unpleasant duty, Hon'ble Member.

श्री नारायणसिंह : Just a few minutes more. Only two or three, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Only two minuts.

श्री नारायणसिंह : All right. तो अगर हम स्वावलम्बी बनना चाहते हैं तो हमको अपना काम दायरे वार बना कर

Page No.53

(श्री नारायणसिंह)

शुरू करना होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि यदि इस प्रकार दायरे बना कर कार्य किया जावेगा तो काफी प्रगति कर सकेंगे। और हम दूसरे देशों को अवलंबित कर सकेंगे।

हमारे यहां पर गांवों में कहा जाता है कि इतने मन बीज सरकार ने गांववालों को अच्छे किस्म के दिये, इतना खाद दिया, मगर हमारी सरकार के पास इसकी कोई सही सूचना नहीं, उनका क्या उपयोग हुये, वे कहां तक सफल हुए। हमारे यहां पर हर पांच गांवों के बीच एक डिमोन्स्ट्रेशन plots होना चाहिये जो गांवों में खेती की उन्नति के लिए किसानों को अच्छे दर्जे के बीज उपलब्ध कर सके। इसके अलावा जो हमारे कृषि के प्रयोग हैं उनका प्रचार किसानों में होना चाहिये। जो अभी नहीं हो रहा है। अगर हर पांच गांवों के बीच डिमोन्स्ट्रेशन plots होंगे और विलेज लेवल वर्कर हर पांच गांव पर होगा तो यह चीज़ हो सकेगी और किसानों इससे बहुत फायदा पहुंच सकेगा। इसी तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि village level workers व बी. डी. ओ. भी लोकल व्यक्ति ही होने चाहिये। कई कार्यकर्ता हैं जो वयोवृद्ध हैं, अनुभवी है उन्हें पार्ट टाइम ट्रेनिंग देकर बी. डी. ओ. का काम करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उनमें वह लगन एवं कार्य तत्परता होगी जो बाकायदा प्रशासन से आये लोगों में नहीं पाई जायेगी।

इसके अलावा छोटी सिंचाई योजनाओं पर हमको काफी ध्यान देना चाहिये। क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जो अधूरी पड़ी रह जाती हैं। हमको चाहिये कि जो योजनाएं हम उठावें पूरी हों, ऐसा न हो कि कोई योजना अधुरी पड़ी रह जाये और कार्य न हो। इसके लिए देखभाल जरूर होनी चाहिए। मै कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे क्षेत्र में गांधीसागर बांध योजना है उसकी कुछ साल पहले राष्ट्रपति जी ने नींव डाली थी। मगर उस नींव डालने के बाद कोई काम नहीं हुआ वह नींव ही नींव वहां पर डाली हुई पड़ी है। वहां पर अभीतक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। बजट में देखता हूँ तो जिस इसी योजना के लिए ३८ लाख का प्रोविजन था वहां पर अब २ लाख का प्रोविजन ही दिखाई पड़ता है। मै नहीं समझता कि दो लाख से कौन सा कार्य वहां पर समाप्त हो सकेगा। इस गांधीसागर को नारायण सागर प्रोजेक्ट के नाम से इस बजट में अंकित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है कि जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं उनको पूरी करने की ओर तुरन्त कदम उठाया जाये।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतहसिंह

श्री फतहसिंह (भीम): Sir, the time allotted is so short that one cannot possibly deal with all the important aspects of this important question. One can only rush through it.

Sir, the Finance Minister has given us a deficit and unbalanced budget. The budget is deficit by 380.61 lacs. Out of this deficiency the Finance Minister proposes to

(श्री फतहसिंह)

make-up or recover Rs. 105 lacs by additional taxation . This additional taxation will be in the form of agricultural income-tax, sales tax, and entertainment tax, irrigation tax, etc. These taxes are direct taxes and as such they will effect the poor people, particularly the kishans and the middle class and affect the business also adversely. Sir, therefore, they will make the poor people more poor and I therefore, advice the Government to cut the coat according to the cloth available. We should not have a deficit budget, and anyhow, this additional taxation should be dropped and if the Government considers any cut in the budget unnecessary, then this deficiency should be made good by asking for a loan either from the Centre or from any other source.

Sir, we are spending a very large portion of budget on development projects and works, but the success achieved is certainly not in proporation to the huge amount spent. What is the yard-stick to measure the success in this field ? It cannot be certainly measured in terms of the money spent. We cannot say that because we have spent 80% of the budget allotted for that particular work, so the success achieved is 80%. Such an argument is absured and ridiculous. I should be allowed to say that our Finance Minister was not correct when he measured the success of the First Five Year Plan in terms of the money spent.

Sir, opening of the school and colleges and construction of roads, canals and bunds, though it may prove quite good at a later stage, will not solve the problem of the people, and it is not real develoment at all. Real development consists in giving the people social security, and social security means ending unemployment, disease, want and ignorance. So let us examine this budget in light of this statement. Coming to want, Sir, our Government is spending a lot of money on irrigation projects, constructing many dams, tanks and rapats. But I should be allowed to say that in doing so territorial loyalty and affinity of the ministers in particular and of the members of the ruling party in general have been taken into consideration. I must be frank to say that those areas which did not return the Congress candidate either in the elections of 1952 or of 1957 have been deliberately and intentionally neglected or omitted from the scope of such devolopment works. This attitude on the part of the ruling power or the Government and the Ministers are not conducive to the good functioning of democracy in this country. Such an attitude is unconstitutional and undemocratic. To deprive the people of the benefits of

(श्री फतहसिंह)

development work because they did'nt vote or return the Congress condidate after election is certainly dictatorial and is not justified in any way. Sir, I am particularly speaking about Bhim Sub-Division. Bhim Snb-Division is a scarcity effected area. It's people are backward educationally, economically and socially. There is always scarcity of rainfall, and as far as I am able to see, Sir, in this budget, no money has been ear-marked for being spent in that area. I may be corrected by the Finance Minister, if that is so. So far as I am able to see no amount has been ear-marked for being spent in that area. In this connection I should be allowed to say that Merwara which forms the part of Beawar Sub-Division of Ajmer District, is also a scarcity-effected area. Monsoon often fails there. To solve the water problem of that area I ask the Government to examine the scheme seriously and earnestly. There is one Kardia-Dehnala near the 24th. mile stone on the Beawar-Todgarh road. The water of that nala can be diverted and taken to other tanks in Merwara by means of lifts, dams or canals. This will solve the water problem of Merwara permanently to a very large extent.

Coming to the Government's duty to end disease, I have a few words to say. Sir, it is the primary duty of every Government to look-after the health of the people. If one sees at the Budget, it will be clear that Rs. 3,84,75,000/- are being spent under the head 'Medical and Public Healh'. Any impartial observer will see almost a lion's share of this expenditure is being spent in the urban areas, the towns and the cities. The rural areas are getting very unequitable and insignificant portion of it. Sir, the majority of the population of Rajasthan lives in rural area. Why can't the rural area people have hospitals in the villages? We cannot expect the villages, the sick and dissased villagers to go all the way from distant villages to Hospitals in the towns. Sir, I advice the Government to have hospitals in the rural areas, Although, I know it is a difficult task, it requires financo, but the villagers must have their shares. But to begin with if there is difficulty of finance I ask the Government to have disponsaries in the villages, say within, a redius of every 5 miles. This will help the villagers considerably, and until that too is done, I ask the Government to thnik seriously of having mobile dispensaries in the rural areas, say, one for every tehsil or one at least for every sud-division. This is a suggestion which must be considered very seriously.

Sir, as I said, it is the primary

(श्री फतहसिंह)

object of the Government to end unemployment, but from this budget it is nowhere clear as to what this Government is going to do to tackle the unemployment problem in this State. Unemployment problem, particularly of the educated middle-class, is becoming serious and acute every day. I read in the news papers about a fortnight ago that the educated youngman from Nathdwara who had gone to Udaipur in search of employment died or committed suicide because he could not get employment. There are so many cases of such suicides of the educated youngmen because they are not getting employment. This state of affairs does not do any credit to any one of us sitting here. The Government must think of handling this problem, I should be allowed to say at this stage that it was the educated middle-class which did more than any one else in the country to achieve independence or to bring about an achievement of independence. I want this Government that the same middle-class, if unemployment problem is not solved in time, may ris in revolt and may over-throw the present set-up of Government. These are very harsh words, but I am compelled to say so. We must find certain ways and means for ending unemployment. I am suggesting a few of them here :

(1) We must fix the ceiling of land-holdings, and the surplus land that thus become available and the land at the disposal of the Government must be distributed to those people who have not got the land.

(2) The second proposal is that we must spend lot of money on cottage industries in the rural area. This will also solve the unemployment problem of the rural area to very a large extent.

So such other methods can be found out and the Gevernment must look to it.

Sir, I am only rushing through a few points here and there. It is the primary duty of the Government to end the ignorance also. The Government must educate the masses, the people. The Government is doing that to a very large extent. I congratulate the Govern nment about it. But in this connection also I cannot help pointing out that the Government fails to see where to spend and where not to spend. I am giving an instance. In this Budget a provision has been made for a middle School at Jawaja. A provision of Rs. 32,900 has been made. There is a school at a distance of not more than 3 miles in Surajpura. If these two schools run simultaneously, you will have to close either of the two. The school of Surajpura is running for the last 5 or 6 years. Then what is the use of the second school ? If the Govern-

Page No.57

(श्री फतहसिंह)

ment has got a large amount of money, and they want to have middle school started, then they can start it somewhere at other place. I suggest that instead of having a middle school at Jawaja they should have opened a middle school at Kotra, at a distance of 7 or 8 miles from Jawaja. So I am only pointing out that the Government failed to see where to open and where not to open a school.

The other thing that I have to say is about the nationalisation of books. I am of the opinion, and I have the opportunity of taking this point over with many learned men also. They were telling me that this nationalisation of books will do more harm than good to the education of the people, because in this way we are almost taxing the intellectual, and favouritism and nepotism will also come in the picture, and only those books will be approved whose writers are friends and relatives of the people in authority.

The other thing that I have to say about the education is that the Government must give an assurance that the money allotted for education in the State of Ajmer will be spent in the State of Ajmer only. I am particularly talking about the Sanatandharm College of Beawar. We have M. A. classes there, but there is an apprehension that from July next the M. A. classes there will be discontinued and opened at Udaipur. We do not object the opening of M. A. classes at Udaipur, but not at the cost of Beawar. Beawar is an Industrial town. The M. A. classes were opened at Beawar one year ago. One can argue that the students are not many at Beawar so the classes should be dis continued. For that I have to answer that Rome was not built in a day. We have even students who have taken Ph. D. course there. There are about ten such students.

Coming to Administration of justice, it is a very important subject on which I cannot help stressing in this House. When I was speaking on the Governor's Address in this House I stressed that we must separate the judiciary from the executive. This separation of the judiciary from the executive is laid down in the Directve Principles of our Constitution also. But I was surprised to see that our Chief Minister when replying to the Debate on the Governor's Address did not say a word about the separation of the judicary from the executive. It was clear that either the Government did not understand the significance of it or probably what I said was not followed. Sir, even other friends - the hon'ble Shri Tansingh had also spoken about this subject

(श्री फतह सिंह)

and I would not waste the time of this House any more on this subject.

(घन्टी)

I will take only one minute, Mr. Dy. Speaker.

Our State and the Government is establishing a socialistic pattern of society in the State. But does the Budget in any way justify the shouting of suoh a slogan on the top of its voice ? On the one hand we want to create the socialistic pattern of society but on the other hand, we are increasing the privy purses and the charity allowances of the ruling princes. When I am saying this I have in view His Highness the Maharana of Udaipur to whom a charity allowance of rupees two lacs has been sanctioned very recently.

Sir, as other speaker Shri Sribhan Singh had pointed out we must do something to nationalize our transport. I do not certainly mean that transport should be nationalised all of a sudden and over-night. We must have two sectors- the public sector and the private sector. The private sector can still remain under the hands of the private individuals whereas the public sector should taken over immediately by the Governmeut. Sir. this thing should be kept in view.

On the whole, I should say, afforts have been made in this budget to ameliorate the condition fo the people. though there are d efects here and there.

श्री हरिश्चन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिये कि उन्होंने इस सदन के सामने यह बजट पेश किया, लेकिन चन्द बातें ऐस हैं जिनको मैं यहां पेश करना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैंने जो भाषण यहां सुने उनके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ कन्फ्यूड थिंकिंग (confused thinking) हो रहा है और वह ऐसी बातों में हो रहा है, जैसे सर्विसेज़ के। ऊपर सर्विसेज़ के बारे में यह कहा जाता है कि सोशिलिज्म के प्रीन्सिपल ये हैं कि ऊपर जो आदमी यानि जिनकी पे ऊंची है उनको नीचा लाया जाय और नीचे वालों की पे ऊपर ले जायी जाय। मैं इसके लिये कुछ कहना चाहता हूँ; सोशियलिज्म यह नहीं है। सोशियलिज्म यह है कि ऊपर वाले हैं उनको नीचे लाने की जरूरत नहीं, उनको ऊपर ही रहने दें उनको नीचे लाने की जरूरत नहीं। सोशियलिज्म यह प्रीच (preach) करता है कि नीचे स्तर वाले जो लोग हों उन्हें ऊपर उटाया जाये। ऊपर वालों को वहीं रहने दो, कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि नीचे वाले लोग जो हैं उन्हें ऊपर उठावें।

सर्विसेज़ के लिए मैं यह कहूंगा क्यों कि मैं खुद भी सर्विसेज में रहा हूं। आप कह सकते हैं कि यह वीक स्पोट (week spot) है मेरा यह कहना है कि सर्विसेज़ को बराबर ट्रस्ट किया जाता रहा है। हमारे विधान के अन्दर भी। हम यहां देखते हैं कि जो भी बहस होती है उसमें कहा जाता है कि जिनकी तन्ख्वायें ऊंची हैं उन्हें नीचा लाया जाये। सर्विसेज़ में भ्रष्टाचार है, इस प्रकार हमारे

(श्री हरिश्चन्द्र)

यहां कहने से सर्विसेज़ पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं यह भी निवेदन करूंगा, आप इंगलैंड की मिसाल लीजिए। वहां कन्ज़र्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टीज़ हैं। उनके व्यूज़ सर्टेन मेटर्स में डिफ्रैंट व्यूज़ हैं। बेसिकली वे कभी सर्विसेज़ को टच नहीं करते। वे समझते हैं कि एक दफा सर्विसेज़ के पे स्केल्स फिक्स कर दिये, वे ही कायम रहेंगे, चाहे लेबर पार्टी की गवर्नमेन्ट आये या कन्ज़र्वेटिव पार्टी की। अगर हम सर्विसेज़ को यहां डिसकस करते हैं तो इससे सर्विसेज़ क्लास डिमोरेलाइज्ड होती है। अगर आप राजस्थान का उद्धार चाहते हैं, हिन्दुस्तान का उद्धार चाहते हैं तो जब सर्विसेज़ सेटिसफाइड होंगी तभी उद्धार कर सकेंगे। आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लीजिये, चाइनीज़ गवर्नमेन्ट को लीजिये या केपिटलिस्ट कन्ट्री की अमेरीकन सरकार को लीजिए, इंगलिश गवर्नमेन्ट को लीजिये, वहां कहीं भी सर्विसेज़ के बिना काम नहीं होता। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि एक दफा हम बैठ कर यह तय कर लें, एक विचारधारा से हम हमेशा के लिए एक बात कायम करदें और सर्विस क्लास को निश्चिन्त कर दीजिये कि हम तुमको नहीं छेड़ेंगे। अगर कोई गलती करता है तो उसको निकाल बाहर कीजिए। जिस प्रकार मशीनरी का कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं। सारी मशीनरी ही खराब हो, यह मैं नहीं मानता।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि यहां कहा गया कि टैक्सेज़ न लगाये जायें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा उद्धार होना चाहिये और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि टैक्सेज़ न लगाये जायें। इसके सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करूं, जब तक टैक्सेज़ हम नहीं लगायेंगे हमारे प्रांत का उद्धार नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ सकते। अब देखना हमें यह है कि टैक्सेज़ जो लगे उनका प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इस टैक्स के कारण इन्डीवीज्युअल इन्सेन्टिव पर टैक्स का क्या भार पड़ता है? अगर ये दोनों बातें ठीक हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप टैक्स लगा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले वे इस बात को जांचें और देखें कि आज जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनका असर प्रोडक्शन पर क्या पड़ता है और इन्डिवीज्युअल इन्सेन्टिव पर क्या असर पड़ता है। ये अगर लोगों को किल करते हैं तो टैक्सेशन की पोलिसी गलत मानी जायगी किंतु अगर ये ठीक हैं तो आप टैक्स लगा सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह भी कहूँगा, हमने तरक्की की है या नहीं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कई बातें हो सकती हैं। आज कई प्रकार की मजबूरियां हिन्दुस्तान के सामने हैं, राजस्थान के सामने हैं फिर भी मुझे इस बात को कहते हुए गौरव का अनुभव होता है कि हम धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं जरूर कहूँगा। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। हम बढ़ रहे हैं आगे, तरक्की की ओर। आज से दस साल पहले जो हमारे प्रान्त का नक्शा था वह आज नहीं है, तो हमें इस बात को मानकर चलना होगा कि हमने तरक्की की है और तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं।

दूसरी बातें टाइम कम होने के कारण जल्दी जल्दी में कहनी पड़ रही हैं। हमारा

(श्री हरिश्चन्द्र)

लक्ष्य क्या है ? हमारे एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स (aims & objects) क्या हैं ? यहां बेरोजगारी कम हो, आर्थिक सुधार हो, ये दो एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स हमारे सामने होने चाहिये । इसके सिलसिले में मैं कहूंगा कि यह ८० प्रतिशत राजस्थानकी पोपूलेशन काश्तकारों की है और हमको यह सोचने की जरूरत है कि काश्तकारों की किस तरह से तकलीफें मिटें और किस तरह से उनकी उन्नति हो ।

२. १ म० प०

इसके सोचने में दो बातों की बड़ी जरूरत होती है । देश को बनाने में दो चीजें बड़ी मुख्य होती हैं । मैं आपके सामने निवेदन करूं एक है प्लानिंग और दूसरा है साइन्टिफिक रिसर्च । ये दो बातें आपके सामने जब तक नहीं होंगी तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती । प्लानिंग के लिये यह कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग आज कल हमारे यहां हो रहा है वह ऐसा होता है कि एक आदमी के पास इतना काम हो जाता है रूटीन वर्क का कि वह प्लानिंग नहीं कर सकता, दिमाग अपना प्लान पर नहीं लगा सकता क्योंकि उसके पास प्रेशर ऑफ रूटीन वर्क इतना होता है कि वह काम के बोझ के नीचे दब जाता है, प्लानिंग की तरफ नहीं सोच पाता । जो सरकार के दिमाग हैं उनको रूटीन वर्क में नहीं फंसना चाहिये, वे रूटीन वर्क से बिलकुल दूर हो जावें । इसके बाद उनको समय मिलेगा सोचने का कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ।

अगर इधर हमने ध्यान नहीं दिया तो प्लानिंग डिफेक्टिव रहेगा हमारा । मैं इसके सिलसिले में और कहूँ कि आपनो तहसील लैवल या डिस्ट्रिक्ट लैवल पर प्लानिंग करने की जरूरत है । प्लानिंग आज भी होता है, नहीं होता बिलकुल, यह मैं नहीं कहता पर प्लानर्स के पास इतने दूसरे काम भी हो जाते हैं कि वे प्लानिंग की तरफ ठीक तरह से सोच ही नहीं पाते ।

दूसरी बात है रिसर्च की । कई बातें ऐसी हैं राजस्थान में जिन पर रिसर्च करने की जरूरत है । मैं कुछ कहूँगा इसके मुतल्लिक । जैसा कि मैंने पहले कहा कि ८० प्रतिशत हमारे यहां काश्तकारी है, तो उनके लिये सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि हम यह सोचें कि उनकी तरक्की कैसे हो ? इसके लिये जब तक उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती । उनका प्रोडक्शन किस तरह से आप इन्क्रीज़ करेंगे ? वह इन्क्रीज आप करेंगे सिंचाई के जरिये से । यह मैं कहूं कि राजस्थान में सिंचाई के लिये बहुत किया गया है । चम्बल डैम बन रहा है तथा और डैम भी बन रहे हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ यह भी देखना है कि छोटी–छोटी योजनायें भी हाथ में ली जावें और उनमें भी पैसा लगाया जावे ताकि जो हमारे पास पैसा है, जो हमारी फाइनेंशियल पोलिसी है, वह इक्वली डिस्टीब्यूट हो जावे सारे काश्तकारों में । तो बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ हमें छोटी छोटी योजनाएं भी चलानी चाहिये ।

एक बात और निवेदन कर दूं । आपके यहां सड़कें बनती हैं, तो उनमें जगह जगह पुल बनाये जाते हैं । इसके लिये यह निवेदन करूं कि इसके लिये इस तरह के ऑर्डर पास हो जावें तो अच्छा है कि जितने भी पुल बनाये जावें उनके गेट्स लगें ताकि जो भी पानी बरसात के समय आवे वह तो फिलो हो जावे, बाकी बरसात खत्म होने पर वे

(श्री हरिश्चन्द्र)

गेट्स बन्द कर दिये जावें। इससे यह होगा कि काफी पानी वहां रोका जा सकेगा। इससे कई लाभ होंगे। इस पानी का कई कामों में उपयोग किया जा सकेगा। वेजिटेशन आपका बढ़ेगा, आपका वाटर लैवल ऊंचा उठेगा, यह एक बड़ी भारी चीज हो जाती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा सरकार से कि इस तरह से एक हुक्म निकाले वह कि जितनी भी पुलियाएं हैं उनमें एक एक शटल-गेट लगाया जावे और जिस वक्त बरसात खत्म हो जावे उस वक्त वह बन्द कर दिये जावें ताकि वहां पानी भरा रहे। इससे कई मीलों पानी मिलेगा, कई गांवों के पास पानी पहुँचेगा, वेजिटेशन की ग्रोथ होगी, वर्षा भी इन्क्रीज़ होगी और पक्के कूओं का लैवल, जहां आज तीस तीस और चालीस-चालीस फुट खोदना पड़ता है वहां तब बीस-बीस फुट के लगभग ही खोदना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके कई फायदे हैं।

इसके बाद खाद पर कुछ कहना चाहता हूं। खाद के लिये ऐसा है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये पर यह तभी बढ़ेगा जब आप के पास खाद हो। खाद के लिये जब मैं कहता हूँ तो कई भाई यह कहते हैं मुझसे कि फर्टीलाइज़र का इस्तेमाल करो। मैं निवेदन करूं कि फर्टीलाइज़र जो हैं वह एक तरह से विटामिन की तरह से हैं। यह वही असर करता है जमीन में जो विटामिन खाने पर आदमी पर असर होता है। अगर आप ज्यादा विटामिन खालें तो बुरा असर पडता है। तो इसी तरह से इस फर्टिलाइज़र को अधिक डाल दिया, इसका अनुपात नहीं मालूम किया, तो यह भी जमीन को खराब कर देगा। तो हमारे यहां जो काश्तकार हैं इनमें शिक्षा की कमी है और इस कारण से वे इस फर्टिलाइज़र का कभी ठीक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इसकी मिक्दार के बारे में मालूम नहीं है कि किस खेत में कितनी खाद डालनी चाहिये व किस जगह कितनी डालनी चाहिये। तो यह खाद का भी एक प्रोब्लम इस रूप में हमारे सामने है। हमारे यहां आज क्या होता है, जो वास्तविक कुदरती खाद होती है और जिसे खेतों में डालना चाहिये उसे जला देते हैं। छाणे (कण्डे) जिन्हें हम कहते हैं वे जला देते हैं। लकड़ी की कमी है हमारे यहां। फ्यूल वुड नहीं है तो यह होता है कि इसकी जगह पर इस उपयोगी खाद को जला देते हैं। तो यह एक विशियस सर्किल है, इसको तोडने की जरूरत है। तो यह मैंने जो रिसर्च की बात कही, साइन्टिफिक रिसर्च इस बारे में करना चाहिये कि कौनसी ऐसी लकड़ी है जो छः-सात महीने में ग्रो हो जावे और जलाने के काम में आ सके। इस तरह से लकड़ी का प्रोब्लम खत्म हो सकता है। मैं कहता हूं कि इस मामले में दूसरे मुल्कों में भी लोगों ने बहुत रिसर्च किये हैं। तो उसी तरह से यहां भी हम इसके बारे में रिसर्च करें ताकि हमें ६ महीने या साल भर में ग्रो होकर ऐसी फ्युल वुड मिल जावे। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते ?

दूसरा मामला है ट्रान्सपोर्टेशन का। इसके बिना ठीक मार्केट नहीं मिलता और ठीक मार्केट नहीं मिलता तब तक प्रोडक्शन बेकार है। इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि सड़कों का प्रोब्लम बड़ा भारी प्रोब्लम है हमारे सामने। राजस्थान में सड़कें बनी हैं, पर इसमें और सोचने की जरूरत हैं और जहां तक हो सके सेकन्ड

Page No.62

(श्री हरिश्चन्द्र)

फाइव इयर प्लान को इम्प्लीमेन्ट करने की निहायत जरूरत है ताकि पांच-पांच हजार की आबादी के भी जो गांव हैं वहां भी सड़कें पहुँच जावें। इससे प्रोडक्शन इन्क्रीज होने पर किसानों को उसका पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।

फिर हैं मार्केटिंग सोसाइटीज्। यह एक बड़ा जरूरी प्रोब्लम है। काश्तकार अपनी पैदावार पैदा करता है और उसको अगर अपने प्रोडक्शन की ठीक ठीक कीमत नहीं मिलती है तो उसके प्रोडक्शन का इकोनोमिक स्टेटस नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिये हमें मार्केटिंग सोसाइटीज् कायम करनी चाहियें।

मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार ने कोआॅपरेटिव सोसाइटीज् का लॉ पास किया है और इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इन्हें बढ़ाया जाये, पर डिफिकल्टी क्या है? काश्तकारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने यहां सोसाइटीज् कायम करो तो वे कहते हैं कि हमतो समझते नहीं हैं इसमें। तो इसके लिए उसको समझाने के लिये हमको बड़ा जबर्दस्त प्रोपेगन्डा करना होगा। उनको समझाने की बड़ी जरूरत है कि यह क्या चीज है और अगर हो सके तो सरकार खुद इसमें पैसा लगाकर इस काम को स्टार्ट करे। आप एक एक तहसील में एक एक डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ले लीजिये और वहां पहले एक्सपीरियेन्स करिये। इस तरह से धीरे धीरे सब जगह मार्केटिंग सोसाइटीज् कायम करो। आज जो उनके प्रोडक्शन की कीमत प्रोडक्शन के टाइम में, क्रोप के कटने के टाइम में जो लो हो जाती है और बाद में बढ़ जाती है वह नहीं होगा और उनको ठीक पैसा उनकी प्रोडक्शन का मिलता रहेगा।

दूसरा प्रश्न है कोटेज इन्डस्ट्रीज़ का। काश्तकार जब काश्त का काम खत्म कर देते हैं तो कई महीने बेकार बैठे रहते हैं। इसके लिये कोटेज इन्डस्ट्रीज़ की बात मैं कहूंगा। इसमें मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लेकिन क्या प्रोग्रेस होती है? काश्तकारों से हम कहें कि राजस्थान सरकार ने तो स्कीम पास कर ली है तुम उसका प्रयोग नहीं करते। वे कहते हैं हम तो समझते नहीं क्या करें। फिर यह विशियस सर्किल चलता है। मैं निवेदन करूं इसके लिए कि आप एक प्रोपेगेण्डा मशीनरी सेट-आर करें इसके लिए; यह हर गांव में हर तहसील में प्रचार करें और इसके साथ डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स भी होने चाहिये जो उनको डिमोन्स्ट्रेशन देकर समझावें। वे किताबों से पढ़कर या लेक्चर से सुनकर, नहीं तो देखकर सीख सकते हैं। तो इस तरह डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स होने चाहिये ताकि वे प्रत्यक्ष देखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हमें करना चाहिये? फिर वे इमिटेट करेंगे और धीरे-धीरे कोटेज इन्डस्ट्रीज़ चल पड़ेंगी। बाकी किताबों में आप कितना ही लिख दो, इससे कुछ असर उन पर नहीं पड़ेगा।

अब मैं थोड़ा एक दूसरे विषय में बोलना चाहता हूं और वह है इस विधान सभा के सब्जेक्ट के बाहर की बात। फिर भी मैं उसकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, पर राजस्थान से कनेक्टेड है, वह है गांधी-सागर डेम। गांधी-सागर डेम में राजस्थान सरकार

(श्री हरिश्चन्द्र)

कई करोड़ रुपया खर्च कर रही है, मध्य भारत सरकार भी खर्च कर रही है और यह आज नहीं मगर तीन साल, पांच साल में जाकर एक ऐसी युनिट बन जायगी जहां से आपकी सारी इन्डस्ट्रीज, चाहे कोटेज इन्डस्ट्रीज हो, बड़ी इन्डस्ट्रीज हों, सारी इन्डस्ट्रीज इसी एक प्रोजेक्ट पर डिपेन्डेड होंगी। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या सेन्टर ने व क्या हमने इसकी डिफेन्स के ऊपर सोचा है? आप डिफेन्स के लिए कुछ कहें या नहीं। मैं यह कहूंगा कि जब आपकी सारी इन्डस्ट्रीज, आपकी कोटेज इन्डस्ट्रीज, बड़ी इन्डस्ट्रीज एक प्लान पर बेस्ड हैं, हम कहते हैं, हम नान वायेलेन्स में बिलीव करते हैं, हम लड़ाई-झगड़ा किसी से नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति में ऐसे झगड़े आते हैं और वे दूसरे कर बैठतें हैं, तो अगर लड़ाई हुई, उस हालत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी डिफेन्स का क्या होगा? उसकी डिफेन्स के लिए क्या किया? डिफेन्स के माने ये कि कुछ कॉम्युनिकेशन्स हों। आपने देखा होगा कि गांधी सागर डेम के दोनों तरफ रेलवे जाती है; एक है दिल्ली से बोम्बे और दूसरी दिल्ली से अहमदाबाद। यह जो टुकड़ा रह गया है वह पहले होना चाहिए ताकि एमर्जेन्सी के वक्त, मुमकिन है लड़ाई छिड़ जाय, उस वक्त इस प्रोजेक्ट पर जो करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं उसको डिफेन्स मूवमेन्ट से रोक सकें, ट्रूप्स का मूवमेन्ट हो सके। यह जरूरी है और मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जब आपने इसमें पैसा डाला है, मध्यभारत ने पैसा डाला है, तब हमको डिफेन्स के लिए भी सोचना चाहिए, राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कहना चाहिये कि आप इसके डिफेन्स के लिए सोचिये, प्रोग्राम बनाइये ताकि कभी खुदा-न-ख्वास्ता लड़ाई छिड़ गयी तो इसको बचा पायेंगे, यह यहां के करने का नहीं है लेकिन मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए सेन्टर में प्लीड कर सकें और प्रोग्राम बनाया जा सके, यह जरूरी है।

(घन्टी)

दूसरा एक स्पेशल प्रोब्लम है और वह है कोटा डिविजन का, उसे रखना चाहता हूं। वह इरोजन की प्रोब्लम है। यह जो इरोजन की प्राब्लम है कोटा डिविजन में वह एक जबर्दस्त प्रोब्लम है। वहां पर इरोजन इस कदर होता है कि जब बारिश आती है, तो ऊपर की सोइल खिसक जाती है। आप अगर वहां खाद डालें, और पानी बरस जाय तो वह खाद दूसरी जगह पहुँच जाती है और उसका फायदा आपको नहीं होता। अगर इस प्रोब्लम को चैक नहीं किया तो मुमकिन है धीरे-धीरे प्रोडक्शन चला जाय। साथ ही जब वहां चम्बल की स्कीम होगी, इरिगेशन की स्कीम होगी, अगर इरोजन की प्रोब्लम को सोल्व नहीं किया तो सोइल धीरे-धीरे डिटीरियोरेट होगी और उस हालत में प्रोडक्शन कम होगा। यह मुझे निवेदन करना था।

लास्ट पोइन्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : Two minutes please.

श्री हरिश्चन्द्र : जो हमारी सर्विसेज का है। मैंने देखा है, यंग बोयेज आर० ए० एस० हैं। मैं एक और निवेदन कर दूं कि हमारा दिमाग है वह एक छोटा सा दिमाग

(श्री हरिश्चन्द्र)

हो जाता है, नैरो (narrow) हो जाता है। जो सर्विसेज् हैं, इनमें जो नये बच्चे एन्टर होते हैं उनके लिए उदाहरण रखने चाहिए, उनका दूर होना चाहिए, वे राजस्थान से बाहर जा सकें। साउथ इन्डिया में जाय वहां क्या प्रोब्लम्स हैं, उनको वे स्टडी करें, यू. पी. में जाएं वहां क्या प्रोब्लम्स हैं हमारे यहां क्या प्रोब्लम्स हैं, वे इन बातों को देखें ताकि समझ सकें कि बाहर की दुनिया में क्या किया जा रहा है ? इसके लिए निवेदन करूं कि ऐसा कोर्स रखना चाहिए ताकि छः-सात महीने उनको बाहर भेजा जा सके।

साथ साथ बस इतना ही निवेदन करना था।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष .. ....

श्री उपाध्यक्ष : Before we resume the debate I would like to invite attention of the Hon'ble members to rule 219 sub-rule (1) :

"shall not read any book, newspaper or letter except in connecton with the business of the House;"

(विराम)

Mr. Nagar.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उस बजट के बारे में हम यकायक नहीं कहना चाहते कि यह कोई समाजवादी समाज की पद्धति के निर्माण का बजट है। यह भी नहीं कहते कि यह बहुत ही आशाओं से भरा बजट है, हम यह भी नहीं कहना चाहते कि यह बजट अत्याशा और अतिशयोक्ति का बजट है। हम तो यही कह सकते हैं कि आशा और निराशा से परे काम को करने के सङ्कल्प का यह बजट है। इस बजट को यदि हम इस दृष्टि से देखेंगे तो इस बजट के द्वारा इस वर्ष राजस्थान में जो कुछ करने का सरकार का सङ्कल्प है उसे समझ पायेंगे। एक भावुकता के साथ हम इस बजट को रद्द भी नहीं कर सकते और अति भावुकता के साथ हम अति सन्तोष भी नहीं प्रकट कर सकते। हमें बजट पर विचार करते समय राजस्थान की प्रतिवर्ष विकास की कहानी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, सन् १६४६-५० में जब वृहत् राजस्थान का निर्माण हुआ तब राजस्थान का स्वीकृत बजट, यों तो बताया गया था कि वह सन्तुलित बजट है, वस्तुतः उसमें भारी घाटा था। वृहत् राजस्थान के निर्माण के समय कई राज्य थे, जिनमें संयुक्त राजस्थान भी एक था और उसके बजट में मूलभूत घाटा था, किन्तु उनमें घाटा नहीं दिखाया गया था जब कि सच्ची बात तो यही थी कि उनमें घाटा था। सन् १६५१ में हमें यह सुनने को मिला कि राजस्थान के बजट में घाटा है और तब से मैं समझता हूं, बीच में राज्य का बजट संतुलित बजट कहकर सदन में प्रस्तुत किया गया। जब संतुलित बजट सदन में प्रस्तुत किया था तब पहला पंचवर्षीय आयोजन चल रहा था और उस आयोजन के प्रथम तीन साल, मुझे क्षमा किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी परेशानी के दिन थे। स्वयं राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तीन साल कुछ राजतंत्रीय समस्याओं को सुलझाने में लग गये। इसका मतलब यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन साल में पंचवर्षीय योजना के कार्य

Page No.65

(श्री जनार्दनराय नागर)

कर्मों के बारे में कम ध्यान दिया। उस स्थिति में हमें मालूम है कि प्रथम पंचवर्षीय आयोजन की काफी धनराशि बिना खर्च किये हुये पड़ी थी और इसीलिए संतुलित बजट हमारे सामने आ सका । किन्तु पिछले दो ढाई वर्ष से पंचवर्षीय योजना के कार्यों की ओर पूरी तैयारी और लगन से ध्यान दिया गया है और इसी से राजस्थान सरकार का निस्संदेह घाटे का बजट होकर हमारे सामने आ रहा है।

एक दलील यह दी गई कि अधिक घाटे का बजट रख कर विकास के कार्यों को करना खतरे से खाली नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह खतरा तो भारत के सामने है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२०० करोड़ का घाटा बताया गया वह एक राष्ट्रीय समस्या है और जो खतरा आने वाला है वह राष्ट्रीय खतरा आयगा, लेकिन राजस्थान यदि एक साहसिक कदम न ले और इस विकास के भारी भरकम कार्यक्रम को चलाने के लिए यदि घाटे को स्वीकार करके इसकी पूर्ति के लिए साहस के साथ और बुद्धिमत्तापूर्ण कुछ कदम न उठावे तो मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के प्रति और राज्य के विकास के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाती।

कर लगाने का जो विरोध करते हैं उसके मूल में सच्ची बात यह है कि जनता को सच्ची बात कहने का हौसला नहीं करते। कोई भी सरकार बनावे, चाहे इधर के पक्ष वाले या उधर के पक्ष वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि हम जनहित का कार्य करना चाहते हैं तो निस्संदेह हमें कर लगाने पड़ेंगे। जो राजनैतिक विचारधारा के कारण या जो राज्य करों के भार से डरे और सोचा करे तो मैं उस राज्यतंत्र प्रणाली को जनता के हित के लिए स्वस्थ प्रणाली नहीं मान सकता। इसलिए आज बजट में जो १ करोड़ ८० लाख रुपयों का घाटा पूरा करने का आयोजन रखा हुआ है, मैं समझता हूँ उसे राजस्थान के विकास की संभावना की वस्तुस्थिति को देखकर साहस के साथ मंजूर करना चाहिये। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम जनता के मानस में परिवर्तन करने के लिये शक्तिशाली हैं या नहीं? यदि हमने ठीक तरह से जनता को सुशिक्षित किया है और जन-हित में कार्य किया है तो मैं निश्चयता के साथ कह सकता हूं कि जनता कर-भार को समझेगी और हमारी विकास की समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देगी। इसलिये जब ये कर हमारे सामने आये और १ करोड़ ८० लाख का धन प्राप्त करने का आयोजन हमारे सामने आया तो एक प्रकार की चिंता की चीज हुई लेकिन घबराने जैसी परिस्थिति नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने पंचवर्षीय आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही पहले से अधिक, ज्यादा आगे ले जाने का कार्यक्रम है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले साल में १६ करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करना चाहती थी, लेकिन ६ करोड़ रुपयों से अधिक प्रथम वर्ष में खर्च नहीं कर पायगी। इसके बारे में एक दलील दी गई कि राजतंत्र के द्वारा इसके प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवधान नहीं हुआ इसलिए ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन मैं आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है, आप पहली पंचवर्षीय योजना

(श्री जनार्दनराय नागर)

के खर्च का आंकड़ा देखें तो पता चलेगा कि हमने पहले ६-१० करोड़ रुपये खर्च किये हैं और दूसरे साल में १६ करोड़ रुपये खर्च किये। इसका मतलब यह है कि हमारा राजतंत्र इसे अमल में लाने के लिए अधिक चुस्त है और अधिक विस्तार हुआ है। इसका मस्तिष्क इतना समृद्ध है कि वह इतनी विशाल धन राशि को खर्च करने को तैयार है। अभी हमें २० करोड़ रुपये खर्च करने को कहा था। कहां पहले के ५ करोड़ रुपये और कहां २० करोड़ रुपये। पहले से १२-१४ करोड़ रुपये अधिक खर्च करने की राजतंत्र की भावना है। मैंने बजट में देखा कि इस साल २० करोड़ रुपया विकास कार्यों में खर्च करना चाहते हैं। इसमें कई प्रकार के विभागों, श्रेणियों और काम करने के लिए नई गुंजायश रखी गई है, कुछ नये कार्यक्रम भी लिये गये हैं। यह बात दूसरी है कि पंचवर्षीय योजना का सारा ढांचा अकेले राजस्थान के लिये लाभदायक प्रोजेक्टस को लेकर नहीं है बल्कि अखिल भारतीय भावना वाले प्रोजेक्टस को लेकर है। यदि इस दृष्टि से आलोचना करनी पड़े तो मैं मानता हूं कि कई जरूरी मुद्दे नहीं मिलेंगे। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि यह हमारे किसी एक जिले का बजट नहीं है, एक निर्वाचन-क्षेत्र का बजट नहीं है बल्कि समस्त राजस्थान की दृष्टि से बना हुआ बजट है। यदि आप गौर से सोचें तो सभी एकमत हो सकते हैं कि जो बड़े बड़े इर्रिगेशन प्रोजेक्टस हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं और जो पहले आयोजन में शुरू हुई थीं उन तमाम को पूरा करने के लिए इस वर्ष अधिक से अधिक रुपये खर्च हों तो हमें यह सोचना चाहिये कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में हम इस मोड़ पर पहुँचे हैं। एक जिले के हिसाब से कम हो सकता है लेकिन अखिल राजस्थान की दृष्टि से यह आवश्यक है।

इतना कहने के बाद मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए ४५ लाख रुपये रखे गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन ४५ लाख रुपयों को वापिस लेकर एलोपेथिक में लगा दें, हम उनको दान देना चाहते हैं। यदि नहीं लेना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि आयुर्वेद के बारे में आप अपनी नीति स्पष्ट करें। आपने आयुर्वेद के लिए ५ वर्षों में ४५ लाख रुपयों का प्रावधान किया है। मैं मानता हूं कि आयुर्वेद में काम करने वालों के प्रति और जनता के प्रति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति न्याय नहीं है है बल्कि मुझे क्षमा किया जाय, यह आयुर्वेद के प्रति एक किस्म का मजाक है। हम आयुर्वेद का उद्धार करने का एक निर्देश करते हैं, हमारे राज्य के चिकित्सा मंत्री आयुर्वेद में श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने आयुर्वेद सभाओं और गोष्ठियों के बारे में बार बार कहा है कि मैं आयुर्वेद को माता मानता हूं! आयुर्वेद को जो सरकार माता मानती है उसको ६ करोड़ रुपयों में से ५ साल में ४५ लाख रुपये दें, तो इससे तो मातृभक्ति का कोई उदाहरण पेश नहीं होता। (शेम-शेम) आयुर्वेद के प्रति जो नीति है उसमें निश्चय रूप से परिवर्तन होना चाहिये, नहीं तो खतरा यह है कि आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उनमें आन्दोलन तेजी से उठ रहा है। मेरे पास कमिश्नरी से पत्र आये हैं और राजस्थान वैद्य सम्मेलन द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि सरकार आयुर्वेद की नीति में

(श्री जनार्दनराय नागर)

यदि स्पष्ट और संतोष देने वाला परिवर्तन नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान भर में एक असंतोष पैदा होगा। इसलिए यदि हम इस मामले में कुछ कर सकें तो अच्छी बात है। आयुर्वेद की दो कॉलेजेज़ सारे राजस्थान में चलती हैं। उनमें से एक कॉलेज को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरे को वहीं का वहीं रखा जा रहा है। रसायनशालायें २-३ बनाई जा रही हैं लेकिन वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है। फिर इसका विकास करने की योजना कहां कहां चल रही है, कुल मिलाकर हमारे दिमाग साफ होने चाहिये।

राजस्थान के एलोपेथिक चिकित्सकों के नेताओं का आयुर्वेद के बारे में पहले ही से विरोध चल रहा है। एलोपेथिक चिकित्सकों की जयपुर में कॉन्फ्रेन्स हुई थी, उसमें खुले आम यह कहा गया कि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली कोई वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली नहीं है और कहा गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहिये। डाक्टरों के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह कहना आयुर्वेद के प्रति निष्ठा रखने वाले भारत भर के चिकित्सकों के प्रति न केवल अश्रद्धा बताना है बल्कि उनका अपमान करना है। यदि राज्य सरकार आयुर्वेद के बारे में सहमत है तो उसे अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं संस्कृत, हिन्दी, की स्कूलों उर्दू के अध्यापकों के ग्रेड के बारे में। उनको समान स्तर के ग्रेड में नहीं लाया गया है। मैं हैरान हूं यह देखकर कि जिनके अंग्रेजी उपाधियों का मेडल लगा है उनके लिए उच्च ग्रेड का प्रावधान किया गया है लेकिन राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर, संस्कृत की जो उपाधियां लेते हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है। इस विभाग का बर्ताव हिन्दी, उर्दू और संस्कृत के अध्यापकों के प्रति ऐसा क्यों किया जा रहा है? देश की भाषा और साहित्य को पढ़कर उपाधियें लेने वालों के प्रति इस तरह का बरताव क्यों किया जा रहा है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधियों को राज्य सरकार ने नाम मात्र की मान्यता दे रक्खी है। मैं आपके समक्ष कई उदाहरण दे सकता हूं और मुझे कई मामले मालूम हैं जहां साहित्यरत्न पास व्यक्ति को मेट्रिक और इन्टर ग्रेड हाई स्कूल में दी जा रही है और बी. ए. और एम. ए. को उन स्थानों पर पूर्णतः प्रतिष्ठित किया जाता है। यह समस्या है जिसके प्रति हमारी परेशानी आज से नहीं, वर्षों से है।

मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि सरकार जो सेकन्डरी बोर्ड बनाना चाहती है वह जल्दी बनाये। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विश्व विद्यालय जो है उसकी उन्नति हो और उसे बी. ए., एम. ए. परीक्षाओं के भार से मुक्त किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा शिक्षा की नीति में जो अभाव मालूम होता है वह यह है कि सरकार का कोई सलाहकार बोर्ड नहीं है, एक लुंज-पुंज बोर्ड सलाह देने के लिए सरकार ने कायम किया है। उस बोर्ड को कायम करने पर एक-दो विषय दे दिये गये हैं, सरकार द्वारा उसको सब विषय दे दिया जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेन्ट्रल बोर्ड के पेटर्न पर यहां भी सेन्ट्रल

Page No.68

(श्री जनार्दनराय नागर)

बोर्ड ऑफ एजुकेशन कायम होना चाहिये और उसमें सरकार को जनता का सहयोग लेना चाहिये। सरकार का फर्ज है कि शिक्षा के मामले में कम से कम मध्यस्थ बोर्ड के द्वारा कुशल शिक्षा शास्त्रियों का जो मत है, उसका लाभ उठाये।

इतना कहने के बाद अपनी जगह लेने से पूर्व मांग के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान विश्व विद्यालय के पुनरुद्धार के के लिए निश्चित रूप से कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है, इस विश्व विद्यालय के काम के अन्दर सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान विश्व विद्यालय के लिए जो मौजूदा एक्ट है वह पुराना है और प्रतिगामी एक्ट है उसमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान विश्व विद्यालय के जो मौजूदा विषय हैं वे दूसरी जगहों के विश्व विद्यालयों के विषयों की तुलना में शून्य हैं, जितनी भी फेकल्टियां हैं, वे दूसरी जगहों की तुलना में शून्य हैं। हमारा राजस्थान विश्व विद्यालय युनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से रुपये की ग्रान्ट प्राप्त करने में असफल रहा। मुझे राजस्थान विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में बराबर याद आता है, राज्यपाल महोदय ने विश्व विद्यालय के सम्बन्ध जो कुछ कहा। उसको लेकर मुझे काफी विचार सुनने को मिले हैं, और विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में मैंने भी विचार व्यक्त किये। मुझे सूचना मिली है कि राजस्थान के विषय में कुछ विचार शाया किये गये हैं, जिनके द्वारा जनता का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित कराया है कि रजवाड़ों के बाद विश्व विद्यालय की काफी तरक्की हुई है और इस प्रकार वे साबित करना चाहते हैं कि हम प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि विश्वविद्यालय के विषय में कुछ विचार आपके समक्ष व्यक्त करूं लेकिन मैंने आगे के लिए संकल्प किया है। राजस्थान विश्व विद्यालय को प्रगतिशील बनाने के लिये, जिस पर हम गर्व कर सकें, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, वह करने का मैं इरादा रखता हूं।

मैं, राजस्थान साहित्य एकेडमी के लिए जो १ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, वित्त मन्त्री जी को संतोष के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि संगीत और नाटक एकेडेमी के लिए २० हजार रुपया दिया है उसको बढ़ाने के बारे में सरकार सोचेगी।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर सिटी पश्चिम) Mr. Speaker, we have got a budget from a deaf and dumb and dingy Government of Rajasthan before us. I call it deaf and dumb because from what I see here I find that any suggestions that we make from this side are not heard by the Government. During the last elections I saw one poster from the Congreess side which showed three monkeys sitting there. One of them was keeping his hand on his mouth, the other monkey keeping his fingers in his ears and the third closing his eyes. Perhaps our Government is trying to play true to that pamphlet. They do not hear what we say and if at all they hear they do not make any reply. Of course, they can give us false replies if they possibly can, but where they

(श्री अर्जनदास)

cannot give false replies, they keep quiet. Yesterday certain suggestions were made, two or three suggestions were made, but the Hon'ble Finance Minster replied to only one of them. He easily agreed to one part of the suggestion, but he was quiet dumb in regard to the other part. From the opposition side we expect from him that he should make replies to our suggestions. But it is really wasting our time and the time of tbe House also, Sir.

So far as the Government is concerned, I did not really expect them to do anything substantial for the masses. When they cannot look to the convenience of our own house, how can we expect them to look tothe convenience of the masses. Look at the condition of these microphones. Can you call them third class microphones ? The answer is 'No.' You can call them fourth rate or any other rate, but not third rate microphones. We have not changed them for the last five years, and we do not propose te see to that because our eyes are somewhee else. Our handd are in our pockets, and not with the masses...

The other grievance of the M. L. A.s that I wanted to point out is regarding the canteen business in the Government Hostel, Sir. The canteen people very recently hav been increasing rates and decreasing the staff and anybody whoever takes food for few days will suffer from diarrhoea or dysentery or at least from one of them with the advantage that there is no necessity of a 'Brooklax' atleast.

In regard to taxation I have only to say that the Government is increasing taxation every now and then. Unfortunately the public every year expect increase in taxes from the Centre as well as from the State Government. With regard to taxes imposed yearly, it will cnntinue for ever and for ever; it will be increasing, increasing and increasing. But how long we can expect the masses to bear this burden. Has anybody paid any attention to that ?

If you see at the memorandum explanatory to the budget at page 17, there you will get the real picture of our Government. They do not want to increase the taxes for the convenience of the masses, but for some other purpose which I will just explain. Here, Sir, 54-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers, and then we find the Rajasthan State Government propose to give 3. 44 lacs to three ex-Rulers of Rajasthan - the Maharaja of Jaipur, the Maharaja of Jodhpur and the Maharaja of Bikaner - 3 lacs and 44 thousand for the purpose of electricity and water consumed by these three Ex

(श्री अर्जुनदास)

Rulers of Rajasthan. I cannnot possibly explain the reason for this provision. Do you not really lay yourself open to the charge that you have deliberately put this figure this year because you wanted to woo them for the purposes of elections. If we wanted to give them we could give them two years ago, but we want to give them only this year and that is also before the elections. Why it is so ? The answer is obvious. Our eye is on the elections. For that very reason we want to help them. At least we tried to do so. But they cannot give any explanation. And how far did they succeed ? They, of course, succeeded in the case of two of them; namely, the Maharaja of Jaipur and the Maharaja of Jodhpur.

In the case of Bikaner they partly failed.

Then, Sir, I will come down to medicines. So much is being said of medicines and health and everything. But have the Government really thought as to what is the position of T.B. in towns. T.B. is increasing. What steps have the Government taken so far for checking T.B. ? Nothing substantial. And T.B. is such a disease that if you don't check it today, in future it is bound to get more and more. You have got to segragate persons affected by T.B. You would possibly say that at the first stage it is not necessary but then after about 15 years you will see so many T.B. patients. You have got to do over now or never. But the Government has no idea for things like that. So many persons are suffering from T.B. But the Government is sleeping over that matter. I request the Government to be alive on this subject specially.

While discussing medicine, Sir, I have just to tell something with regard to the principal office of Medical and Health Department at Ajmer. The ministerial staff of that office have been served notice that the payment of their wages have been withheld with effect from 1st April, 1957. The only reason that has been assigned to them is that there are so many arrears outstanding in the Department, therefore, their pays have been stopped with the orders of the Director of Medicines, Jaipur. We should presume that we are not working in the 20th century but in the sixteenth or seventeenth century. You cannot expect the Government servants to live only on air and water. That department is not such that they can pull on bribery. You have got to give them food if you want them to work. The pay has been stopped with retrospective effect from 1st April, 1957. On the top of it the

Page No.71

(श्री अर्जनदास)

Principal officer at Ajmer has passed another order. कौन सा आॅर्डर ? They shall not work for 36 hours a week, which is the maximum period fixed, but for 56 hours a week. Every one of them is supposed to work for all these hours continuously without a break for lunch. Can you imagine that the Government do not want it or they do not propose to interfere in things like this.

With regard to education, Sir, so much is being said that the Government is spending on education. Has the Government really paid attention as to where is the education most needed, where this is mostly sought for? Has the Government constructed any school buildings in the towns ? So many schools that are being run are in rented and dark buildings. If the Hon'ble Minister has the chance to see them he would hesitate entering those places. Then how can you allow your children to go and sit every day for education. Construct more school buildings so that we cannot be short of buildings at least.

There are places where people are seeking education but you connot give them education and at other places where they don't want to seek education but the Hon'ble Minister wants to give education. He wants to give them buildings.

Coming down to playgrounds, no playgrounds are beinggiven to the schools. Why should there be a sohool without a playground. You cannot allow the students roam abcut the streets and loose their character. You have got to keep them busy somewhere, and the best place is playground. There may be number of schools who have no play-grounds of their own, and our Government does not feel like having playgrounds at all.

With regard to this education my own feeling is that at few places there are Government aided schools run by the public. Those schools are running on Government charity. I would request the Hon'ble Finance Minister to excuse me if I say every school; of course, Hatundi school we will discuss this subject at the time of Grants more freely, Earlier the the Government takes them under their control the better it would be for the Government and for the general public. I request the Government to take all these schools under their control rather than allow these private institutions to run them. I know they are run not by correct means but by under-hand means. I have also been controlling one of such schools. I am at least in a line with the Hon'ble Finance Minister in this respect. Therefore, I can conveniently say that all those schools are fed by under-hand means.

डॉ० श्रीमती चन्द्रकला (किशन-पोल बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, १६५७ और ५८ का ब्योरेवार विस्तृत आय व्ययक विचारार्थ हमारे सामने प्रस्तुत है । क्योंकि समय सीमित है इसलिये मैं केवल कुछ मूलभूत बातों की ओर ही संकेत कर सकूंगी ।

कुछ दिन पहले जब हमारे सामने वित्त मंत्री महोदय ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि सरस्वती के पुत्र को लक्ष्मी की गोद में बैठा दिया गया है, उस समय न केवल मुझे, बल्कि आप सबको ऐसी आशा हुई होगी कि सरस्वती के सुसंस्कार और लक्ष्मी के साधनों के संगम होने से बजट के रूप में कुछ ऐसी चीज हमारे सामने आयेगी जिससे हमको संतोष होगा, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने वटी के क्षेत्र से आने का भुलावा देकर एक घाटे का बजट हमारे सामने लाकर रख दिया । घाटे का बजट किसी भी राज्य के लिए एक बहुत अच्छा बजट है । सिद्धान्ततः मैं इस घाटे के बजट का विरोध नहीं करती और जबकि हम एक विकास की स्थिति में से गुजर रहे हैं हमारे सामने विकास की विविध योजनाएं हैं, तो यह निश्चित है कि हमारा व्यय आय से ज्यादा होने वाला है । दूसरी बात यह भी है कि हमारे अनुभवी वित्त मन्त्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और एक तरह से यह निश्चित भी है कि यदि हम एक अभाव की, घाटे की स्थिति में होते हैं तो शायद जनता का सहयोग उपलब्ध करने के ज्यादा अधिकारी होते हैं । घाटे का बजट जनता का सहयोग अधिकाधिक उपलब्ध कर सकेगा, इस आशा के साथ हम इस बजट का स्वागत करते हैं ।

इसके साथ ही इस भाषण में हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो हमारे सामने लक्ष्य रखा है वह एक बड़े संतोष की बात है । उन्होंने बताया कि हमारे सामने समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य है, हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें वर्ग, वर्ण और जाति आदि के किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सबको उनके कर्तव्य और अधिकारों के लायक विकास तथा क्रिया के लिये समान अवसर मिल सके ।

(श्री अर्जुनदास द्वारा की गई बाधा के पश्चात् पुनः)

और सब लोग अपनी शक्ति का उपयोग राष्ट्र के लिये दे सकें, इसके लिये निश्चय ही यह लक्ष्य अच्छा है और जहां तक मैं समझ सकती हूँ हमारे बापू का यही सपना था, हमारे जवाहरलाल जी का यही लक्ष्य है और देश की उन महान् आत्माओं और शहीदों का जो इस देश की नींव के पत्थर बन चुके हैं, उनका भी यही सपना था । लेकिन जिस तरह यह उद्देश्य महान् है, इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी वैसे ही अच्छे होने चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि इस महान् लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमारे साधन बहुत अपर्याप्त हैं, सीमित हैं और शायद सही भी नहीं हैं । हमारे वित्त मन्त्री ने बताया कि हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित किया गया । उसके परिणाम को जब देखते हैं और उसके साथ ही जब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान जाता है तो हमें लगता है कि हम सफलता से बहुत दूर रह गये हैं । इसे बहुत ईमानदारी से हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्वीकार भी किया है कि हमने जनता के जीवन-स्तर को बहुत ऊंचा नहीं उठाया है, हमारा रास्ता बहुत

(डॉ० श्रीमती चन्द्रकला)

पिछड़ा हुआ है। पर इसके साथ ही लक्ष्मी की गोद में पहुँच कर वे भूल गये और आंकड़ों के चक्कर में अपना लक्ष्य भी भुला दिया।

जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इसमें हमें वास्तविक सफलता हो सकती है। हो सकता है कि गणित के अनुसार हमारी बहुत वर्णनीय प्रगति हुई हो लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारा माप-दंड, हमारी सफलता का माप-दंड आंकड़े नहीं होंगे मगर हमारा माप दंड जनता होगी और जनहित के कार्य होंगे। हम जनता के बीच में जाकर देखें कि क्या सचमुच जनसमूह ऐसा अनुभव करता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, क्या हम वास्तव में जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठा सके हैं? आय बढ़ी है या नहीं मगर मैं यह जरूर कहूंगी कि गरीबों में गरीबी और अमीरों में अमीरी जरूर बढ़ी है। यदि हम आंकड़ों में ही रत रहे तो हमारी स्थिति उसी व्यक्ति के समान होगी जो आंकड़ों के आधार पर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था कि नदी के किनारे पर एक फुट गहरा पानी है और दो फुट, कहीं तीन फुट और कहीं ७ या ८ फुट इस तरह से उसने सब के औसत आंकड़े निकाले, जो ४ फुट आये तब उसने यह सोचा कि मैं तो ५ फुट का आदमी हूं आसानी से नदी पार कर जाऊंगा। मगर उसने यह नहीं सोचा कि जहां पर १० फुट पानी होगा वहां पर क्या होगा। यह समझ कर वह पानी में उतर गया और परिणाम क्या हुआ होगा सो हम सब सहज में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिये हमें सब बातों पर सही ढंग से सोचना चाहिए और मैं समझती हूं कि तभी हम अच्छी तरह अपनी असली हालत को समझ सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे पंचवर्षीय योजना में, चाहे आंकड़ों में अपनी सफलता दिखाकर हम कितना भी गर्व अनुभव करें मगर वास्तव में जन साधारण को किसी तरह से राहत नहीं मिली और जनता को इस योजना से किसी तरह का सरोकार भी नहीं रहा। जनता ने इस योजना को क्रियान्वित करने में हमारा कितना साथ दिया है, यह देखने से साफ प्रगट है कि इसके लिये पब्लिक में किसी प्रकार का उत्साह दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना देश के किसी भी प्रश्न को हल करने में सफल हुई है या नहीं, यह देखना होगा। हमें अन्दाज लगाना होगा कि हमारी यह योजना हमारी रोटी और रोजी के प्रश्न को हल करने में कहां तक सफल हुई है? मगर मैं देखती हूँ कि उसने हमारी बेकारी को बढ़ाया है। मुझे बड़ा ख्याल होता है कि हम भ्रम में तो नहीं हैं कि जिस समाजवादी लक्ष्य की ओर हमें पहुंचना है और जिस लक्ष्य की ओर हम पहुँचना चाहते हैं कहीं उसके उल्टी तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए हमें एक बार रुकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और यही मौका है विचार करने का और हमें विचार करना है और आगे की योजना बनानी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम उन बातों को तो नहीं दोहराया जावे जिनके कारण प्रथम पंच वर्षीय योजना की सफलता में रोड़े अटके हों। निश्चित है कि हमको समाजवादी समाज की रचना के लक्ष्य पूर्ति के लिये उसके लायक ही साधन जुटानें होंगे और वह है सत्ता का विकेन्द्रीकरण। हमको अपनी शासन व्यवस्था, समाज रचना आदि सभी क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकरण करना होगा।

(डॉ० श्रीमती चन्द्रकला)

आज हमारी शासन सत्ता ऊपर से नीचे को चलती है। दिल्ली से आज्ञा आती है जयपुर में और जयपुर से वह जिलों में चलती है और जिलों से तहसीलों में जाती है और फिर तहसीलों से गांवों में पहुँचती है; इसलिए हमारी जनता सर्वथा उदासीन रहती है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि वह कहीं से आवे। मगर यह गलत चीज है। इसको हमें पलटना होगा और हमको सभी मामलों में नीचे से ऊपर को जाना होगा। गांव की जनता के हाथों में हमको शासन सत्ता देनी होगी और उनके क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या नागरिक अधिकार हैं उनको हमें समझाना होगा और उनसे उनके कर्तव्यों को समझा कर उनका सहयोग लेना होगा।

यह निश्चित बात है कि हर काम में पूंजी की आवश्यकता होती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं अधिकारपूर्वक कहना चाहती हूं कि हमारी योजना की सफलता और असफलता पूंजी या पैसे पर ही निर्भर नहीं है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी जिसकी हमको आवश्यकता है वह जन सहयोग और जनता की सद्भावना होनी चाहिये। अगर हमें जनता का सहयोग मिलता है, यदि जनता हमारे साथ होती है तो कोई कारण नहीं कि हम किसी भी प्रकार की योजना को पूरा न कर सकें। मगर आज हम धन इकट्ठा करने और राष्ट्रीयकरण की बात सोचते हैं। मगर हमने यह नहीं सोचा कि हमारे साथ जनता की शक्ति और सहयोग है क्या ? और क्या हमने उसको प्राप्त करने की चेष्टा की ? मैं यह कहूंगी की आज जनता बे-खबर है हमारी कोई भी योजना या आयोग उसके जीवन को छूते हुए नहीं दिखायी पड़ते। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उसने हमको यहां पर चुन कर भेजा है। मगर हम यहां पर पहुँचते ही अपने को ऊंचे स्तर पर पहुँचा हुआ महसूस करते है और आज हम जनता से दूर, बिल्कुल अलग दिशा में लड़े हैं। हमारा अलग स्तर होता है और पब्लिक हमसे अलग रहती है। इसलिये मैं तो माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगी कि सबसे पहले जनता के सहयोग की पूंजी को संचित करने की बात सोचें, जिसका हमारे पास बिल्कुल अभाव रहा है। अस्तु। हम इसको सबसे पहले संभाले और उसको उपलब्ध करने की बात करें।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके बाद, इसके साथ साथ हमें थोड़ा बजट को भी देखना पड़ेगा। यह हमारे यहां किसी भी तरह का जो अभाव दिखाई देता है वह ऊपर ऊपर से देखने से ही दिखाई देता है, वह केवल अभाव का आभास सा ही है। हमारा बजट घाटे का बजट बताया जाता है। छोटी सी बात है, हम कर लगाना चाहते हैं। पैसे की आवश्यकता है तो उसको पूरा करने के लिये कर लगाना चाहिये। इसका मैं विरोध नहीं करती। मगर जनता का सहयोग हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिये, तभी हम इसमें सफल होंगे। मुझे भरोसा है कि यदि पब्लिक से किसी भी रूप में सहयोग मांगा जाता है तो अवश्य मिलता है, आज भी हम सचाई से उसे मांगेंगे तो मिलेगा भी और जनता को देना भी चाहिए। थोड़े दिन पहले राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो चर्चा हुई उस समय स्पष्ट हो गया था कि हमारे यहां पूंजी का अभाव नहीं है, मगर यह जो कुछ गड़बड़ी होती है वह भ्रष्टाचार के कारण से। मैं इसकी मिसाल आपको दूं तो आपको मालूम होगी वास्तविक बात मैं

(डॉ० श्रीमती चन्द्रकला)

जयपुर म्युनिसिपेल्टी की बात बता रही हूँ। जयपुर में सरकारी बिल्डिंग पर कर नहीं दिया जाता है। आखिर उनसे कर क्यों नहीं लिया जाए ? मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक ऑफिसेज और कार्यालयों का प्रश्न है, जो पब्लिक के उपयोग में आते हैं उनको टेक्स फ्री कर सकते हैं, लेकिन जिसमें गवर्नमेंट के काम करने वाले रहते हैं उनको टेक्स फ्री (हाउस टेक्स) करने का कोई कारण मालूम नहीं होता। आखिर वे भी नौकर हैं। अगर हम सब इस पर ईमानदारी से सोचें और समझें और ईमानदारी से टेक्स को अदा करें तो बहुत बड़ा प्रश्न हल हो सकता है। मैं जयपुर म्युनिसिपेलीटी को रोज इस प्रकार की कठिनाइयां भुगतते हुए देखती हूं। यदि सरकारी इमारतों का टेक्स मिल जाए तो ५० हजार रुपया वार्षिक उसे मिलता रह सकता है। मगर होता क्या है कि वह रुपया नहीं आ पाता है और जो छूट विशेषाधिकार के रूप में अधिकारियों और सत्ताधिकारियों को दी गई है उसका निष्टि जनता पर असर पड़ता है और सर्व साधारण को उसका दंड भुगतना पड़ता है। यह एक मिसाल है। यदि अच्छी तरह से और ईमानदारी से सब नागरिक अपने अपने कर्तव्यों को समझ कर उसका पालन करें और भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करें तो यह निश्चित ही राज्य के कोष में बहुत सारी आमदनी हो सकती है।

इसी तरह से एक छोटी सी मिसाल दूसरी मेरे सामने आई। किसी एक व्यक्ति ने अपने अधिकार का उपयोग करके सरकार के खजाने में पहुँचने वाले ३ लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। यह गवर्नमेंट के लिये कटु बात जरूर है मगर इससे गवर्नमेंट की आंख अब तो खुल जानी चाहिये। गवर्नमेंट को सचेत होना चाहिये कि अगर एक व्यक्ति ३ लाख पर हाथ साफ कर सकता है और अगर इस प्रकार के १० व्यक्ति या १५ व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही करें तो सरकार को कितना घाटा हो जाता है। यदि लोगों में सरकार ईमानदारी और सच्चाई ला सके तो बहुत अच्छी आमदनी का जरिया हमको प्राप्त हो जाता है।

आमदनी का एक और जरिया है उद्योगों का विकास। हमारे यहां प्रकृति का अटूट भंडार है। कितना बड़ा खनिज भंडार हमारे यहां राजस्थान में है; लोहा, इस्पात, माइका, यहां तक कि पन्ने तक हमारे यहां राजस्थान की भूमि में उपलब्ध हैं। इसके विकास के लिये भी हमारे यहां व्यापारिक प्रतिभा वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। कौन नहीं जानता कि आज हिन्दुस्तान के कौने कौने में व्यापार और उद्योग का विकास करने वाले राजस्थानी ही हैं और सारी पूंजी और सारा उद्योग राजस्थानियों के हाथों से विकासित हो रहा है ? फिर क्या हमारे लिये यह शर्म की बात नहीं है कि हम अपने अभाव को लेकर सिर पीटें मैं समझती हूं इसमें एक ही बात है। हमारे यहां साधन भी बहुत हैं, खनिज भी बहुत हैं लेकिन कमी है वह विकास की। हमारी सरकार को चाहिये कि इसके लिये कोशिश करें। हमारी सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिये कि भूगर्भ की सम्पत्ति हमारे पास आकर जन-जीवन की उन्नति में लगे। हमें आगे बढ़ने के लिये यह भी जरूरी है कि शासन कर्त्ता जो अपने आपको जनता से अलग समझते हैं उनको जनता से अपने आपको अलग नहीं समझना चाहिये। हमें यह समझना चाहिये कि हम

Page No.76

(डॉ० श्रीमती चन्द्रकला)

जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं में से एक हैं, और हमें जनता की शक्ति को संचित करके जनता के हितों में ही उसका उपयोग करना है। यदि हम इस प्रकार सोचेंगे और उसके अनुसार अपनी योजना बनायेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ अपनी कठिनाइयों को हल कर सकेंगे।

अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। आज हम किसी भी छोटे छोटे सवाल के हल के लिए देखते हैं दिल्ली की ओर। अपनी छोटी से छोटी ग्राम योजना की सफलता के लिए हम योजना आयोग से सलाह लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद से सलाह लेते हैं और फिर वह सलाह लेते हैं पश्चिम के देशों से; इंगलैंड से। अमेरिका से। यह जो आज विकास कल्याण के कार्य हमारे देश में चल रहे हैं यह भी एक प्रकार से पश्चिम की ही देन है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम पश्चिमी राष्ट्रों के बताये हुये रास्तों से अपने हिन्दुस्तान के गांवों की उन्नति करना चाहते हैं। वे मालदार देश हैं, वे धन को पानी की तरह बहा सकते है लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने छोटे छोटे सवालों के लिये भी दिल्ली या दूसरे संगठनों व देशों की ओर न देखकर हमको अपने खुद की ओर देखना पड़ेगा। निःसंदेह हम इस मामले में भी बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे पास इतने बड़े नेता हैं और इतने योग्य नेता हैं। विनोबा जी घूम घूम कर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वास्तविक और सफल रामराज्य का चित्र हम उनके बताये रास्ते से ही बना सकते हैं। यदि हम उनके बताये हुये रास्ते को अपना सकते और उनके आधार पर अपने गांवों की रचना कर सकते तो इस घाटे की नौबत ही नहीं आती और हमारा देश फिर वही रामराज्य की कल्पना कर सकता और अपने उस महान् लक्ष्य को प्राप्त कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इन बातों को कहते हुये यह आशा करती हूं कि हम भली भांति सोच समझ कर अपने महान् लक्ष्य के अनुकूल ही अपने सिद्धान्तों की महानता को स्वीकार करते हुये एक अच्छा सा बजट प्रस्तुत करेंगे।

३. १ म. प.

श्री तेजाराम (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारीख ६ मई को माननीय वित्त मंत्री जी ने जब इस सदन के अन्दर बजट प्रस्तुत करने का अपना भाषण दिया था और उस भाषण के साथ साथ वह उन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो मुझे यह उम्मीद थी कि जैसा भावुक और प्रगतिशील आपका भाषण है वैसा ही प्रगतिशील वह बजट भी होगा जो कि आपने प्रस्तुत किया। जैसा कि आपने अपने भाषण में बताया कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और उसके अन्दर कम आय वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ऐसी योजना आप करना चाहते हैं; माननीय उपाध्यक्ष जी, लेकिन जब मैंने यह बजट देखा तो कम से कम मुझे यह विश्वास हुआ कि माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस बजट को देखने के लिये समय नहीं मिला। जैसा बजट सेक्रेटेरियेट के अन्दर से तैयार हुआ था वैसा का वैसा बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इस सदन में प्रस्तुत कर दिया है। अगर माननीय वित्त मन्त्रीजी इस बजट के मोटे मोटे हैड्स को देखते तो शायद वे इस तरह का बजट प्रस्तुत नहीं करते। आज हम यह

(श्री तेजाराम)

विचारकरते हैं कि समाजवादी समाज की रचना करें। राजस्थान के अन्दर ८० प्रतिशत काश्तकार हैं और वह गांवों में रहते हैं। क्या माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस बजट के अन्दर उस ८० प्रतिशत गरीब जनता की आर्थिक उन्नति के लिए भी कोई व्यवस्था की है? मगर मुझे इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। इसके अलावा जो यह घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है उसको देखकर मुझे संतोष नहीं होता है, जिस तरह का टैक्स लगाने की योजना की गई है उस घाटे को पूरा करने के लिए उसको देख कर सन्तोष नहीं होता है, परन्तु मुझे अफसोस होता है कि वास्तव में इस बजट के अन्दर घाटा क्यों है। अगर सही मायने में देखा जाय तो बजट के अन्दर जो घाटा है वह राज्य के अन्दर जो डेवलपमेन्ट्स हो रहे हैं उन कार्यों की वजह से नहीं है बल्कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेन्ट्स हैं उनके अन्दर बदइन्तजामी है, उससे इस बजट के अन्दर घाटा है। उदाहरण के लिए मैं सदन के सामने यह बताऊं कि एक लेण्ड रेवेन्यू का जो हेड है उसको मैं बताना चाहता हूं। लेन्ड रेवन्यु का जो हेड है उसके अन्दर सर्वे, सेटलमेन्ट एण्ड रिकार्ड ऑपरेशन्स पर ४६ लाख ३२ हजार का बजट है और उसके अन्दर जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परचेज् ऑफ सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स एन्ड अदर टूल्स एन्ड प्लान्ट्स पर ६,००० रु० रिपेयर्स टू सर्वे इन्स्ट्रूमेन्ट्स एन्ड टूल्स एन्ड प्लान्ट्स पर ३,५०० रुपया, ड्राइंग मैटीरियल पर २०,००० रुपया और एक्सपेन्डीचर ओन चेनमैन पर करीब २ लाख रुपया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के अन्दर सेटलमेन्ट क़रीब सम्पूर्ण होने आ चुका है और हर साल बजट के अन्दर इस तरह की व्यवस्था की जाती है for the purchase of survey instruments and other tools and plants, for the repairs to survey instruments and tools and plants and for the purchase of tents. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोधपुर डिवीजन के अन्दर काफी वर्षों से सेटलमेन्ट चल रहा है और कई बार इस तरह के प्रोवीजन रखे गये हैं लेकिन अगर सही माने में माननीय मन्त्री महोदय इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले इसकी जाँच करते तो ऐसा बजट प्रस्तुत नहीं करते। बजट प्रस्तुत करने से पहले अगर माननीय मन्त्री महोदय यह जाँच करते कि वे इन्स्ट्रूमेन्ट्स जो कि पहले खरीदे गये थे वह खराब भी हो गये हैं या नहीं, या उनकी क्या हालत है और अगर सही माने में देखा जाय तो जोधपुर के अन्दर इस तरह के औजार व टेन्ट्स आदि खरीदे हुए पड़े हैं लेकिन बजट के अन्दर मांग की जाती है कि हमें टेन्ट्स खरीदने हैं। आप सचमुच जांच करें तो आपको मालूम होगा कि चार चार हजार के सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स हैं और वे सरकारी अहलकारों के घरों पर पड़े हैं, उनका कोई रिकार्ड नहीं है। टेन्ट्स पड़े पड़े सड़ रहे हैं, फिर भी ऐसी मांग क्यों? इसके लिए इसी हैड के नीचे देखिये कन्सोलीडेशन ऑफ होल्डिंग। इसमें नये महकमे खुले हैं जिनके लिए गत वर्ष करीब पांच लाख रुपये का प्रोवीज़न रखा गया था और पांच लाख के खर्च के बावजूद भी राजस्थान के अन्दर एक भी गांव के अन्दर कन्सौलीडेशन का काम नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जा रही हैं। ये योजनायें किसी उद्देश्य को लेकर नहीं बनाई जा रही हैं मैं। यह समझता हूं कि कुछ आदमियों को नौकरी के अन्दर रखने

(श्री तेजाराम)

के लिए ये बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जा रही हैं। कन्सौलीडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ के अन्दर जो इस साल मांग रखी गई है उसके अन्दर करीब ६ लाख २५ हजार की मांग है। इसके अन्दर पर्चेज़ ऑफ सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स के लिये १५,००० रुपये का प्रावीज़न रखा गया है। तो जब राजस्थान में सेटलमेंट का कार्य दूसरे इलाके में करीब करीब समाप्त होने आया तो फिर ये सर्वे इन्स्ट्रमेन्ट्स के लिए परचेज़ क्यों हो रही है। पर्चेज़ ऑफ टेन्ट्स के लिए ३,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

३.६ म. प.

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का इस बजट के अन्दर लेन्ड रेवेन्यू के लिए प्रोवीजन रखा गया है इतनी बड़ी रकम की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर सही माने में और सही जरूरत के लिए इस तरह की मांग की जाती तो ठीक था। लेकिन बजट प्रस्तुत करने का वही पुराना तरीका वर्षों से चला आता है और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स वगैर सोचे समझे ही अपनी मांगों को प्रस्तुत कर देते हैं और वे फौरन ही बजट में रख दी जाती हैं और नीचे से ऊपर तक उसी तरह से पास होकर के चला आता है और उसी तरह से माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरीके से मैंने बजट में दूसरी चीज देखी, २६ मद पर पुलिस का हैड है। उसके अन्दर भी हम देखते हैं और जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि राजस्थान के अन्दर शान्ति और व्यवस्था कायम हो चुकी है लेकिन दिन ब दिन बजट के अन्दर पुलिस के लिए पैसा बढ़ता ही जाता है। ठीक है, अगर शान्ति और व्यवस्था के लिए पैसा बढ़ाया जाय तो। इसमें किसी को अफसोस नहीं होता लेकिन इस साल रूलर्स गार्ड के लिए जो पैसा रखा गया है वह करीब २ लाख ५४ हजार ५०० रुपयों का प्रोवीज़न रखा गया है, जहां कि गई साल और पहले साल इससे भी कम पैसा था।

मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि सन् १६५५-५६ में रूलर्स गार्ड्स के लिये १ लाख २० हजार का प्रोवीजन था और ५४-५५ में १ लाख ५२ हजार का था, आज जहां हमें खर्चे में कमी करनी चाहिये वहां हम देख रहे हैं कि रूलर्स गार्ड्स के लिये २ लाख ५४ हजार ५०० रुपये रखे है। अगर बजट से इस प्रकार के आइटम को हटा दिया जाता तो हम स्वागत करते और जनता इसमें सहयोग देने में कभी नहीं हिचकिचाती।

दूसरे महकमों को लीजिये। एग्रीकलचर के महकमे के लिये जो बजट रखा गया है वह है ७५ लाख का। आज इस महकमे के अन्दर जहां तक खेती का सवाल है इस डिपाटमेन्ट में हर बात के एक्सपर्टस मौजूद हैं, सब साधन मौजूद हैं, सब आधुनिक औजार मौजूद हैं, उत्तम से उत्तम तरीके के बीज मौजूद हैं, लेकिन इसके अन्दर एक हैड एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स का है। उसके लिये २.६१ हजार रुपये का खर्चा बताया गया है। उसकी आमदनी देखी जाय तो २.८५ हजार है, जब कि सरकार इस पर इतना पैसा खर्च कर रही है और उससे होने वाली आमदनी को देखें तो हमें आश्चर्य होता है! इतने सारे साधन उपलब्ध होने पर भी इतनी थोड़ी आदमनी इस विभाग की है।

(श्री तेजाराम)

दूसरी ओर किसान जो हैं उनकी तरक्की के लिये उनको हम इन साधनों के प्रयोग को बताना चाहते है। आज जिस महकमे में आधुनिक तरीके के साधन हैं उसकी आमदनी इतनी थोड़ी है तो उसका मतलब यह हुआ कि जो खर्चा इस महकमे पर किया जाता है वह सही तरीके से नहीं होता है व किसानों को भी इस तरह का मार्ग प्रदर्शन लाभप्रद नहीं हो सकता।

एग्रीकलचर के अन्दर एक दूसरी चीज भी है। जितना experiments पर रुपया खर्च किया जाता है उससे रिटर्न बहुत कम आता है। हो सकता है कि सम्बन्धित अधिकारी कहेंगे कि हम तो एक्सपेरिमेन्ट करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खेती-बाड़ी का यह महकमा राजस्थान में जो करीब आठ-दस साल से काम कर रहा है यहां कोई इतनी सौ, डेढ़ सौ तो फसलें होती नहीं हैं जिससे इस महकमें को हमेशा प्रयोग करना पड़े, यहां तो सिर्फ पांच-सात जिन्स की फसलें होती हैं; गेहूँ, जौ, चना, बाजरा आदि और इन्हीं पांच-सात जिन्स पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका पड़ता है। इतने वर्ष के एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी यह खेती-बाड़ी का महकमा इस लायक नहीं हुआ है कि अमुक फसल के experiments के अन्दर इसने सफलता प्राप्त की हो, इसके एक्सपेरिमेंट सफल हुए हों, यह नहीं देखा गया है।

इसी प्रकार जितने भी महकमे हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा अधिक होता है। यह एग्रीकल्चर का महकमा है इस पर जिस तरीके से खर्चा होता है उसी के अनुसार काश्तकार की इकोनोमिक कन्डीशन साउन्ड नहीं की जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस महकमे के द्वारा क्या तरक्की की गई, क्या सुविधायें दी गई आम जनता को जिससे अपने यहां की कोमोडिटी दूसरे के कम्पीटीशन से बच सके? क्या ही अच्छा होता कि हमारा एग्रीकल्चर महकमा सारे राजस्थान की इकोनोमिक सर्वे करता। उसके बाद लोकल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टेक्निशीयन्स रखने की कोशिश करता।

जयपुर में एग्रीकल्चर विभाग का हैड आफिस है, उसमें कोटन एक्सपर्ट का भी आफिस है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का भी आफिस है, काफी टेक्नीशियन्स यहां बैठे रहते हैं। क्या कभी उन्होंने गांवों से बाहर जाकर देखा है, कभी इस चीज की जाँच की है कि उनके रखने से जनता को क्या प्रेक्टिकल फायदा हुआ है?

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सब से बड़ी दुःख की बात यह होती है कि एक ओर तो हम यह कहते हैं कि हम राजस्थान की सर्वांगीण उन्नति करना चाहते हैं, जब दूसरी ओर मैं देखता हूं राजस्थान में कि जल-व्यवस्था के लिए ४० लाख रुपये ५७-५८ के बजट में प्रस्तावित करते हैं। उस चालीस लाख रुपये में से ३० लाख रुपये तो शहरों पर वाटर सप्लाई के लिये खर्च कर देते हैं जिससे शहरवासियों को फिल्टर्ड पानी मिलता है, नलों से मिलता है और बिल्कुल अपने घर के अन्दर मिलता है। दूसरी ओर गांवों में पानी की व्यवस्था के लिये सिर्फ १० लाख रुपये का प्रोविजन रखा है, जहां लोगों को पानी का इतना कष्ट है वे कि पीने के लिए पांच-पांच, सात-सात कोस से पानी लाते हैं, जो गन्दा पानी पीते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई

Page No.80

(श्री तेजाराम)

का पैसा टेक्स के रूप में आपको देते हैं। क्या हम इससे यह समझ सकते हैं कि यह बजट ग्रामों में रहने वाली आम जनता की उन्नति के लिये है? इसके अलावा इस बजट के अन्दर २ करोड़ रुपया जोधपुर, जयपुर और कोटा के लिए मन्जूर पहले से ही सरकार ने कर दिये हैं और रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए सिर्फ ११ लाख रुपये की मंजूरी की गई है। मैं यह नहीं कहता कि जयपुर, जोधपुर और कोटा के लिये खर्च न किया जाय। मेरा तो यह निवेदन है कि आप जितनी भी सुविधायें इनको दे सकते हैं दें, लेकिन आप उन ग्रामवासियों का भी ध्यान रखिये जिनके पास पीने तक को पानी नहीं, जो दूसरे गांवों से लाकर पानी पीते हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जहां ज्यादा दुःख हो, ज्यादा बीमारी हो उन मरीजों का पहले ध्यान रखें। जहां तन्दुरुस्त आदमी हैं उनकी तन्दुरुस्ती मेन्टेन करने के लिये यदि कुछ विलम्ब भी हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो टेक्स रखे उनके लिए भी दो शब्द कहने हैं। किसानों के ऊपर, जिनकी आमदनी १५०० से ऊपर है, उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम टेक्स रखा गया है, दूसरी; भेड़, बकरी, गोट (Goat), कोटन, वूल इन चीजों पर सेल्स टेक्स रखा है। एक तरफ तो हम गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और दूसरी ओर गृहउद्योगों में जो चीजें काम आती हैं उन पर टेक्स लगाते हैं। यह गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देना कहां रहा? क्या ही अच्छा होता यदि सरकार द्वारा ये चीजें टेक्स से मुक्त होतीं; आज जो कर्मचारी ५००) रुपये से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर डेवलपमेन्ट टेक्स लगाये जाते। जिस किसान को पांच रुपये को आमदनी नहीं उस पर आप Land Revenue लगाते हैं। ज्यादा आय वालों पर एग्रीकल्चर इनकम टेक्स, कन्सोलिडेशन की होल्डिंग्स का टेक्स आदि कई प्रकार के टेक्स लागू करते हैं। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों की आमदनी श्योर है उनमें किसी प्रकार की कमी आने वाली नहीं, उन पर टेक्स लगाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह से विषमता बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती गई तो शायद जिस उद्देश्य को लेकर हम चलना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा माननीय वित मंत्री महोदय से, जिन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारा लक्ष्य सदन के सहयोग, मार्ग-दर्शन तथा समर्थन के बिना संभव नहीं है, मैं यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में जो कोई बजट पेश किया जावे उसमें टेक्स काश्तकारों पर, गरीब जनता पर न लगाये जावें और जिनके पास ज्यादा साधन हैं उन पर टेक्स लगाया जावे।

(कांग्रेसी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर और श्री शिवनाथसिंह को बोलने की अनुमति दी जाने पर)

श्री होतीलाल (भरतपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या आज का दिन सिर्फ कांग्रेसी मेम्बर्स को ही बोलने के लिये रिजर्व किया गया है। मैं एक घन्टे से देख रहा हूं, छः कांग्रेसी मेम्बर्स बोल चुके और ऑपोजिशन के मेम्बरों में से सिर्फ एक को बोलने का समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह प्रारम्भ करें।

श्री शिवनाथसिंह (गुड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो बजट १६५६–५७ का पेश किया गया है वह किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर पेश किया है जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा। हम समाजवादी अर्थ–व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है और इस उद्देश्य को सामने रखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है और हमें इस सिद्धान्त को लेकर बजट का अध्ययन करना है। वास्तव में यह बजट उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है या नहीं? बजट को हम दो तरह से डिसकस कर सकते हैं, तभी इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि हमारे सम्मुख जो बजट आया है वह किस आधार पर तैयार किया गया है? कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरी इस राय को पसन्द न करें।

दूसरी बात यह कि जिस समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की कल्पना कर हम चल रहे हैं और उसी के आधार पर जो यह बजट पेश किया गया है उस दिशा में प्रगति करता है या नहीं। मैं बजट के अध्ययन पर से निवेदन करूंगा आप लोगों से कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने हमें समाजवादी अर्थ व्यवस्था की तरफ ले जाने की जो बात कही है, उसमें इस बजट से किस हद तक मदद मिलती है? समाजवादी अर्थ–व्यवस्था का मतलब है कि कम सुविधा प्राप्त लोगों का आर्थिक विकास हो। जिन लोगों की आमदनी अधिक है वह अधिक रहे, पर जिनके पास आमदनी के साधन नहीं हैं उनके साधन बढ़ें और यही इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है तीव्र गति से औद्योगीकरण, जिसमें आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाय, रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाय, तथा आय तथा धन की असमानताओं में कमी तथा अर्थ व्यवस्था का अधिक सम्मानीकरण किया जाय। ये वित्त मन्त्री महोदय ने प्रिन्सिपल्स ले डाउन किये हैं और इन्हीं के आधार पर यह बजट बनाया गया है। अब हमें यह देखना है कि हमें इस बजट से इस उद्देश्य तक पहुँचने में किस प्रकार और किस हद तक मदद मिलती है?

इसमें भाखरा और चम्बल आदि योजनाएं रक्खी गई हैं। हालांकि इनसे इम्मीजिएट् रिटर्न इस समय नहीं होने वाला है, पर ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं इनके पूरा हो जाने पर कृषि की पैदावार बहुत बढ़ेगी और इससे आम जनता का, खास कर किसानों का, जो कि राजस्थान में ८० फी सदी हैं, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारे देश की हमारे प्रान्त की आय बढ़ेगी और हमारे काश्तकारों का फायदा होगा।

इसी तरह से दूसरी बातें रखी हैं बेकारी दूर करने के लिये। इसमें भी कई योजनाओं में करोड़ों रुपयों का प्रोवीजन किया गया है। इनमें टैकनीकल हैंड्स को और लेबरर्स को भी राहत मिलेगी।

इसी तरह से सड़क योजनाएं हैं। इससे बेकारी दूर होगी, आवागमन के साधन बढ़ेंगे। आवागमन के साधनों के अभाव में आज किसान अपनी कोमोडिटीज़ को, अपने प्रोडक्शन को अच्छी दरों पर नहीं बेच सकते, इन साधनों के अभाव में मार्केटिंग फेसिलिटीज़ उनको नहीं मिलतीं। पर अब वे भी मिलने लगेंगी और इससे काश्तकारों की आमदनी बढ़ेगी।

इसी तरह से विकास खण्डों का आयोजन किया गया है, २४ विकास खण्डों

(श्री शिवनाथसिंह)

का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है करीब करीब २४ तहसीलें। इनमें खेती के इम्प्रूव्ड मेथड्स सिखाए जाते हैं जिससे वहां के लोगों का स्टेन्डर्ड बढ़ेगा।

इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटि का प्रोवीजन है। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और शिक्षा का भी प्रावीजन है।

शिक्षा के सिलसिले में यह कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन २५०) रु० मासिक से कम है उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जावेगी। इससे वेतन के रूप में न होकर इन्डाइरेक्ट रूप से उनको मदद मिलेगी और उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा।

जिनकी आमदनी १००) मासिक की है ऐसे सरकारी कर्मचारियों के भी वेतन में ५) मासिक की वृद्धि की गई है।

तो यह जो चीजें इस बजट में हैं उनको देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारा बजट हमें समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर अग्रसर कर रहा है, यह बजट हमें समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की तरफ ले जाने वाला है। इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन देखना यह है कि इस बजट में जो रुपया अलग अलग मदों में बांटा गया है वह सारे प्रान्त का, सारे जिलों का इक्वल स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग करने में, इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करने में सहायक हुआ है या नहीं? यह मैं बताऊंगा और इस ओर मैं अर्थ मन्त्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा।

समूचे राजस्थान की हमें उन्नति करनी है, इसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं रखना है कि जो किसी दूसरे से पीछे रह गया हो। यह मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पर इस ओर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान दिलाने और इस बात को बराबर मद्दे नजर रखने की दृष्टि से कह रहा हूं क्योंकि कुछ इन्स्टान्सेज ऐसी भी हो सकती हैं जो वित्त मन्त्रीजी के ध्यान में न आ सकी हों और हम लोग जो अलग अलग जगहों से आये हैं इसलिये हमारे ध्यान में ये बातें हों तो वे बातें हमारे वित्त मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना हमारा फर्ज है।

तो उदाहरण के तौर पर एक झुंझुनू जिले को आप ले लीजिये। इस बजट में एजुकेशन बिल्डिंग्स का प्रोवीजन है, काफी रुपया इसके लिये सारे राजस्थान के लिये रक्खा गया है। पर झुंझुनू जिले में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इसी तरह से जुडीशियल बिल्डिंग्स हैं, इस मद में कुल रुपया जो राजस्थान भर के लिये खर्च होना है, ११४० हजार है, इसमें से झुंझुनू को ३ हजार दे पाये हैं। इसी तरह जेल्स वगैरह के लिये झुंझुनू में ७ हजार खर्चे के लिये है, जब कि कुल राजस्थान के लिये २८० हजार है। इरिगेशन आदि के लिये कुल रुपया २०,५४,४००) है पर झुंझुनू के लिये एक पैसा नहीं। मेजर, माइनर इर्रिगेशन में ४१,८८ हजार है पर झुंझुनू के लिये एक पैसा नहीं। फिर इरिगेशन वर्क स्केअर्सिटि एरिया में करने के लिये ८३ लाख के लगभग रकम रक्खी गई है, पर झुंझुनू में एक पैसा खर्च नहीं होने वाला है। वाटर सप्लाई में भी यहां के लिये कुछ प्रोवीजन नहीं है। इरिगेशन बिल्डिंग्स के लिये कुल ४५ हजार है, जब कि कुल खर्चा ५६ लाख ६१ हजार के लगभग है। मेडिकल बिल्डिंग्स में एक पैसा

(श्री शिवनाथसिंह)

नहीं है, एग्रीकल्चरल बिल्डिंग्स में एक पैसा नहीं, वैटेरिनरी अस्पतालों के लिये भी एक पैसा नहीं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट की तरफ से भी जो पैसा खर्च होने वाला है उसमें भी यहां के लिये एक पैसा नहीं।

तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैंने झुंझुनू जिले का एक उदाहरण दिया है। हो सकता है और भी जिलों की हालत ऐसी हो। हम यह तो नहीं कह सकते कि सभी जिलों के लिए बिल्कुल ही इक्वल हो सकता है, पर डिस्ट्रिब्युशन के लिए कुछ सिद्धान्त जरूर हमें स्थिर करने चाहिये। कौन सा स्थान गवर्नमेंट ट्रेजरी को कितना पे करता है, इसका भी ध्यान रक्खा जाना चाहिये और और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं इसका भी ध्यान रक्खा जाना चाहिये और अगर गवर्नमेंट ट्रेज़री में कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत कम या कुछ कम भी देता है, पर फिर भी अगर उस इलाके में कुछ खास कमियां हैं तो उनको पूरा करने के लिये उसे अधिक भी दिया जा सकता है ताकि वह इलाका पिछड़ा न रह सके, सबके समान स्तर पर आ जाय। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ सकता है।

पर बात ऐसी नहीं है। मैं, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं। एजुकेशन बिल्डिंग्स का प्रश्न है। झुंझुनू में सरकार की एक हाई स्कूल है। एक मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल खुले दो साल हो गये। उसमें साइन्स और कोमर्स ब्लॉक्स खुलने की बात थी, पर दो साल से नहीं खुल रहे हैं और बच्चों की इस विभाग की शिक्षा में बड़ी भारी अड़चन आ रही है।

इसी तरह से सड़कों का सवाल है। झुंझुनू जिले में मुश्किल से साल भर में बीस मील सड़कें बनी होंगी। हर साल प्रावधान होता है कि फलां जगह से फलां जगह तक सड़क बनेगी, पर समय पर बन नहीं पातीं और साल के अन्त में बजट का रुपया लैप्स हो जाता है। झुंझुनू से नवलगढ़ होते हुए व नवलगढ़ से झुंझुनू के लिये ४ लाख रुपया प्रोवाइड किया गया था जिसमें से केवल २ हजार रुपया ही खर्च हो पाया। इसलिए मैं इन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी हिस्सों के लिये समान दृष्टि से इक्वल डिस्ट्रिब्युशन तो नहीं हो सकता, यह मैं मानता हूं, पर सबका अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखा जावे।

(घंटी)

जहां तक टैक्सेशन का सवाल है मैं मानता हूं कि जो प्रोग्रेसिव स्टेट होगी, मुल्क होगा, उसमें टैक्सेशन लगेगा, बिना टैक्सेशन के किसी तरह डेवलपमेंट नहीं कर सकते। टैक्सेशन लगाये हैं वे प्रोग्रेसिव हैं। टैक्सेशन प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते जिनसे कि प्रोडक्शन पर असर पड़ता हो या उनकी वसूली में खर्चा अधिक होता हो, यानि जनता से वसूल कितना होता है और ट्रेजरी में कितना आता है; इस दृष्टि से देखें तो जो टैक्सेशन हैं वे प्रोग्रेसिव हैं। जहां तक लैंड रेवेन्यू का सवाल है उसका रियलाइजेशन ६ करोड़ ६७ लाख है और उस पर खर्चा है ७ लाख स्टाम्प का रियलाइजेशन २७ लाख व खर्चा होता है करीब २ लाख, इसी तरह से वेहिकल्स टैक्सेशन से ६२ लाख वसूल होता है और खर्चा होता है ४ लाख। इस तरह से यह टैक्सेशन प्रोग्रेसिव है और इसका समर्थन करना है; डिस्ट्रिब्युशन की ओर ध्यान रखना है।

Page No.84

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : राजा मानसिंह ।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Speaker, Sir, much has been said in connection with this budget but there are a few other points which I would like to bring to the notice of the House. In spite of the new talent introduced in the Treasury Benches, Sir, I am afraid this budget is most disappointing. The budget has not been put forward before this House in the manner in which it should have been. Perhaps the Hon'ble Finance Minister has not been long enough in the cabinet to have seen to it earlier. In the budget we should have the figures of the accounts for the year 1955-56, the revised budget estimates for the year 1956-57 and this year's estimates of 1957-58. The budget that has been put forward before us, which normally would require two months to study, only contains the figures for 1957-58 from which no one can make any head or tail.

We are told that this budget will be deficit by 2 crores 80 lacs 61 thousand rupees. This is after taking into account the figures for the new proposals of taxation amounting to 1.05 lacs and the Central grant-in-aid amounting to Rs. 2,34,19,000. In fact the budget which has been put forward before this House is deficit by Rs. 6,19,80,000. We must be grateful to the Centre for the huge amount they have given to us as grant-in-aid.

Regarding the new proposals of taxation which are :

Agricultural income-tax	Rs. 2 lacs.
State Excise duty	Rs. 15 „
Tax on Motor vehicles	Rs. 10 „
Entertainment tax	Rs. 3 „
Sales Tax	Rs. 50 „
Irrigation levy	Rs. 5 „
Betterment tax	Rs. 20 „
Total	Rs. 105 lacs.

it is quite obvious from these taxation proposals that this budget is anti-agriculturist. All these taxes, or at least a majority of them, will fall on the agriculturist, who will give approximately 70 lacs of rupees. Sir, on going through these budget figures I noticed that there was other increase also in the revenue section. There is an increase in the Education receipts of 50 lacs which has not been mentioned. There is also an increase under thermo-electric schemes of 30 lacs, receipts in aid of superannuation of one and a quarter lacs and under head Medical which in actual fact or most probably, is Central aid, an increase amounting to 8 lace. These figures total upto 89 lacs and one-quarter, but in the budget speech no mention has been made of these increases.

On the other hand we have lost

(राजा श्री मानसिंह)

income, according to these budget proposals, under head Industry-20 lacs, for which no explanation has been given. We have also lost under head Civil Works 50 lacs, for which again no explanation has been made.

In this Budget, as it has been put forward before us, every head, Sir, shows huge increase in expenditure. Under the Genral Administration, for instance, Sir, we should have thought that there should have been a saving of 6½ lacs through the abolition of the office of the Rajpramukh. On the other hand, if we look at the Budget proposals, we find under this head there is an increase of 32 lacs 36 thousand rupees. I should have thought that under the circumstances, it would be cheaper to have the Hon'ble Rajpramukh than to have a Governor as the Head of the State.

The Minister's salaries, though we have fewer Ministers today, have increased by one lac of rupees. We have heard a lot about Gandhian ways being discussed in this House, Sir, and I should like to appeal to the Treasury Benches that they should either follow the Gandhian ways or follow the example set by the non-congress Government in Kerala and lower their own salaries and the emoluments of this House.

There has been a lot of talk, Sir, on corruption, during the general debate on the Governor's Address and during this debate, Sir, but unfortunately for anti-corruption purposes, the Anti- Corruption Branch has only been provided for in the budget to the tune of 35,000/- of rupees. It is extraordinary that such an important department should have only been allotted such a small figure ? It is quite obvious under the circumstances that the Government in fact do not want to eradicate corruption but just want to put up a shield in front of the eyes of the public to defend themselves.

I have mentioned, Sir, that the sources of our income are not in fact sources of income, because they are all based on presumption. However I would like to suggest that there are sources of income of the Government which can increase the revenue. If proper leases of mines and quarries are made, the revenues would increase substantially.

Last November during a meeting in Bharatpur of the D. C. C. where the pesident of the P. C. C. was pleased to state that he had accepted as a present Rs. 50,000 from a stone contractor. That stone contractor was running a stone quarry on the basis of royalties and after making his profit he was able to offer Rs. 50,000 to the P. C. C. President. The P. C.

(राजा श्री मानसिंह)

C. President was also pleased to state at that meeting that most of this amount was spent on the by-election in kishangarh in 1952. But apart from adjustment of leases on quarries and mines, I would suggest that the Government should take proper action through the Anti-Corruption Branch in this matter.

Under the Head Agriculture, Sir, I was pleased very frankly to know that the Government proposed to spend Rs. 11, 46, 225/- on Agricultural Education. On this question, Sir, I should like to suggest that the supervision of the Agriculture Department is most necessary in Agricultural education. At present neither the examiners nor the lecturers have any practical knowledge of what they are trying to teach in theory.

I suggest that under the head 'Agriculture', that small tanks in villages which are under fisheries should be handed over to village panchayats so as to give income to village panchayats and ensure a livelihood to the small fisherman. Any devolopment of these tanks by the agriculture Department would of course be paid for by the Panchayat.

I should like to say, Sir, that the District agricultural officer should be given quick transport. Only today when I left Bharatpur I saw that the District Agriculture Officer who is there trying to control the sugar-cane disease was moving on a bicyle through an area which covers 70 miles. He must be provided with quick transport like a jeep by which he can properly serve the people.

I should like to suggest that greater amount of money should be spent on plant-proteetion. Plant protection in the initial years was a failure, but, Sir, during the last year or so the farmers have realised the benefits from plant-protection, and more money must be spent under this head.

Finally, Sir, since the members of Opposition are not given as much time to take part in this debate as members of the Congress party, I should just like to say a few words regarding the Devasthan. Department. I see that under head 'Charities for needy persons' there is an increase in the Budget of 2 lacs of rupees. From this figure it would seem, that it is a good thing that the Government is doing by increasing charities. On the other band, it is quite obvious to me that this is another source of providing Congressmen with an income for working in the last election. For example, I should like to point out that there are two Mahants (head priests) in

(राजा श्रीमानसिंह)

Bharatpur District, one in Lachhmanji's temple in Bharatpur and the other in the temple at weir, who most openly used temple funds and p ropogated for the Congress candate. We reported the matter to the authorities, but, unfortunately, Sir, no action was taken.

This I have given a precis on the budget, Sir, which I feel is going from bad to worse, year by year. In the initial stage of the merger of Rajasthan, the merged States contributed 21 crores of rupees to Rajasthan. Every year we have had to face a deficit of 2 or 3 crores and like this year 6 crores of rupees. This deficit, of coures, will have to come from our own resources which are deposited in the banks. Of course, If the Central Government makes grant-in-aid, this can be set off. Today our balances in the bank and other securities cannot be more than 9 crores of rupees.

श्री अध्यक्ष : अब सिर्फ एक ही भाषण होगा और उसके बाद माननीय वित्त मन्त्रीजी इस बहस का उत्तर देंगे।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री के बजट भाषण को सुन कर और जो छपी हुई पुस्तक है उसको देख कर मुझे यह अन्दाज हुआ कि शायद इसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो शायद डिटेल से देखने के बाद ध्यान में आ सके और शायद मेरे सुनने में कोई बात रह गई हो जो फिगर्स देखने से मालूम होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिगर्स देखने के बाद कुछ ऐसी निराशा हो रही है कि जो बजट संतुलित होना चाहिए था और जिसको बेलेन्स्ड कह कर पास किया जाना चाहिये था, जिसके लिए सब मिलकर बधाई देते, वैसी बात रही नहीं। हमारा बजट संतुलित है या नहीं, बेलेन्स्ड है या नहीं, मैं इसका जवाब दूं, ऐसा मैं फाइनेन्स का ज्ञाता नहीं हूं; लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उससे कह सकता हूं कि यह किसी भी तरह बेलेन्स्ड बजट नहीं कहा जा सकता। मैं यह मानता हूँ कि यह घाटे का बजट नहीं है क्योंकि यह बनिये की दुकान का बजट नहीं है, यह मामूली कारखाने या कारोबार का बजट नहीं है जो इस घाटे को सहन नहीं कर सके और कारोबार बंद हो जाय। इसमें यदि घाटा है तो सरकार को है, जिसके हाथ में पॉवर है, शक्ति है और जो घाटा पूरा कर सकती है। इसमें घाटा हो जावे, इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जहां पर खर्च होना चाहिये वहां खर्चा हुआ तो मैं इसे घाटे का बजट कहने को तैयार नहीं होऊंगा। लेकिन मैं देखता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जहां जरूरी चीजों पर खर्च करना चाहिये वहां उन पर खर्च न करते हुए भी घाटा रह गया है, जनहित के कार्यों के लिए जो खर्चा करना चाहिये था वह खर्चा नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी घाटा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि यह घाटे का बजट है।

मैं अर्ज करूं कि घाटा डाइरेक्ट टैक्सेज़ या इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ से किस प्रकार पूरा किया जा रहा है? आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि बहुत से डाइरेक्ट टैक्सेज़ इसमें शामिल हैं जो सीधे कंज्यूमर्स के ऊपर या जो खरीदने वाले या लेने वाले हैं उन पर

(श्री अनोपसिंह)

पड़ता है। इस प्रकार के डाइरेक्ट टेक्सेज़ के कारण जिस तरह से जनता की तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकती।

अब हमें यह देखना है कि जो खर्चा किया जाने वाला है वह किस तरह से किया जायगा ? यदि यह क्लीनलीनेस के लिये जयपुर के आस-पास बहुत से मकानात हैं उन पर खर्च किया होता तो कोई बात नहीं, या और बहुत सी जरूरी चीजों पर खर्च किया होता तो मैं समझता कि जनता के हित के लिए जो काम किये गये हैं उनमें घाटा होता है तो वह पूरा हो सकता है और कोई खास बात नहीं रहती। घाटा एक साल में पूरा नहीं होता। आज एक चीज करते हैं तो कम से कम ५ वर्षों के लिये उसका असर पड़े तो कोई बात नहीं। हमको यह सोचना पड़ेगा कि भाखरा नांगल, जवाई बांध आदि के लिये करोड़ों रुपये खर्च होंगे। उनका घाटा आज का आज पूरा नहीं कर सकते। उनके लिये धीरे धीरे ठहरना पड़ेगा, जनता को इन्तजारी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम कहें कि हमें इससे फायदा हुआ है या घाटा ? हमने जो डिज़ाइन की है, जो प्लान किया है उसको तो पूरा करना ही है।

आगे जब मैं बजट को देखता हूं अध्यक्ष महोदय, तो ऐसा दिखता है कि जो चीज बुनियादी है, जैसे शिक्षा हमारी बुनियादी चीज है, फंडामेन्टल चीज है उस पर ज्यादा खर्च किया होता तो अच्छा रहता। इसके लिये जो ६ करोड़ रुपये रखे गये हैं उनसे भी ज्यादा खर्च किया होता तो मैं उसको घाटा नहीं समझता। गांव गांव में स्कूलों की जो हालत है और मास्टरों की जो हालत है, पढ़ाई का जो स्तर है, स्टेन्डर्ड ऑफ स्टेडी है वह किसी भी तरह बढ़ी नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि हमारी बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इनकी ओर ध्यान दिया जाता तो जितनी योजना है उसमें डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन्स, पंचायत आदि हैं, उनसे सहयोग लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और योजना भी कामयाब हो जाती। शायद आपकी योजनायें, पंचवर्षीय योजना, दस वर्षीय योजना आज कामयाब हो जाती। स्कूलों की हालत देखते हुए, मैं यह देखता हूं कि बजट में कम से कम ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिससे हमारे यहां के लड़के बाहर भेजे जायं, और वे वहां से एक्सपर्ट बन कर आयें। मैं देखता हूं कि स्कूलों की क्वान्टिटी बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ पाई है, जिसकी आज राजस्थान में जरूरत है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि हमारे यहां बहुत खनिज पदार्थ हैं, जिनको बहुत सी जगह हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां शिक्षा में भी आमूल-चूल इस तरह का परिवर्तन हो और योजनायें इस तरह की बनें कि जिससे हमारे यहां के बच्चे बाहर भेजे जा सकें, वे वहां जाकर एक्सपर्ट बन सकें। आप एक एक लड़के पर १० हजार, २० हजार खर्च कर देते जिससे किसी से यह कहने की जरूरत नहीं होती कि हमारे यहां एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें एक्सपर्ट दो। लेकिन वह शिक्षा आज बच्चों को नहीं मिल रही है। हमारी शिक्षा के लिये ६ करोड़ के करीब बजट में रखा गया है। मुझे अफसोस है कि बाहर पढ़ने के लिए फोरिन स्टेडीज़ के लिए जो प्रावधान रखा गया है, उसे देख कर आपको भी अफसोस होगा कि वह सिर्फ १३ हजार है। १३ हजार के प्रावधान से आप चाहते हैं कि एक आदमी

(श्री अनोपसिंह)

बाहर जाय, वहां से पढ़ कर आये, और योजनाओं को पूरा करें; वे राजस्थान में घूम कर देखें कि कहां क्या बढ़ोत्तरी हो सकती है, कहां कहां पर इन्डस्ट्रीज़ खुल सकती हैं। आप १३ हजार में से चाहते हैं कि यह सब काम पूरा हो जाय। काम पूरा न होने पर आप कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम आदमी को अमरीका भेज देते, इंगलेंड भेज देते। मैं अर्ज करूंगा कि पैसे का दुरुपयोग किया गया है, ठीक तरह से पैसा खर्च नहीं किया गया है और. वित्त मन्त्री महोदय को इसी वजह से मुझे कहना पड़ा कि हमारा बजट घाटे में चल रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सके। मैं अर्ज करूंगा कि यह जरूरी चीज है। अगर आप पहले देखते तो शायद अच्छा होता और आपकी योजनायें सफल हुई होतीं और राजस्थान की बढ़ोतरी हुई होती। इसके साथ ही मैं अर्ज करूं कि आपके जो मल्टीपर्पज़ स्कूल्स हैं, वे कई जगह खोले तो गये हैं, लेकिन आज तक किसी जगह का मल्टीपर्पज़ स्कूल पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है, ऐसा कोई भी मल्टीपर्पज़ स्कूल नहीं है जिसमें सब सामान अच्छी तरह से हो। इस प्रकार आपकी योजनायें खत्म हो जाती हैं। आपको देखना तो यह चाहिये कि मल्टीपर्पज़ स्कूल का जो मतलब है, वह खत्म हो जाता है, आगे नहीं चलता, उसके बाद आप फरमाते हैं कि हम घाटा पूरा नहीं कर सकते।

मैं नेशनलाइज़ेशन ऑफ बुक्स के बारे में अर्ज करूं कि १० लाख इसके ऊपर खर्च किया गया, वह बिल्कुल खराब तरह से खर्च किया गया है। आप १० लाख रुपये नेशनलाइजेशन के लिए रख सकते हैं किन्तु अमरीका और इंगलेंड भेजने के लिये आपके पास पैसा नहीं है। वहां पर आप हर तरह के मेडिकल के वेटरनरी एक्सपर्ट, हर क्षेत्र में अधिक योग्यता रखने वाले लड़कों को अच्छी तरह से चुन कर, किसी भाई, मामा आदि को नहीं, वहां भेजते, वहां पर डिजर्विंग और योग्य उम्मीदवारों को भेजते तो राजस्थान में बढ़ोतरी होने में बहुत मदद मिलती। लेकिन रुपये का दुरुपयोग हुआ है, उतना खर्च जो हुआ है उसका कोई फायदा नहीं है।

एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट ऐसा है जिसके लिए मैं अर्ज करूं कि ३० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। मैं साफ कहने में हिचकिचाहट नहीं करूंगा मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि अंगुलियों पर गिनने जितनी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी, वे जिस प्लान और डिज़ाइन से चल रही हैं, उनका वही फल हो रहा है जो होना चाहिये था; शायद अंगुलियों पर गिनने जितनी बहुत कम तरक्की आई है। इसके सिवाय जो कुछ पैसा कोऑपरेटिव में खर्च किया जा रहा है वह कम्प्लीट वेस्टेज है, और केवल रजिस्टर में दिखाया हुआ है और आंकड़े बनाने के लिए है। कोऑपरेटिव में जो रुपया लगाया जा रहा है वह वेस्ट हो रहा है। चूंकि मैं विरोधी पक्ष में हूँ, इसलिए यह नहीं कह रहा हूं, और आप मेरी बात न मानें, लेकिन मेरी बात सदन से निकल कर बाहर आकाश में मिल जायगी। आपको मैं बताऊं कि लोक सभा के मेम्बरों ने बाहर जाकर रूस जाकर युरोप जाकर देखा है कि कहीं पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। हिन्दुस्तान आज इतना पिछड़ा हुआ है, वहां क्या आवश्यकता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को इतनी

(श्री अनोपसिंह)

बढ़ोतरी दी जाय। यह कोई वाजिब बात नहीं है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि ३० लाख के खर्च को कम करके १५ लाख कर दें, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चलता है वह फेल होता है।

अब मेडीकल हैड को लीजिये। आप उसे देखें तो मालूम होगा कि आपने २ करोड़ रुपये बजट में रखे हैं, उन दो करोड़ रुपयों में से आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए, जिस पर कि गांव गांव में, घरों घरों में, विश्वास है और जो हर जगह पहुंच सकती है, १० लाख रुपया खर्च किया गया है। अगर आप १० लाख रुपये से यह चाहते हैं कि पुराना जो साहित्य आयुर्वेद का है, पुराने से मेरा मतलब पहले की आयुर्वेदिक चिकित्सा से हैं, आप चाहें कि वह इतने रुपये में जागृत हो जाय, तो मेरे ख्याल में आपका अनुमान गलत हो जायगा। मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है।

(घंटी)

और मैं अध्यक्ष महोदय की घण्टी से भी घबराता हूं। लेकिन आज गांवों में जो पानी की हालत है, उसके ऊपर जरूर अर्ज करना है। ऐसी कई जगह हैं ; जैसे शेरगढ, बाली, फलोदी आदि एरिया हैं, वहां पीने के पानी की इतनी कमी है, वह इतना पिछड़ा हुआ है ; वहां पर मन्त्री महोदय तो पहुंचते नहीं, बदकिस्मती से मेरे जैसे आ जाते हैं। आप उनकी पानी की तकलीफ को महसूस नहीं करते हैं कि वहां पर क्यों पानी की कमी है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है ? मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूं कि आप वहां पर जाकर देखें, वहां पर भी इंसान बसते हैं। आप यहां पर शोवर के नीचे नहाते हुए उसका अन्दाज कैसे कर सकते हैं जहां लोगों को महीने भर तक नहाने की फ़ुर्सत नहीं है। "फ़ुर्सत" से मेरा मतलब यह है कि वहां पर एक आदमी सिर्फ़ रखा इसलिए जाता है कि वह सुबह पहले बैलगाड़ी लेकर चला जाये और १० कोस से पानी लेकर शाम को आये और फिर दूसरे दिन वही काम करे। जब वहां पर पीने के पानी की इतनी कमी है तो नहाने के लिए पानी का इन्तजाम वे कहां से कर सकते हैं ? मेरे ख्याल में मुख्य मन्त्री और सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय, यहां से जब थके-मांदे अपने घर जांय, बंगले में जांय, वहां आपके रेफ्रिरेटर का जो ठंडा पानी है, उसके लिये कह दें कि आज हमने सदन में दूसरी बात सुनी है, इसलिए हमारा यह पानी पीने का हक नहीं है, तो मुझे खुशी होगी और आपके घर में बधाई देने के लिये आऊंगा, यदि आपने रेफ्रीजरेटर का पानी लेना बन्द कर दिया। राजस्थान में आपके रहते हुये, राज्यपाल गुरुमुख निहालसिंह के होते हुए भी ऐसी जगह हैं जहां पानी मिलना तक दुस्वार हो जाता है, ऐसे पिछड़े हुए एरिया हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर भी इन्सान बसते हैं, उन इंसानों को किसी तरह की राहत देने की कोशिश करें। मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि मैं किसी पार्टी का होऊं, विरोधी पक्ष का सदस्य हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे जो शब्द हैं उनको सदन से बाहर निकलकर भूल जांय। आपको रेफ्रिजरेटर का पानी पीने का कोई हक नहीं है जब तक कि उस एरिया, बाली, शेरगढ, फलोदी आदि का जो एरिया है, वहां आप

(श्री अनोपसिंह)

पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर देते। आप शोवर के नीचे नहाते हैं, रेफरिजरेजर का पानी पीते हैं।

(शेम, शेम)

४. म. प.

राजा श्री मानसिंह (वैर) : There are many speakers, Sir, and I would request you to please continue the sitting of this House upto 6 O'clock today so that the reply of the Government could be given.

श्री अर्जुनदास : ६ बजे ट्रेन चली जाती है........ ...

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि काफी सदस्य बोल चुके हैं, और कट मोशन्स पर और बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां और और सदस्यों को २०-२०, पच्चीस २ मिनिट तक बोलने का समय दिया गया है, वहां मुझे १५ मिनिट का समय दिया जाय, १५ से १६ मिनिट नहीं लूंगा........

श्री अध्यक्ष : कितना समय लगेगा आप के जवाब में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): डेढ़ घंटे तक का समय छोड़ना चाहिए। पर माननीय सदस्य ६, साढ़े छः बजे तक बैठने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बजट पर बहस की यह कार्यवाही आज ही समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के तकदीर का बजट जो ६ मई को माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने पेश किया उस पर दो दिन की बहस के दौरान में सदन के माननीय सदस्यों ने बजट पर भाषण करते हुए अपनी अपनी रायें जाहिर कीं।

बजट पर भाषण करते हुए वित्त मन्त्री जी ने एक ओर भाखरा के बहते हुए पानी में गोते लगाये, कोटा के पास पहुँचते हुए चम्बल पर पहुँचे, जवाई पर पहुँचे, राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता पर प्रकाश डाला। इस पर वित्त मन्त्री जी को कई माननीय सदस्यों ने धन्यवाद दिया और कल शायद पाली से आये हुये माननीय सदस्य ने कहा था कि जो वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है, वह राजस्थान की अजीब तस्वीर है। वित्त मन्त्री जी ने तस्वीर तो बनाये राजस्थान की, पर गलती एक हुई। वह गलती इसलिये हुई कि वे कलाकार नहीं हैं, साहित्यिक हैं।

राजस्थान का बजट जो राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया गया उसकी तस्वीर सचमुच उस तसवीर जैसी है, जैसे कोई नया कलाकार गणेशजी की, विनायक जी की मूर्ति बनाने बैठा और सूँड सामने लगाने के बजाय पीछे लगा दी, तो गणपति जी की बजाय बन्दर की तस्वीर बन गई और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की राजस्थान की तस्वीर वित मन्त्रीजी ने बजट पेश करते समय पेश की है।

सदन के माननीय सदस्यों को यह आशा थी कि जिस बजट में प्रथम पंचवर्षीय योजना योजना की बातें आयें, भाखरा चम्बल और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जवाई की बातें आई हैं, जिस बजट में राजस्थान की गरीब जनता को आशाओं के पुल बधाये गये हैं, वहां माननीय सदस्यों को यह आशा थी कि हमारी सरकार वह रिपोर्ट रखती कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्या क्या काम किये; जितना रुपया खर्च किया, उसमें से कितने का उपयोग हुआ है, ८० प्रतिशत खर्चा किया है उसमें से कितना लाभ राजस्थान की जनता को हुआ है ? यहां राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि राजस्थान विधान सभा में आये हुए हैं उनके सामने बजट रखने से पहले वह रिपोर्ट रखनी चाहिए थी । बजट पेश करने से पहले कितना खर्चा हुआ, कितने बांध बने, कितना लाभ हुआ, इसकी जानकारी सरकारी पक्ष की ओर से दी जानी चाहिए थी और इसके बाद इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को गत वर्ष के बजट में दिया जाना चाहिये था ।

मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जहां एक ओर वित्त मन्त्री महोदय ने समाजवादी समाज की रचना के नाम पर घाटे का बजट पेश किया, वह भुलावा मात्र है, चालाकी है, चतुराई है । इसके लिये बजट को तैयार करने वाले बधाई के पात्र हो सकते हैं । घाटे का बजट अर्थ की प्रगति का लक्षण होता है पर इस बजट भाषण को पढ़ें, उसके पेज १४ पर विचार किया जाय । उसमें बताया गया है कि १९५६-५७ के लिये राजस्थान के निमित्त १६८३.४५ लाख रुपये तथा अजमेर के निमित्त १५४ लाख रुपये के कुल खर्च की धन-राशि रखी गई, उसमें से केवल १४०० लाख रुपया राजस्थान के लिये और ४५ लाख रुपया अजमेर के लिए खर्च हुआ । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह ७ करोड़ की बाकी धन-राशि रोकड़ बाकी के नाम से राजस्थान सरकार के पास जमा है वह कहाँ गई ? इस अमानत का, ७ करोड़ रुपये की धन-राशि का हिसाब लगाया होता तो घाटे का बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती । राजस्थान की गरीब जनता पर करों का भार लगाने के लिये यह घाटे का बजट चतुराई से पेश किया गया है । घाटे का बजट पेश करके बिक्री कर के नाम से ५० लाख रुपये का नया टैक्स लगाया गया है । समाजवादी समाज की रचना का नारा लगाते हैं, कल्याणकारी राज्य का नारा लगाते हैं और छोटे लोगों की भलाई का नारा लगाते हैं एवं सब को उचित लाभ देने का नारा लगाते हैं, बिक्री कर के नाम से ५० लाख रुपये का नया बोझा राजस्थान की जनता पर लाद कर ! आज घाटे के बजट के नाम पर ५० लाख रुपये का बिक्री कर लगाया है, मोटरों पर दो पैसे से बढ़ा कर एक आना किया गया है, दिल्ली में मोटरों पर दो पैसा लगता है । जो मोटरें बिकती हैं, जो लोग मोटरें बेचते हैं वे लोग कल ब्लेक मार्केट करेंगे और आज तक जो बिक्री कर आपको मोटरों से मिलता था, आने वाले जमाने में, नया टैक्स मिलना तो दूर जो पहले मिलता था वह भी नहीं मिलेगा । दवाइयों पर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट पर २०० रुपया लगाया है । साइकलों पर, ट्रक्स पर, ऊनी कपड़े पर, ग्रामोफोन पर, रेडियो पर टैक्स बढ़ाया है और टैक्स बढ़ाया है एक आना । पर प्रेश्यस स्टोन (precious stone) जिसको अमीर लोग काम में लेते हैं उस पर १० रुपया एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट रखा है । क्या इसी कल्पना के आधार पर

(श्री अनोपसिंह)

आपके टैक्सेज़ राजस्थान की गरीब जनता पर लादे जाते हैं ?

मैं निवेदन करूंगा सदन के माननीय सदस्यों के सामने कि आज कल्याणकारी राज्य का ढिंढोरा पीटा जाता है, समाजवादी समाज की रचना का ढिंढोरा पीटा जाता है। चांद-पोल के बाहर मन्त्री महोदय जायं तो गवर्न-मेंट होस्टल के पास २५ झोंपड़िया पड़ी हुई झर झर रो रही हैं, जहां राजस्थान के नाग-रिक रात-दिन लोहा कूट कूट कर, चाकू, छुरियें, चिमटे आदि तैयार करके, उन्हें बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं; क्या उनकी ओर आपका ध्यान गया है ? नहीं गया, क्योंकि आप सिविल लाइन्स में रहते हैं, मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर जाते हैं। कभी चांदपोल के बाहर से जाइये और झोंपड़ियों को देखिये।

आपने देखा, जयपुर में इतने रिक्शे चलते हैं। ढाई रुपया रोज का किराया देते हैं, ७५ रुपया मासिक उनको रिक्शे का किराया देना पड़ता है। राजस्थान सरकार ६० लाख रुपया सीमेंट फैक्ट्री पर लगा देती है, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंकों में लाखों रुपया लगा देती है और दिवाला निकालती है। आज पी. ए. सी. की रिपोर्ट साफ कहती है कि राजस्थान सरकार उद्योग-धंधों में पैसे डालती है और घाटा उठाती है, जिनसे एक पैसा नहीं मिलता। वहां लाखों रुपया लगाती है पर रिक्शा चलाने वालों पर रुपया खर्च करना नहीं चाहती। हम तो यह चाहते हैं कि रिक्शा चलाना बन्द होना चाहिये ; जैसे कि एक माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किये पर राजस्थान सरकार वह नहीं कर सकती, उन्हें कोई धंधा नहीं दे सकती तो छः सात लाख का इन्वेस्टमेंट करके सरकार रिक्शा चलाने वालों को आठ आना रोज पर रिक्शा प्रोवाइड करना चाहिये और फिर कुछ अर्से के बाद रिक्शों की ओनरशिप रिक्शा चलाने वालों की होनी चाहिये। पर आप डालमियां सीमेंट फैक्टरी चलाना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाना चाहते हैं, जिनमें आपको नुकसान होता है, आप पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, जहां आम लोगों से चार आना, छ आना प्रति युनिट की दर पर बिजली देते हैं, नेशनल बॉल बियरिंग फैक्ट्री को तीन पैसा और दो पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप सहायता देते हैं, क्या उन्हें रोटी नहीं मिलती ? क्या बिड़ला को रोटी नहीं मिलती, क्या पोद्दार को रोटी नहीं मिलती ? क्या डालमियां को रोटी नहीं मिलती ? क्या वे गरीब लोग हैं जो उनको ३ पैसे यूनिट की दर से पॉवर देते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा धिक्कार की बात क्या हो सकती है ?

आज प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफ-लता का ढिंढोरा पीटा जाता है, क्या यही उसकी सफलता का नमूना है जिससे अनाज दिन प्रतिदिन मंहगा होता जा रहा है ? राज-स्थान विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया कि अनाज की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, अनाज दो सेर का हो रहा है; माननीय अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आज तीन सेर के जौ और दो सेर के गेहूं मिल रहे हैं जब कि सन् ४१-४२ के पहले ३० सेर के जौ, २२ सेर के गेहूँ और डेढ़ सेर का घी मिलता था। राजस्थान की आज आर्थिक व्यवस्था

(श्री अनोपसिंह)

को देखिये, यह हालत है और आप चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें ! आज दो सेर का अनाज मिलता है ! प्रथम पंचवर्षीय योजना को कितनी सफलता मिली, इसकी मिशाल आज हमारे सामने है कि हमें दो सेर का अनाज लेना पड़ता है ।

इसी तरह टेक्निकल ट्रेनिंग का इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया है ! महाराजा आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल इस बात का साक्षी है कि राजस्थान सरकार की टेक्निकल प्रोविजन के प्रति उदासीन है, नई नई तरह के स्कूल-औषधालय खोलना चाहते हैं । आप वहां पर अपने अपने टीचर्स को रखते हैं और पेमेन्ट दिलाना चाहते हैं । मगर उनको भी पेमेन्ट नहीं होता । इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष, मैं आपको जयपुर से १६-१७ मील दूर आमेर तहसील में जो सिंगवाना का फोरेस्ट कहलाता है उसकी एक घटना बताना चाहता हूँ । इसके ठेके की रयुमर (rumour) किसी को नहीं मिली । इसका ठेका देने के लिये कोई नोटिस शाया नहीं किया गया, न किसी व्यापारी से टेन्डर कॉल किये गये । मगर मैं कहना चाहता हूं कि चुपचाप ४० लाख रुपयों में एक ठेकेदार को इस फोरेस्ट का ठेका बिना किसी को नोटिस दिये, बिना किसी प्रकार का टेन्डर लिये दे दिया गया । इसके लिये बाद में जब लोगों को मालूम हुआ तो शिकायतें हुईं, दिल्ली तक इसकी शिकायत हुई । दिल्ली से इस सम्बन्ध में कागजात मंगाये गये थे और अब वे कागजात दिल्ली से वापिस चीफ मिनिस्टर के पास आ गये हैं । उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की है, यह तो वे ही बतावेंगे । मगर जानेवाले भूतपूर्व वित मंत्री ने यह ठेका जाते जाते ४० लाख रुपये में दे ही दिया, इस प्रकार की कई मिसालें हैं ।

एक बात मैं आपको बसों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बताना चाहूंगा कि मोहम्मद नाम के व्यक्ति की बसें टोंक और देवली के बीच चला करती थीं । सरकार ने सबका वर्गीकरण करने के लिए वे बसें अपने कब्जे में ले लीं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की बसें थीं उसका नाम मोहम्मद था, उसको उस समय यह कहा गया था कि बसों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसका ठेका तुमको दे दिया जावेगा । मगर अफसोस की बात है कि उसको उसका ठेका देना तो दूर रहा उसको रूट का परमिट तक नहीं दिया गया और दूसरे लोगों को परमिट दिये गये । यह परमिट ऐसे लोगों को दिये गये जिन्होंने कांग्रेस को चुनाव में मदद दी, जिन्होंने चुनावों में ४०-४० हजार रुपये खर्च किये । कोई कहता है, जयपुर में खर्च किये, किसी ने नागौर में खर्च किये तो किसी ने डीडवाना में । इस प्रकार से ट्रान्सपोर्ट, फोरेस्ट और सेटलमेंट के विभागों से चुनावों के समय कांग्रेस को मदद दी गई और सरकार चुप है । मुझे तो इससे आश्चर्य होता है, जब मैं मंत्रियों की गाड़ियों को बाजार में लकड़ियें खरीद कर ले जाते और बच्चों को जूते पहिना कर ले जाते देखता हूं । क्या डिपार्टमेंटल गाड़ियें इसीलिए हैं कि मंत्रियों के व्यक्तिगत काम में लाई जावें । मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार की हमेशा यही नीति रही है कि वह कहती कुछ है और करती कुछ है । आपको मालूम ही है कि अभी सेक्रेटेरियेट में खस के टट्टे लगाये जाते हैं और उसके लिए टेन्डर्स मांगे गये हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में गर्मी होती है

(श्री अनोपसिंह)

और गर्म हवा आती है । इसके लिए उनको टट्टों की जरूरत है ताकि वे वहां सुविधा पूर्वक काम कर सकें और खस के टट्टों से उनके दिमाग ठंडे रह सकें, उनके दिमाग की गर्मी शान्त हो जावेगी । मगर मैं यह कहूंगा कि वे जिस समय राजाओं का राज्य था वे उनको इसी चीज के लिये कोसा करते थे । मैं यह नहीं कहता कि वहां पर टट्टे नहीं लगाये जावें । मैं कहूँगा कि अवश्य लगाये जावें, मगर खस के बजाय वहां पर कांटों के टट्टे भी लगाये जा सकते हैं और उनसे भी वही लाभ और ठंडक होगी जो खस के टट्टों से होती है । फिर यह खर्च क्यों ? आज आपका बजट घाटे का बजट है और आप राजस्थान की १॥ करोड़ जनता से टैक्स मांगते हैं । उस घाटे को पूरा करने के लिये और एक तरफ आप उनके धन का और उनकी पसीने की कमाई का पैसा इस तरह से खर्च करते हैं ?

राजा और महाराजाओं को आप कोसा करते थे और कहा करते थे कि ये बहुत पैसा खराब करते हैं । मगर आपने ही इनको लाखों रुपयों का प्रिवी पर्स दिया है । इसके अलावा उनको आपने बहुत सहूलियतें दी हैं ; उनको बिजली, पानी मुफ्त । इसके अलावा और भी सुविधाएं आपने इनको दी हैं ।

इसके अलावा आपने रिहेबिलिटेशन के डिपार्टमेंट को अभी तक ज्यों का त्यों बनाये रखा है । रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट समाप्त कभी हो जाना चाहिये था, मगर आपने उसको अभी तक कायम रखा है और वह केवल इसी लिये कि चुनावों का समय आवेगा उस समय सौदेबाजी करेंगे । केवल सौदेबाजी की भावना से ही यह डिपार्टमेंट अभी तक कायम रखा गया है । मैं यह कहूँगा कि आपको इस प्रकार की सौदेबाजी की बातों से दूर रहना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपको एक और मिसाल दूंगा । अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा, जो उदयपुर से निकलता है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में शराब सप्लाई करने के लिए यू० पी० के किसी ठेकेदार को ठेका दिया है और वह ठेका १५ लाख रुपये में दिया गया है । इसका मतलब यह होगा कि राजस्थान में शराब आती है । मैं समझता हूँ कि शराब तो बिल्कुल ही बन्द कर दी जानी चाहिए । मगर किसी मन्त्री महोदय ने १५ लाख रुपयों में यू० पी० के किसी ठेकेदार को शराब सप्लाई करने का ठेका दे दिया । क्या इससे राजस्थान का उद्योग सफर नहीं करेगा ? मैं यह कहूँगा कि इससे राजस्थान का उद्योग अवश्य सफर करेगा और राजस्थान में शराब की सप्लाई का ठेका किसी यू० पी० वाले को १५ लाख रुपयों में देना कहां तक उचित है, इस पर विचार करना है । यह ठेका राजस्थान के भूतपूर्व आबकारी मन्त्री ने दिया है जो आज हमारे सामने नहीं हैं और कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं । उनकी तो शक्ल भी आजकल दिखाई नहीं देती । इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ दाल में काला जरूर है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: यू० पी० के किस व्यक्ति को और किस डिविजन का ठेका दिया गया है, यदि इस सम्बन्ध में वे थोड़ी जानकारी दे दें तो ठीक रहेगा ।

श्री सतीशचन्द्र: अखबार में निकला है, मैं आपको बता दूंगा । मेरा समय क्यों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खराब किया जावे ।

(घंटी)

श्री सतीशचन्द्रः यह मेरी पहली घन्टी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आखिरी बात कह कर अपने भाषण को समाप्त करता हूँ । पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई है । उसमें लिखा है कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमिशन को बिना पूछे हजारों लोगों को नौकरी में रख लिया और अब ६ वर्षों के बाद कहते हैं कि जो इर्रेगुलेरिटी हुई है उसको आप कन्डोन कर दें, उन लोगों को जिनको सरकार ने बगैर पब्लिक सर्विस कमिशन के पूछे नौकरी में रख लिया था उनको नौकरी में रखने की इजाजत दे दें । मैं यह कहूंगा कि एक नहीं, अनेकों केसेज़ में पब्लिक सर्विस कमिशन ने जिन जिन व्यक्तियों को लेने के लिए सिफारिश की उनको नहीं लिया गया । मैं एक सेन्टेन्स आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ :

"It was mentioned in the previous year' rveport that Government often took considerable time in appointing candidates recommended by the Commission, which not only kept in suspense the candidates, but also forced them to seek their chances elsewhere..."

कमीशन ने लोगों को नौकरी के लिये रिकमन्ड किया । जिस कमीशन पर हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं और मैं माननीय सदस्यों के सामने बताना चाहूँगा कि जिस पर २॥ लाख रुपया खर्च किया जाता है और जिसके मेम्बरों को दो-दो हजार और ढाई-ढाई हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है उनकी रिकमन्डेशन केवल इसलिए रद्दी की टोकरी में रख दी जाती है कि वे उनके आदमी नहीं हैं । क्यों नहीं पब्लिक सर्विस कमिशन की रिकमन्डेशन पर विचार करते ? जब सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस कमिशन आपने मुकर्रर किया है तो उसकी रिकमन्डेशन पर अमल करना चाहिये और अगर नहीं करते तो फिर उसको क्यों रखा जाता है ? यह रखा भी इसीलिए जाता है कि लोगों को न्याय मिलेगा ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बजट में जो घाटा बताया गया है और जो घाटे का बजट पेश किया गया है उसमें सरकार ने बेइमानी की है और यह घाटा बजट में दिखा कर टैक्स लगाने की युक्ति निकाली है और टैक्स लगाने की नीयत से ही यह घाटा दिखाया गया है । इस प्रकार से टैक्स से समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना नहीं कहा जा सकता है । यह तो समाजवाद की ओर बढ़ने का केवल ढिंढोरा है, ढोंग है । बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री लच्छूराम (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से बजट पर बहस चल रही है । पहले भी माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस चली थी परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि राज्यपाल के भाषण और बजट के भाषण पर बहस में कोई अन्तर है । राज्यपाल महोदय को धन्यवाद के भाषण पर जो कुछ कहा गया वही आज दोहराया जा रहा है और आज बजट पर वाद-विवाद, उसकी प्रतिक्रिया पर भी वही बातें कही जा रही हैं । सभी माननीय सदस्यों की यही मांग है, कोई

(श्री लच्छूराम)

अपने क्षेत्र की गाता है तो कोई अपने गांव की गाता है। इसके अलावा कोई भी ठोस सुझाव नहीं देते । अभी जो बजट हमारे सामने है वह घाटे का बजट है मगर इसके लिए हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में राष्ट्र निर्माण के बजट घाटे के बजट होते हैं और उसमें हमें चिन्ता की जरूरत नहीं क्योंकि बजट जो हमारे सामने पेश हुआ है वह कोई बनिये की दुकान का बजट नहीं है। बनिये को १०० रुपये की आमदनी होती है तो ६०) रुपये का बजट बनाता है और १०) रु० अपने घर में रखता है। हम तो यहां पर राष्ट्र निर्माण के लिए बजट बना रहे हैं। हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं। मगर चिन्ता इस बात की है कि इस घाटे को पूरा करने का सरकार का रवैया क्या है? आज हमारे सामने ३ करोड़ ८० लाख का घाटा है। उसको पूरा करने के लिये हमारी सरकार का जो इरादा है उसको मैं ठीक नहीं समझता हूं।

हमारे सामने घाटे को पूरा करने के लिये जनता पर कुछ कर लगाये गये हैं। वे सरकार के उन सिद्धान्तों के खिलाफ हैं जो समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये होने चाहिये । सबसे पहला एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स हमारे सामने है। मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पर तो सबको इत्तिला मिल जाती है, मगर किसान जो देहातों में रहते हैं उनके पास सूचना का कोई साधन नहीं है, उनको दो-चार महीनों के बाद जाकर पता चलेगा कि उन पर कौन सी नई आपत्ति आनेवाली है । इसके बारे में पहले भी कांग्रेस के किसी सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा था, मगर चीफ मिनिस्टर साहब ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, परन्तु एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का बिल जो सदन के सामने आ रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि यहां भी किसानों की काफी संख्या है और राज्य में भी किसानों की संख्या ज्यादा है और अब भी हमारे सदन में यह बिल पारित हो जायगा तो बड़े शर्म की बात होगी । एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को क्यों लागू किया जाता है ? यह तो स्पष्ट है कि कोई भी इस प्रकार का वर्ग नहीं है जिस पर दोहरा टैक्स लगाया गया हो । एक तरफ तो किसान भूमिकर देता है और भूमिकर के बाद में उस पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स भी लगता है। तो यह बहुत ही शर्म की बात है। तो यह जो एग्रीकल्चरल पर इन्कम टैक्स है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और मैं उसके बिलकुल खिलाफ हूं।

दूसरे, हमारे भाषण के अन्दर यह बताया गया कि पांच वर्षों में हम काफी कर गये। परन्तु काफी क्या कर गये, इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं है । अच्छा होता यदि हमारे सामने पंचवर्षीय योजना की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी वह सदन के सामने होती, तो अच्छी तरह से बजट के ऊपर हम विचार कर सकते थे । अब छोटे कर्मचारियों के लिये पांच रुपये बढ़ाये गए हैं। मैं समझता हूं कि यह तो एक मामूली सा आश्वासन है। बेचारे छोटे छोटे कर्मचारी जो कई दिनों से आश लगाये बैठे थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होगा, परन्तु उनके सारे विचार खत्म हो गये और खास कर तो अध्यापक लोगों ने इसी भावना से अपने बजट को भी बढ़ा दिया था कि हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। जैसा केरल में है कि कम से कम सौ रुपया तो तनख्वाह होगी ही । जब हमारी सरकार ने ही

(श्री लच्छूराम)

घाटे का बजट बना दिया तो अध्यापकों ने भी अपना घाटे का बजट बना लिया । वह सोचते थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ जायेगी। परन्तु अब जब कि दो चार रोज में उनके सामने बजट आया तो उनको महसूस हुआ कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कह देना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में उनके सामने कई डेपुटेशन्स आयेंगे। तो यह जो छोटे कर्मचारियों के लिये पांच रुपये की बढ़ोतरी की बात है यह कोई बढ़ोतरी नहीं है, यह तो एक तरह से छोटे आदमियों का गला घोंटना है।

शिक्षा के अन्दर जैसे ; टेक्नीकल एज्युकेशन है, इसके लिये मैं कहूंगा कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जैसा मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने बताया कि जब तक हमारी शिक्षा के अन्दर टेक्नीकल एज्युकेशन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक जो कुछ भी हम शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वह टेक्नीकल एज्युकेशन की तरफ भी ध्यान दे। वास्तव में एज्युकेशन के लिए तेरह हजार रुपये की रकम बहुत कम है । अगर तेरह हजार की जगह तेरह लाख भी कर दी जाती तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती।

दूसरे, उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, इन्डस्ट्रीज का जो राष्ट्रीयकरण है उसके लिए भी हमारी सरकार का जो कदम है वह बहुत बुरा है। इस प्रकार के उद्योगपतियों को जिनके पास पहले से ही काफी रुपया भरा हुआ है उनको सहायता और भी दी जाती है, लेकिन यह सहायता इस प्रकार से न देकर अगर गवर्नमेन्ट इनको अपने अन्दर में ले ले, कारखानों को अपने हाथ में ले ले तो इससे अधिक फायदा हो सकता है। शिक्षा के अन्दर अध्यापकों की हालत तो मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से छोटे कर्मचारी शिक्षा में, पुलिस में, और भी दूसरे महकमे में हैं जिनमें छोटे कर्मचारी है, उनका भी वही हाल है। पुलिस विभाग में एक सिपाही का ४५ रुपये मिलते हैं। उनको बारह महीने में एक वर्दी मिलती है, अब उसी वर्दी को वह बारह महीने पहने रहता है। कभी नेकर फट जाती है तो उसके कारी लगा लेता है और कभी पेन्ट फट जाती है तो उसके कारी लगा लेता है। मतलब यह है कि उनको पहनने के लिए वर्दी भी पूरी नहीं होती। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इनको कम से कम बारह महीने में एक के बजाय दो वर्दी तो अवश्य ही मिलनी चाहिए। इनको तनख्वाह जो ४५ रुपया मिलतो हैं वह इतनी कम है कि अपना भी पेट पूरी तरह से नहीं भर पाते तो आप ही बतायें कि उनके परिवार का प्रबन्ध कैसे किया जा सकता है ? तो छोटे कर्मचारियों के लिए जो पांच रुपये बढ़ाने का कदम सरकार ने उठाया है वह कोई सराहनीय कदम नहीं है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसके अन्दर बढ़ोतरी की जाये। तो जो मैंने कहा कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें और बढ़ा दी जायें, टेक्नीकल एज्युकेशन में भी रुपया खर्च किया जाय, फोरिन एज्युकेशन पर भी रुपया खर्च किया जाय तो फिर सवाल यह उठता है कि यह सब रुपया कहां से आयेगा ? यह मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के भाषण पर बताया

(श्री लच्छूराम)

था कि इसके लिये साधन तो बहुत हैं लेकिन आप उन साधनों को काम में नहीं लाना चाहते। राजाओं को जो प्रिवी पर्स दिया जाता है उसके बारे में मेरा सुझाव है कि उसको बन्द कर दिया जाय। जागीरदारों को जो मुआवजा दिया जाता है वह बिलकुल नाजायज़ है और वह नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे, इसी प्रकार की जो एशोआराम की सामग्री है उन पर काफ़ी टैक्सेज़ लगाये जायें। तो इस तरह से आमदनी के तो बहुत तरीके हैं, परन्तु हम इनको क्यों नहीं काम में लाते? सम्भव है कि इस प्रकार के पूंजीपति या बड़े बड़े जागीरदार या जो धन्नापति सेठ हैं इनकी टोपी इनके हाथ में हो। मैं इस प्रकार के कई उदाहरण देता हूँ फिर भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

तो मैं समाजवादी समाज की स्थापना करने वाली सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो यह तो थोड़ा ही घाटा है। हम तो दस-बीस करोड़ तक का घाटा पूरा करके बता सकते हैं। पैसा इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका यही है कि जो राजाओं को प्रिवीपर्स मिलता है वह ले लिया जाये, जो जागीरदारों को मुआवजा मिलता है उसको आज न देकर १५ वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाय और उनसे कह दिया जाय कि अभी तो आप मौज करो, आपको पैसा जो मुआवजे का है वह पन्द्रह साल बाद दिया जायगा। इस तरह से इस छोटी रकम को पूरा करना तो एक मामूली सी बात है। तो इस प्रकार से घाटे का मामला तो पूरा हो जाता है।

एक और गड़बड़ घोटाला जरूर है और वह है हमारी विकास योजनाओं के अन्दर, खर्च करने की नीति में। सब क्षेत्रों से आवाज उठती है कि हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनीं, स्कूलें नहीं खुलीं, कूओं का निर्माण नहीं हुआ लेकिन झुंझुनू की तरफ से तो कोई आवाज नहीं आती। इसका एक कारण हो सकता है। वहां पर राजनैतिक पहलवानों की लड़ाइयां होती रहती होंगी। मैं सरकार का ध्यान झुंझुनू जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर सड़कों के निर्माण का कार्य शीघ्र ही लिया जाय। अगर आप देखें तो उस क्षेत्र में इस पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। चूरू से झुंझुनू वाया बिसाऊ एक सड़क आती है उसका निर्माण भी बिसाऊ तक ही हुआ है। बिसाऊ से वाया मालसर होती हुई झुंझुनू सड़क आती है उसका तो अभी तक नामो निशान ही नहीं है। अब इसके लिए महीने, दो महीने से मील दो मील का टुकड़ा मंजूर हुआ है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि इस तरफ यातायात के साधनों की बहुत कमी है और यहां सड़कों का निर्माण होना चाहिये। मण्डावा, झुंझुनू सड़क निर्माण भी आवश्यक है, इसलिए मैं माननीय यातायात मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी सड़कों के निर्माण की तरफ ध्यान दिया जाय। बस मैं इतना ही कहूंगा।

श्री नाथूलाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सन् १९५७-५८ का बजट

(श्री नाथूलाल)

प्रस्तुत किया गया है वह ठीक है लेकिन उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गत पंच वर्षीय योजना के लिये बताया गया है कि सिंचाई विभाग व बिजली के लिये काफी रुपया रखा था। माननीय अध्यक्ष, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे बतायें कि यह रकम किस क्षेत्र के अन्दर लगाई गई? जयपुर डिवीजन की तरफ यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा, जयपुर डिवीजन में न सिंचाई के साधन हैं और न बिजली के साधन ही हैं। अगर जयपुर डिवीजन में कुछ किया गया है तो वह कुओं के निर्माण से ही सिंचाई होती है। इनके अलावा यहां पर सिर्फ दो बान्ध हैं; एक तो जमवा रामगढ का बांध और दूसरा मालपुरा में टोरडी सागर। ये दो बन्ध नजर आते हैं और इन्हीं से थोड़ी सिंचाई होती हैं। दूसरी ओर भाखरा और चंबल के बांध बनाये जा रहे हैं लेकिन जयपुर डिवीजन में इस प्रकार की कोई योजना नहीं।

दूसरी बात यह है कि हमारे डिवीजन में कुओं से सिंचाई की जाती है। यहां पर कूए कच्चे कूए हैं। गत वर्ष जो अधिक वर्षा हुई उसके कारण वे कूए बरसात में खत्म हो गये और ढह गये। सीमेन्ट का कोटा वगैरह पर्याप्त मात्रा से मिलता नहीं, पक्का कैसे करवायें? जब सीमेन्ट के लिये कन्ट्रोल विभाग के पास जाते हैं तो हमेशा इन्कार का जवाब मिलता है; इससे तो अच्छा यह हो कि सीमेन्ट का कन्ट्रोल खत्म कर दिया जाय। ज़्यादातर हम देखते हैं कि किसान लोगों को तो कन्ट्रोल रेट से सीमेन्ट मिल ही नहीं पाता। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हमने सीमेन्ट का कोटा कायम कर रखा है; अगर वास्तव में कर रखा है तो वह जाता कहां है? किसी को किसी भी कोटे पर सीमेन्ट नहीं मिलता। इससे अच्छा तो यह हो कि इस प्रकार का कोटा बिलकुल हटा दिया जाय ताकि बाजार में सीमेन्ट तो मिल सके पब्लिक को खरीदने में परेशानी तो नहीं होगी।

दूसरा पोइन्ट यह है कि बजट घाटे का बताया गया है। मैं पूछता हूँ, घाटा और मुनाफा दोनों, बजट में हो सकता है। घाटे के लिए हमें सोचना होगा, वह घाटा किस प्रकार से पूरा हो सकता है? अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है और उसमें उसको घाटा लग जाता है तो वह दूसरा बिज़नेस शुरू करके उस घाटे को पूरा करता है और इसी तरह से घाटा पूरा करना चाहिये। बजट में जो घाटा है वह घाटा ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह में से काट कर पूरा किया जा सकता है। जिस तरह से आप एक गरीब किसान पर एग्रीगल्चर इनकम टैक्स लगाते हैं जिसको किसान लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को वापिस लेना ही होगा नहीं तो किसान वर्ग आन्दोलन करेगा। किसान इस टैक्स को कभी बरदाश्त करने वाला नहीं। सिंचाई के ऊपर जो टैक्स लगाया, किसान उसको बरदाश्त करने वाला नहीं। इसलिये इन टैक्सों को कतई खत्म कर देना चाहिये। आज जो किसान की दुर्दशा हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। आज उसके घर में आग लग जाती है तो उससे रक्षा करने का उपाय उसके पास नहीं। किसानों के लिए मकान बनवाने के लिये चद्दर आदि का इन्तजाम नहीं। यह कहा

(श्री नाथूलाल)

जाता है कि किसानों को कन्ट्रोल रेट से चद्दर दिये जाते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही देख रहा हूं, किसी भी किसान को कन्ट्रोल रेट से चद्दर मिल नहीं पाते । बेचारे कभी किसी एम. एल. ए. के पास जाते हैं, सिफारिश करवाते हैं। कोई मिनिस्टर के पास पहुँचता है, बड़ी दुर्दशा होती है, फिर भी उनको चद्दर वगैरह नहीं मिलते । माननीय अध्यक्ष, मैं तो यही अर्ज करूंगा कि कन्ट्रोल वगैरह खत्म कर दिया जाय ताकि जनता को चाहे वह ब्लेक बाजार से मिले परन्तु मिल तो जायगी । इसलिये मेरा आखिरी यही निवेदन है कि आप सीमेंट और चद्दरों का कन्ट्रोल ही खत्म कर दीजिये । इसी में किसानों का भला है।

श्रीमती शन्नोदेवी (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूँ । उन्होंने अपने भाषण में कहा है, हमारा उद्देश्य है समाजवादी समाज रचना, जिसमें आर्थिक विकास के लाभ समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों को उत्तरोत्तर अधिक मिलने लगें । लेकिन देखा यह जाता है कि कम सुविधा प्राप्त जो लोग हैं उन्हें कम लाभ मिलता है और जिनके पास साधन अधिक हैं उनको अधिक सुविधा आदि का लाभ मिलता है । आज हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान की जनता अधिकांश ग्रामीण है, शहरों में कम लोग रहते हैं और गावों में अधिक । लेकिन शहरों में रहने वालों को अधिक लाभ मिलता है और उनकी अपेक्षा बहुत ही कम लाभ ग्रामीण जनता को मिल पाता है । आज गावों की जो हालत है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी ।

आज का बजट जो हमारे सामने है उसको देखते ही हमें पता चलता है कि हम अधिक से अधिक टैक्स ग्रामीण जनता पर लगा रहे हैं, भूमि पर टैक्स लगाया गया है, एग्रीकलचर इनकम टैक्स लगाया गया है ; यहीं तक नहीं लाइसेन्स प्राप्त जो वेक्सीनेटर होगा वह भी गांवों में जायगा तो ग्रामीण जनता से टीके लगाने के पैसे वसूल करेगा। जो ग्रामीण जनता गावों में बड़ी मेहनत से अपनी आजीविका पैदा करते हैं और उस अन्न को अगर बेचने के लिए शहर में लाता है तो उस पर म्युनिसिपल टैक्स लगता है । जितने भी इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ हम लगाते हैं उनका असर ग्रमीण जनता पर बहुत अधिक पड़ता है और अधिकांश टैक्सेज ग्रामीण जनता को चुकाने पड़ते हैं । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वे इस ग्रामीण जनता की ओर ध्यान दें । आज उनकी शिक्षा के लिए कोई समुचित प्रबन्ध नहीं । गावों में जाकर आप देखिये, १०-१५ गांवों के बीच में एक एक स्कूल होंगे । क्या उन ग्रामीणों के बच्चों को पढ़ाना आवश्यक नहीं ? क्या आप यह नहीं चाहते कि वे बच्चे पढ़ें और उन्नति करें ?

इसके अलावा आज हम देखते हैं, १७० गांवों के पीछे प्रसूति गृह नहीं मिलेगा । क्या आप महिलाओं के लिए प्रसूतिगृह की व्यवस्था नहीं कर सकते ? प्रसूतिगृह का होना नितान्त आवश्यक है । आपको चाहिए कि आप ३०-३५ गांवों के बीच एक प्रसूतिगृह कायम करें । अगर आप प्रसूतिगृह कायम नहीं कर सकते तो आप चलते-फिरते औषधालयों का इन्तजाम कीजिये, जिसमें एक डॉक्टर और एक मिडवाइफ का इन्तजाम हो जो गांवों में जाकर महिलाओं का निरीक्षण करें, महिलाओं को मदद दें, जो बहिनें और मातायें प्रसूतावस्था में मौत के मुंह में चली जाती है

(श्रीमती शान्नोदेवी)

उनको बचा सकें।

ग्रामीण भाइयों की शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं। उनको अखबार पढ़ने को नहीं मिलते, उनके पास अच्छी किताबें नहीं पहुँचतीं पढ़ने के लिये। आज हम देखते हैं, शहरों में बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियां मौजूद हैं जहां लाखों रुपयों की किताबें मौजूद हैं लेकिन गांवों में एक पुस्तक भी उपलब्ध नहीं होती। आपको गांवों के लिए चलती-फिरती लाइब्रेरी का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि लाइब्रेरी के जरिये किताबें और अखबार ग्रामीण जनता तक पहुँच सकें। आज जिस शासन की बागडोर उस ग्रामीण जनता के टैक्स पर चलती है क्या वह सरकार इस ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती ?

ग्रामीण बच्चों की दशा को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत दुःख होता है। वहां की महिलायें जब खेतों में जाती हैं तो वे अपने बच्चों को टोकरी में डालकर, सिर पर उठाकर तीन-तीन कोस पैदल चली जाती हैं; चाहे वर्षा हो, धूप हो या सर्दी। उन्हें अपने बच्चों को साथ ही रखना पड़ता है, उन बच्चों को रखने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं।

दूसरी बात यह है कि जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, बारह-बारह घंटे बाहर पड़े रहते हैं उन बच्चों का कैसे विकास हो सकता है ? उन नौनिहाल बच्चों के लिये सरकार को उचित प्रबन्ध करना चाहिये। इसके लिए गांवों में शिशु कल्याण कारी केन्द्र की स्थापना करें ताकि अपने देशवासियों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके और अपने नौनिहाल बच्चे तन्दुरुस्त रह सकें।

इसके अलावा एक और बात मैं यह जो कहना चाहती हूँ वह यह है कि यहां के कर्मचारियों में और दूसरे अधिकारियों में जो विषमता चली आ रही है अंग्रेजों के जमाने से वह अवश्य दूर होनी चाहिये। बजट में देखने से प्रतीत होता है कि टी. ए. बिल के लिए जो धनराशि खर्च की जाती है वह बहुत है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको २००) रु० से अधिक वेतन मिलता है उनको फर्स्ट क्लास का किराया दिया जाता है। अंग्रेजों के समय में यह विषमता जानबूझ कर रखी जाती थी कि वे अपने अधिकारियों को फर्स्ट क्लास में बैठने को कहें ताकि लोग उनसे डरते रहें, लोगों के और उनके बीच में भेद बना रहे, आपस में स्वतन्त्रतापूर्वक बात न कर सकें, और भयभीत होकर अलग अलग रहें, उनका रौब गरीब जनता पर बना रहे। उनकी धाक जमी रही तो यह विषमता उनके लिये आवश्यक हो सकती थी, पर आज जब हम आजाद हैं, तब मैं नहीं समझती कि यह विषमता क्यों कायम रहे? अगर यह विषमता हट जाती है तो यह अधिकारीगण ज्यादा से ज्यादा आम गरीब जनता के सम्पर्क में आते रहेंगे, उनसे आसानी से मिल-जुल सकेंगे और इस तरह से जो सरकारी कोष में रुपया बचेगा वह भी ग्रामीण भाइयों की भलाई में और उनकी उन्नति में लगाया जा सकेगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि बीकानेर जिले में पलाना में कोयले की खाने हैं। वहां कोयले का उत्पादन काफी बढ़ रहा है तथा और भी काफी बढ़ सकता है; अगर उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सके। परन्तु वहां का ठीक इन्तजाम नहीं हो सकने के कारण से वहां का उत्पादन कम है।

(श्रीमती शन्नोदेवी)

बीकानेर में एक बिजली घर है उसके लिये कोयला बाहर से मंगाया जाता है जो कि काफी मंहगा पड़ता है, ३२ रुपया टन पड़ता है; अगर इसके स्थान पर पलाना का कोयला यहां प्रयोग में लिया जाये तो वह ११ रुपया टन ही पड़ेगा और इस तरह से १० लाख रुपया सालाना की बचत हो सकती है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इस ओर ध्यान दें और जो कुछ भी वे इसके लिये कर सकें करें। धन्यवाद।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जवाब देंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय,....

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करूं आज्ञा हो तो। मुझे यह निवेदन करना है कि जो अब बोलने वालों के लिये समय बन्द कर दिया गया है, यह नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह बड़ा ही जरूरी मसला है और इसलिए उनको बोलने के लिए अवश्य समय दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : समय पहले ही बढ़ा दिया गया है। इससे ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं है।

श्री शिवचरणदास : यह तो हमारा अधिकार है जिसके लिये निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री।

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन से बजट पर जो वाद-विवाद हुआ उसके बाद सरकार की ओर से........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा लिखे गये पत्र सम्बन्धी औचित्य-प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में एक माननीय सदस्य ने अपने विचार बजट पर प्रकट करते हुए एक पत्र सदन में प्रस्तुत किया था, जिस पत्र में माननीय वित्त मन्त्री महोदय का हवाला था। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने वह पत्र लिखा था और उस पत्र में जो कुछ लिखा और जिनको लिखा वे सारी बातें माननीय सदस्य के सामने उन्होंने स्वीकार कीं।

मैं समझता हूं कि वह जो पत्र लिखा गया एक सरकारी कर्मचारी को और जिसको माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया.......

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप किस बारे में इन्फोर्मेशन चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सर्विसेज़ पर जो इल्जाम लगाया, उन्होंने स्वीकार किया; कहा कि मुझसे सरकारी कर्मचारी आकर मिले और कहा कि चुनाव में सहायता देने को तैयार हैं। तो उनके नाम सदन के सामने रक्खे जाने चाहिये। नहीं तो यह सीधा भ्रष्टाचार है और जब तक माननीय वित्त मन्त्री महोदय... ....

(घंटी)

Page No.104

श्री अध्यक्ष : Order ! order !! क्या चाहिये, क्या नहीं चाहिये उसका सम्बन्ध इस समय नहीं है। आपको पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना है तो उचित अवसर पर आप वैसा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन मंत्री महोदय पर भ्रष्टाचार का आरोप है उनका उत्तर क्या यह सदन सुनेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : There is no provision of law under which you can compel the Hon'ble member to disclose the names.

श्री अर्जुनदास : It is a suggestion from this side that the Finance Minister should resign before we hear the reply.

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय,....

श्री रामकरणसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिस चीज का हम जवाब मांग रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिलेगा तब तक हम उनको नहीं सुनाना चाहते।

श्री अध्यक्ष : कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। उसे रूल-आउट किया जाता है।

श्रीअर्जुनदास : Even the Hon'ble Chief Minister could assure us that he would hold some enquiry in that matter. Morally the Minister should resign. At least we want that the enquiry should be made in this respect.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, दो दिन के.......

श्री सतीशचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वित्तमन्त्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनको उन्होंने स्वीकार भी किया, तो क्यों नहीं वे उत्तर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वे इस तरह सदन की कार्यवाही को इन्टरप्ट न करें।

श्री सतीशचन्द्र : यह कार्यवाही में इन्टरप्शन नहीं है, अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिये मैं बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय के सामने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं जिन पर किसी प्रकार की सफाई उन्होंने नहीं दी। उन्हें पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Order ! order !! माननीय सदस्य को सुनें तो सही, क्या कहने जा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : पहले आप उनको यह आज्ञा दें कि वे अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष : कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) :

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

दो दिन की बजट की बहस के बाद अब सरकार की ओर से उठाये गये प्रश्नों के समाधान या उनका उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पहले अपना ही समाधान कर लें, साहब।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप कृपा करके शान्त रहिये और सदन के नियमों का पालन करें।

श्री भैरोंसिंह : सदन में आप पर आरोप लगाया गया है उसका समाधान करें, नहीं तो आप बाहर चले जावें।

आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद का उत्तर

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अध्यक्ष के देखने की बात है। बजट की चर्चा जो की गई तो उससे ऐसा मालूम होता है कि बजट की सही भावना को समझने की कोशिश बहुत कम की गई। एक बात की तो मुझे जरूर खुशी है कि जो मैंने अपने भाषण में समाजवादी समाज-रचना का जिक्र किया और यह बताया कि यह बजट और हमारी सरकार इस बात की ओर प्रवृत्त है कि इस आय-व्ययक के जरिये समाजवादी समाज की रचना की ओर कदम बढ़ाया गया है और जब कई माननीय सदस्यों को उनकी दृष्टि से उसकी झलक नहीं दिखलाई पड़ी तो वे दुखी भी हुए, नाराज भी हुए। इसमें हमारे जनसंघ के भाई भी थे। इससे मुझे खुशी हुई। यह बताता है कि हमारी विधान सभा समाजवादी समाज की तरफ जाने के लिये बहुत उत्सुक है।

लेकिन यदि वे ध्यान से देखेंगे और पिछले दस वर्षों से भारतवर्ष में और भारतवर्ष की केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रवृत्तियों को देखेंगे तो पता लगेगा कि उसकी निश्चित प्रवृत्ति और प्रगति समाजवाद की ओर है।

इस बजट में आप देखेंगे कि कम से कम बीस करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्मिलित है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन में भी जब द्वितीय योजना बनी तो उसमें भी यह डाइरेक्टिव था कि समाजवादी समाज-रचना का लक्ष्य ध्यान में रखकर उस प्लान का आयोजन किया जावे। उसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रयोग हमारे राजस्थान में हो रहा है और इस बजट में उसके लिए काफी रुपया रखा गया है।

कुछ सदस्यों ने इसके लिए पूछा कि इसमें किसानों के लिए, बेकारों की बेकारी दूर करने के लिए, क्या आयोजन है, क्या प्रोवीजन है? यदि वे इस बात की तरफ ध्यान दें कि आखिर ये जो योजनायें बनाई गई हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कि ये किस बात के लिये हैं और यदि हमने जगह जगह बांध बँधाये, नहरें लगाईं, कुओं की तकावी दी, बीज की तकावी दी तो ये सब बातें आखिर हमें किधर ले जाती हैं? अनाज की पैदावार बढ़ेगी, काम चलेंगे, कारखाने खुलेंगे छोटे और बड़े, तो इनसे बेकारी दूर नहीं होगी तो क्या होगा? अनएम्प्लोयमेन्ट के नाम से कोई अलग मद रखने की जरूरत थी या गांवों के लिए अलग रकम रखने की जरूरत थी यह नहीं। बजट का सार देखेंगे तो पता लगेगा कि जितने खर्चे की जितनी मदें हैं उनमें ज्यादातर मदें आपको दिखाई

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पड़ेंगी वे जो पंचवर्षीय योजना की हैं और हमारे राजस्थान के विकास की हैं। खर्चे के लिए बहुत कहा गया है। मैं मानता हूं इस बात को कि सरकार की जिम्मेदारी इस बात की है कि सही तरीके से आमदनी हो, तो सही तरीके से खर्च भी होना चाहिए। वाजिब खर्चा होना चाहिये, पक्षपात नहीं होना चाहिए, अगर कहीं इस प्रकार की बातें हुई हैं और जिस तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया उस ओर ध्यान देने की बात है, लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिया और कहा कि योजनाओं पर कम खर्चा होता है और शासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, खर्चा अधिक हो जाता है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। आम तौर पर बड़ी कम्पनियां हैं यह मानती हैं कि किसी कम्पनी में २५ प्रतिशत व्यवस्था-खर्च लगता हैं तो यह नहीं माना जाता है कि उसमें बदइन्तजामी है। यह आपकी स्टेट एक बड़ा कारोबार है। आमदनी करते हैं और खर्चा भी करते हैं। तो खर्च की जो मात्रा है, एक्सपेन्डीचर आपका जो है वह २५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होता है तो यह चिन्ता का विषय है और सोचने की बात है। कम होता है तो अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि खर्चे की मात्रा २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है, २० प्रतिशत है। दूसरे राज्यों के भी मेरे पास आंकड़े हैं, पर इस समय मेरे पास इतना समय नहीं है किन्तु मैं आपको फिर बता दूंगा। यह ख्याल आप लेकर न जायें कि हमारी सरकार एडमिस्ट्रेशन पर अन्धाधुन्ध खर्चा कर रही है, अगर ऐसा सोचते हैं तो जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार यह गलत है।

बजट खर्चा ज्यादा रक्खा है, कई माननीय सदस्यों ने उसको पसन्द किया, कइयों ने ना पसन्द किया। ना पसन्द आप कर सकते हैं, तब, जब कि वह खर्चा महज़ प्रशासन पर बढ़ा हो लेकिन वह खर्चा आयोजन पर बहुत पड़ा है। जो खर्चा इन योजनाओं पर पड़ा है उसके लिये आपके नाराज और दुखी होने की जरूरत नहीं है और मैंने पहले ही अपने भाषण में निवेदन किया कि आपको यदि प्रसन्न करना होता या केवल प्रशंसा लेनी रही होता या शाबाश लेना रहा होता तो यह मेरे लिये आसान था। मेरे लिए अभी मुश्किलें हैं जबकि बजट में घाटा है और उसको मीट करने के लिए टैक्सेज़ सुझाये हैं। किसी राज्य कर्मचारी या मंत्री के लिए सस्ती शाबाशी ले लेना आसान है, लेकिन समय पड़ने पर सदस्यों और हमारे नागरिक भाइयों की नाराजगी को बर्दाश्त करके अपने कर्तव्य का पालन करना और साफ बात कहना यह भी हमारा कर्तव्य होता है। जो इस कर्तव्य का पालन करता है वह हमेशा ही आलोचना का पात्र नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं, जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कि यह हमारा सारा एक कुटुम्ब है, मैं भी इस भावना को मानता हूं और यदि सारा कुटुम्ब है, आपका कुटुम्ब है उसमें जो व्यक्ति विषपान करता है, बुराई करता है, वह व्यक्ति भी आपका है, वह पद या विभाग भी आपकी सहानुभूति का पात्र है क्योंकि वह भी आपकी सेवा करता है। इस दृष्टि से यह बड़ा आसान था कि एक संतुलित बजट बनाया जाता। यदि वह बनाया जाता तो कुछ योजनायें कट जातीं और उससे राज्य की प्रगति में बाधा होती, जो सरकार को मंजूर नहीं थी।

Page No.107

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अब खर्चा ज्यादा हुआ, तो उसको कैसे मीट किया जाय ? अगर यह मान लेते है कि खर्चा ज्यादा किया उन उपयोगी योजनाओं पर तब यह सवाल अपने आप पैदा होता है कि इसके लिए जो रुपया घटेगा वह कहां से आयेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के पत्र विषयक औचित्य प्रश्न सम्बन्धी

श्री सतीशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। हम उस स्पष्टीकरण के इन्तजार में हैं। आप कहें वे इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जवाब तो दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण के लिए कह दिया। अमुक चीज का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप उनको अपना भाषण देने दें, इन्टरप्ट न करें।

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष,...... ......

(शोरगुल)

श्री रामकरणसिंह : हम सुनने के लिए तैयार नहीं।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री अर्जुनदास : If the Hon'ble Minister does not want to give a reply he should say that he does not want to give a reply. We should not wait on hopes and hopes, sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं बीच में इस प्रकार का इन्टरप्शन उचित नहीं है। मैं मानता हूँ कि उनके शब्दों पर आरोप हैं और इस सम्बन्ध में वे स्पष्टीकरण कर चुके हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, जिन मन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनका भाषण नहीं सुनना चाहते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो कुछ बात थी उसका मैं जवाब दे चुका।

श्री भैरोंसिंह : एक बात उन्होंने कही थी कि कुछ सरकारी कर्मचारी उनके पास आये थे और उन्होंने सहायता की अपील की थी, तो कम से कम उनके नाम तो बता दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यह कह रहा था कि खर्चा ज्यादा.........

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या माननीय सदस्यों को उनके नाम बता दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह का इन्टरप्शन न करें। अगर इस तरह करना चाहते हैं तो जो रूल्स हैं उनके अनुसार कार्यवाही करें, किन्तु इस तरह से सदन की कार्यवाही को इन्टरप्ट करना बिलकुल गैरवाजिब है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो जब खर्चा ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि उस खर्चे का प्रबन्ध आप करें। आपने देखा इस बजट

Page No.108

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में लगभग २६ करोड़ रेवेन्यू का है और कुल मिला कर एक्सपेन्डीचर ३२ करोड़ के लगभग है :

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण तो हो जाय कि इस बात का जवाब मिलेगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कह चुके हैं कि उसका जवाब दे दिया और अगर फिर आपको कोई पूछना है तो उसके लिए अन्य मार्ग है ।

श्री भैरोंसिंह : पहली बात का जवाब दिया कि पत्र लिखा था अमीन को, किन्तु इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि कौनसे सरकारी कर्मचारी उनके पास आये थे ?

श्री अध्यक्ष : I would like to warn the Hon'ble member not to interrupt the House like this.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे इस बारे में कोई उत्तर नहीं देना है । यह मेरे और उनके बीच का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकारी अधिकारियों का प्रश्न है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह उनके और मेरे बीच का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन माननीय मंत्री के लिए भी जिम्मेदार है ।

श्री अध्यक्ष : There are definite ways of raising any issue that the hon'ble Member may like, but this is not the proper opportunity of doing so. I would request them to please keep in their seats.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्हें आप आदेश दे दें कि जवाब तो दे दें और उन सारी बातों का स्पष्टीकरण भी हो जाय ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं कह रहा था कि करीब करीब ३ करोड़ का घाटा है जो मैं राउन्ड फीगर्स में दे रहा हूं........

श्री रामकरणसिंह : माननीय अध्यक्ष, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है । क्या कारण है कि स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, जबकि कर्मचारी उनसे मिले हैं........

श्री अध्यक्ष : मैं माननीन सदस्य को इतनी दफा निवेदन कर चुका हूं, अगर फिर ऐसा करेंगे तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन यह इतना गम्भीर प्रश्न है ......

श्री अध्यक्ष: Order please ! order !!

आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद का उत्तर

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: (जारी) तो मैं यह बता रहा था आपको कि कुल ३ करोड़ के लगभग जो घाटा है उसमें से १ करोड़ ८० लाख की रकम ऐसी है जिसके लिए प्लानिंग कमीशन के सामने हमारी सरकार एक तरह से वचन-बद्ध थी। जो २० करोड़ रुपये आपको द्वितीय पंच वर्षीय योजना

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के लिये मिले हैं उसमें से कम से कम १ करोड ८० लाख रुपये की रकम की आमदनी करना अपने राज्य के लिये जरूरी था। इस १८० लाख रुपयों में से भी आप देखेंगे कि टैक्सेशन से कुल १ करोड़ ५ लाख रूपये आप से चाहे गए हैं। ५० करोड के बजट में से १ करोड़ रुपयों का घाटा यदि टैक्सेशन से आपसे चाहा जाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि यह कोई बहुत बडी अपेक्षा या मांग आपसे है। इस १ करोड में से भी और और मदों को छोड दें तो ५० लाख रु० सिर्फ सेल्स टैक्स से चाहे हैं। इन ५० लाख रुपयों में से भी करीब १५ लाख रुपया तो सेन्ट्रल टैक्स, इन्टर स्टेट टैक्स, एक्साइज़ है उससे हमको मिलेंगे और करीब ३५ लाख रुपये आपके इस टैक्स के जरिये पड़ते हैं। अब इतने बड़े खर्च के आगे तो ये ३५ लाख रुपये दरिया में खस के बराबर ही मिलेंगे।

सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सों के बारे में कई सदस्यों ने अपना क्षोभ बताया है, लेकिन मैं निवेदन करना चहाता हूं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के पत्र पर जन-संघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की इच्छा है कि आपके (वित्त मंत्रीजी के) विचार सुनें लेकिन उन्होंने बताने से इन्कार कर दिया है। इसलिये हम उचित नहीं समझते कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उनका भाषण सुनें। इसलिये मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचारी वित्त मंत्रीजी का भाषण सुनें, उससे पहले (सदन से) बाहर चले जायें तो अच्छा होगा।

(जन–संघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

५.३ म० प०

आय–व्ययक पर हुए वाद–विवाद का उत्तर (पूर्व क्रम से)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (जारी) : तो टैक्स का जब सवाल पैदा होता है तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य और सब बातों के लिए तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं लेकिन टैक्स के सवाल से वे फौरन परेशान हो जाते हैं। मेरी समझ में यदि हमको अपने राज्य की आर्थिक दशा सुधारनी है और इन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना है तो जिन योजनाओं से लोगों को लाभ होता है उस लाभ का कुछ अंश यदि वे वापिस सरकार को देते हैं तो इसमें बुराई नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि यह उनका कर्त्तव्य है। तो यह कर्त्तव्य की भावना करों के प्रति पैदा होनी चाहिये और हम जो माननीय सदस्य यहां हैं उनकी जिम्मेदारी है और उनका भी कर्त्तव्य है कि जहां वे अपने क्षेत्रों के अभाव अभियोग यहां रखें वहां जो वाजिब और उचित बातें राज्य और सरकार की होती हैं उनके लिये जन-मानस भी तैयार करें। अभी घाटा इसलिये अखरता है कि जन-मानस तैयार नहीं करते हैं और फिर जब टैक्स की बातें यहां आती हैं तो परेशान होते हैं। इसलिए जब आप विचार करेंगे, जैसे कि आपसे कहा गया है कि ५० करोड में से सिर्फ १ करोड रुपया टैक्स के रूप में लिया जाता है, वह ज्यादा नहीं है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

इसमें भी आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स के बारे में आपने कैसे ख्याल बनाया कि गरीब जनता पर ही यह टैक्स पड़ने वाला है ?

एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बारे में कई सदस्यों ने बताया कि किसान इसे हरगिज नहीं देंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह टैक्स किन किसानों से लिया जायेगा। यह उनसे लिया जायेगा जिनकी नेट आमदनी ४ हजार रुपया वार्षिक होगी या जिनकी वार्षिक ग्रोस इन्कम इससे दुगुने से ज्यादा यानि १० हजार रुपये होगी, उनसे लिया जायेगा। जो लोग १० हजार रुपये वार्षिक आमदनी करते हैं उनसे यदि कुछ टैक्स के रूप में लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि कहां साधारण किसानों पर इसका बोझ पड़ता है और कहां गरीब किसान इसके मार से दबते हैं ? किसी मामूली किसान पर यह बोझ नहीं पड़ता है, इतनी बात हम भुला देते हैं। बड़े २ किसान जो १० हजार, १२ हजार रुपये सालाना आमदनी करते हैं उन पर लगता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि गरीब किसानों पर कैसे लगता है ? यह मैंने एक मिसाल दी है टैक्सेज के जो प्रपोजल्स आये हैं उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लग्जरीज की जो चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ाया है। दूसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लास्ट पोइन्ट पर बढ़ाया गया है। कई चीजों पर फर्स्ट पोइन्ट पर और कइयों पर लास्ट पोइन्ट पर रखा गया है। यह बहुत सोच-विचार कर रखा गया है; राज्य को भी कष्ट न हो और गरीब जनता पर भी बोझ न न पडे इस पर विचार करके रखा गया है। इसलिये यह जो भय आपको है कि टैक्सेशन से गरीब जनता पर बोझ पडेगा, ऐसी बात टैक्सेशन में कहीं नहीं है, अब आप कल्पना से ही भय की बात बना लें, यह दूसरी बात है।

अभी एक माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया था कि औद्योगीकरण की नीति सरकार की नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेन्ट की पोलिसी है, इसलिये सरकार के रुपये कई कम्पनियों में इन्वेस्ट किये गये हैं, कई कम्पनियों के शेयर्स लिये गये हैं, तो औद्योगीकरण और राष्ट्रीकरण की नीति नहीं है। जैसा उधर बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने बडे जोर और उत्साह के साथ कहा कि राष्ट्री-करण को नीति से होना चाहिये। मैं मानता हूँ कि केवल वे ही नहीं और भी कई सदस्य इस विचार के होंगे कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये लेकिन यदि हमने जन-मानस तैयार नहीं किया है तो राष्ट्रीयकरण जल्दी कैसे हो जायेगी ? इसलिये यदि एक साल में राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं है तो इतना बिगड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखना यह है कि हमारा कदम किस दिशा की ओर है। औद्योगीकरण बहस का प्रश्न है उसको अभी मैं नहीं छेड़ता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान के बडे बडे उद्योगों की ओर सरकार का ध्यान है। बिजली के अभाव के कारण ये तेजी से नहीं चल रहे हैं लेकिन बडे उद्योगों की ओर निश्चितरूप से सरकार कदम बढा रही है।

इन्वेस्टमेन्ट करने का जो सवाल है उसमें मुझे यह लगा कि माननीय सदस्य शायद यह समझे हुए थे कि वह रुपया इस तरह से इन्वेस्ट किया गया है कि शायद वह वापिस नहीं आनेवाला है, ऐसी बात नहीं है। जो रुपया इन्वेस्ट किया गया है उसकी थोडी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जानकारी दे दूं तो आपका समाधान हो जायेगा। एक यह बात भी आपके देखने की है कि पिछले ७-८ साल से कई तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ। कई राजा और कई रियासतों का रुपया शेयरों में लगा हुआ था, शेयरों में उनका लगाया हुआ रुपया कई जगह था। वह सब मिलाकर उनकी विरासत में हमें मिला है। फिर भी कुल मिला कर ३ करोड़ ३६ लाख ३४ हजार का इन्वेस्टमेंट है कम्पनियों में इनमें से ३ लाख २६ हजार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है, २ करोड़ ३६ लाख ४५ हजार १६ कम्पनियों में अलग अलग है। अब इसमें से २ करोड़ २० लाख ७८ हजार की जो रकम है, वह उन कम्पनियों में है, जो प्रोफिटेबल हैं, जिन्होंने कुछ मुनाफा किया है। कुछ ने डिविडेन्ड नहीं दिया है, हमें मुनाफा नहीं हुआ है लेकिन अपना रुपया सुरक्षित है....

श्री पी. के. चौधरी : कितना डिविडेन्ड देते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपको अलग अलग मोटी मोटी रकम आज बता देता हूं, जिससे आपका भय निकले कि रुपया खतरे में है, इसलिए मैंने जानकारी दी है।

अब इनमें से ६ कम्पनियें ऐसी हैं कि जिनमें घाटे का अन्देशा है और २ लाख ३५ हजार रुपये की रकम अपने आप खतरे में मान सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Which are those 6 firms ? May I know the names of those firms ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पुरानी कम्पनीज हैं, जो स्टेट्स के जमाने से चली आ रही हैं।

श्री श्रीभानसिंह : नाम बतादें तो अच्छा हो।

श्री पी. के. चौधरी : जयपुर उद्योग का कितना उठाया है और कितना मुनाफा किया, कितना डेप्रीशियेट किया आपके इनवेस्टमेंट के बाद, आप क्या बतायेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुख्य मन्त्रीजी इस पर रोशनी डाल देंगे।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir. How long we are expected to sit from 11.00 A.M., and it is 5.15 P.M.

श्री अध्यक्ष : We have decided to sit at least till 6.00 P.M.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक बात की ओर और ध्यान दिला देना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। समाजवाद लाने के लिए उससे बढ़ कर और कदम नहीं हो सकते हैं; जैसे हमारे कम्युनिस्ट प्राजेक्ट्स हैं; एन. ई. एस. ब्लॉक्स हैं, योजनायें हैं, जिनमें यह हिदायत है कि करीब करीब एक एक परिवार पर ध्यान दिया जाय, और जिनमें आमदनी की दृष्टि हो, शिक्षा की दृष्टि हो और सहकारिता की दृष्टि भी हो। इससे बढ़ कर और क्या इस बजट में चाहते हैं, समाजवाद की तरफ जाने के लिए, समाजवाद को प्रोत्साहन देने के लिए, मेरा निवेदन यह है कि यदि आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी रकम उन मदों पर रखी गई है कि

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जिससे हम समाजवाद की तरफ बढ़ सकें। मैंने यह कभी नहीं कहा कि समाजवाद की ओर हम बढ़ सके हैं, समाजवाद हमारे सामने है ; मैंने कहा है कि वह हमारा लक्ष्य है और इस तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई और वह यह है कि शहर की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये और विकास की योजनाओं का खर्चा किसी एक विशेष क्षेत्र में न होकर सभी क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बात उनकी सही है। यह ठीक है कि क्षेत्रों की आवश्यकता को देख कर, प्राकृतिक दशा देख कर योजनायें बनानी चाहिये। उनको इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना वाजिब है, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार का ध्यान पहले से इस बात की तरफ है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह टैक्सेज़ रिग्रेसिव हैं। मैं यह सुन कर बड़ा चौंक गया! उन्होंने शायद जोश में कह दिया होगा। वैसे माननीय सदस्य सोच-विचार कर बात कहने वाले हैं। वे जोश में कह गये। मैं मानता हूँ कि जो मैंने विगत की बातें रखी हैं उन्हें माननीय सदस्य देखें तो मानेंगे कि ये टैक्सेज़ रिग्रेसिव नहीं हैं। सेल्स टैक्स की जो एक्ज़ेम्पशन लिस्ट है, वह मेरे पास है। उसे मैं पेश करूं तो पता लग जायगा कि दूसरे प्रान्तों में इससे ज्यादा टैक्स है। हमने बहुत समझ समझ कर, सम्हल सम्हल कर, डरते हुए टैक्सेज़ के प्रपोज़ल्स आपके सामने रखे हैं। इसके मायने यह नहीं कि जो है, जो रखा है, वह सही है और उसमें कोई कोर-कसर नहीं है, उसमें सोचने विचारने की गुंजायश नहीं है ; यह अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो भय का भूत बना रखा है, उतने भय की मेरी समझ में आवश्यकता नहीं है।

सर्विसेज़ के बारे में बराबर यहां जिक्र होता है। मैं समर्थन करूंगा हमारे माननीय सदस्यों का जिन्होंने सर्विसेज़ के बारे में कहा। लेकिन आखिर ये सर्विस क्या हैं, यह मन्त्री मन्डल भी क्या है, ये सब आपकी सेवा के लिए है। जिस सेवा के लिए उनको बनाया हैं, अगर उन पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। वैसे आप उनको चैक करें, उनका कन्ट्रोल भी करें, यह आपका काम है।.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के पत्र पर प्रगतिशील दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

राजा श्री मानसिंह : On a point of order, Sir. The Hon'ble Finance Minister has said that the services are for our services. From the letter also which he has admitted it is clear that it is for his services. He does not want to explain his position.

श्री अध्यक्ष : Order please.

राजा श्री मानसिंह : If he does not want to explain his position we do not want to sit in the House.

(प्रगतिशील दल द्वारा भी सदन से बहिर्गमन)

५. १६–म० प०

श्री श्रीमानसिंह : I think the Progressive Group was searching

(श्री श्रीमानसिंह)

for an excuse.

(हंसी)

आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद का उत्तर

(पूर्व क्रम से)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो एक दफा आप तय कर लीजिये कि क्या उनकी कन्डीशन्स हो, क्या न हो, लेकिन एक दफा कन्डीशन्स तय कर लेने के बाद यदि बार बार उनकी टीका टिप्पणी करेंगे, तो मैं समझता हूं, उससे आप ही का काम बिगड़ेगा और वे व्यक्ति आपकी सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपकी सेवाओं में लगे हुये हैं, उनका भी ध्यान आपको रखने की जरुरत है। उनके बिना आपके विकास का, शासन का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता। आज उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं तो कल होगा, लेकिन वे आपकी दृष्टि में नहीं हैं, तो आपका काम बन्द रहेगा, इतना निवेदन है।

मैं समझता हूं कि इस बजट के सम्बन्ध में, वित्तीय दृष्टि से जितने स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वह भी आपके सामने रख दी है। उसके बाद मैं आशा करता हूं कि आप इस बजट को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। आप सबने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, सुझाव व्यक्त किये हैं, उनमें कई बातें विचार करने योग्य हैं, कई सुझाव विचार करने योग्य हैं। उन सबके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

श्री श्रीमानसिंह : On a point of explanation, Sir, the Han'ble Finance Minister did not explain whether he has charged any profit out of Registration fees or administration of justice. रजिस्ट्रेशन फीस जो है उससे गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफिट लिया है या नहीं, जो जस्टिस एड-मिनिस्टर करते हैं, उससे कोई प्रोफिट लिया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अभी मुख्य मंत्री जी आपको समझा देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न उपस्थित किया कि जो रजिस्ट्रेशन ड्युटी लगती है उसकी आमदनी गवर्नमेंट के पास आती है या नहीं ; यह बजट में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है। जो इससे आमदनी होती है तथा जो इस पर खर्चा होता है, वह इसमें दिया हुआ है, उससे अन्दाज किया जा सकता है कि लाभ होता है या हानि होती है।

श्री श्रीमानसिंह : On a point of explanation, Sir, the Honb'le Finance Minister said about the remark made by me that the taxation is too repressive in Rajasthan. Repressive कैसे हैं ? The principle behind the Registration fees and judiciary fees is as laid down in the Taxation Enquiry Report that they should be for specific purposes and no Government should make profit out of them.

This was my remark, Sir, and the Hon'ble Finance Minister has

(श्री श्रीमानसिंह)

not made it clear whether specific profit is made out of these services or not. The Finance Minister has observed that I referred to Sales Tax while I never mentioned Sales Tax.

श्री अध्यक्ष : You can draw your own conclusions. The figures are are there before you.

श्री श्रीमानसिंह : The points raised by the Hon'ble member in the House should be replied to by the Hon'ble Finance Minister. But if the Finance Minister does not want to reply, well, he may not do so or say so that he is not in a position to reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का दुख है कि हमें सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त मन्त्री को बीच में रोकना चाहा और इसके बाद उन्होंने वाक आउट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बातें कुल कह दी थीं, और कहने का तरीका हो सकता था अपनी बातों का, पर इस सम्बन्ध में जो तरीका काम में लिया गया वह मैं समझता हूँ उचित प्रतीत नहीं होता। खैर, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता।

इस बजट के वाद-विवाद के अन्दर करीब दो दिन पूरे लग चुके, कई माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत सी बातें इसमें कहीं। टैक्सेशन के बारे में जो बातें कही गई, मैं समझता हूं उसका जवाब अभी माननीय वित्त मन्त्री ने दिया, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूँ कि जब राजस्थान में हम विकास करना चाहते हैं तो उस विकास के लिये जिन्होंने राजस्थान की योजना की किताब पढ़ी है, भारतवर्ष की सेकिन्ड फाइव इयर प्लान को पढ़ा है, वे जानते हैं कि १०५ करोड़ रुपया खर्च करने पर हम प्रसन्नता जाहिर करते हैं और यह चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा खर्च कर पायें तो अच्छा हो।

इसके साथ यह निश्चित है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और पंच वर्षीय योजना में ८.१ करोड़ अपने रिसोर्सेज़ को बढ़ाने का आता है। इस सदन के अन्दर बार बार इस बात को कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा खर्च करें जिससे राजस्थान का विकास हो सके, वहां आर्थिक विकास को मजबूत कर सकें इसका भी हमें ध्यान रखना है।

मुझे दुख इस बात का है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कह दीं पर अपनी बातों का जवाब सुनने को उपस्थित नहीं हैं। एक माननीय सदस्य बड़े जोरों से बोल रहे थे और वे पेज वगैरह बतला कर इस तरह से कह रहे थे मानो उन्होंने बजट का पूरी तरह से अध्ययन किया हो। उन्होंने कहा कि १९ करोड़ रुपया पिछले साल रखा था, उसमें से १३ करोड़ रुपया ही खर्च हुआ तो पीछे बाकी ६ करोड़ बच गये और राजस्थान सरकार कहती है कि घाटा है।

मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि इतने विद्वता पूर्ण ढंग से इस तरह की बात कही जायेगी। सच बात तो यह है कि सारी व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करते तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मालूम हो जाता कि विकास का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह केन्द्रीय सरकार से आता है और घाटे की बात बताई वह रेवेन्यु डेफिसिट की बात है। दोनों का भेद कर पाते तो पोते बाकी बताने की आवश्यकता नहीं आती। पर उन्होंने बड़े जोर से इस बात को कहा, इस सम्बन्ध में अगर वे इस भाषण का अच्छी तरह से अध्ययन करते तो इसमें दिया हुआ है कि ५६ की १ अप्रेल को ओवर ड्राफ्ट की स्थिति ७४५.३२ लाख की थी और ३१ मार्च, ५७ को १०६२.८३ रुपये हो गई। तो एक आसान बात थी, हमारे ओवर ड्राफ्ट से पता लग जाता कि हमारे पास पोते–बाकी में ६ या ७ करोड़ रुपया बचा या हमारा घाटा बढ़ा। कुल मिला कर हम यह मान कर चलें कि ७करोड़ रुपयों की बचत हो गई और यहां पर सिर्फ टेक्सेशन लगाने की दृष्टि से घाटे का बजट बताते हैं और बाद में टैक्स लगाना चाहते हैं तो यह तथ्य से दूर है। सच बात तो यह है कि राजस्थान में आर्थिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रयत्न किया गया है। जो टेक्स लगाये गये हैं, उनमें प्रयत्न इस बात का किया गया है कि आम तौर से ठीक दर्जे के आदमी की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उन पर भार पड़े, इस बात को लक्ष्य रखा गया है। पर टेक्स लगाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हर एक चाहता है कि हम पर टेक्स का भार न बढ़े। लेकिन जहां एक तरफ केपिटल एक्सपेन्डीचर को बढ़ाते जाते हैं तो साफ बात है कि बजट में इसके लिए कुछ बढ़ाना पड़ेगा।

दूसरी यह जोरों से बात कही गई कि सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी में ६० लाख रुपया सरकार ने लगा दिया है और सरकार जिसमें रुपया लगाती है उसी में दिवाला निकालती है, सरकार ने यह गलत काम किया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जहां पर सरकार ने रुपया लगाया पहले वह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी थी। जब से शाहू जैन ने हाथ में काम लिया, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई, उसके बाद राजस्थान सरकार ने ५५-५६ में उनके साथ बातचीत करके, दबाव डाल कर उनको इस बात के लिए रजामन्द किया कि इसमें ७५ लाख रुपया राजस्थान सरकार का लगा हुआ है, राजस्थान सरकार को चुकाना चाहिये। माननीय सदस्य जानते हैं कि ५५-५६ के पहले उसमें से कुछ भी वसूल नहीं हुआ, ३ प्रिफरेंशियल शेअर्स के रूप में २.२५ हजार रुपया मिलना चाहिये था वह ५५-५६ तक नहीं मिला। ५५-५६ में इस कन्सर्न को पब्लिक लिमिटेड कन्सर्न बनाया और पहली बार २.२५ हजार रुपया इस सीमेंट फैक्टरी ने राजस्थान सरकार में जमा कराया। यह एग्रीमेंट किया कि २.२५ हजार रुपया तो हर साल जमा कराना चाहिए जो जमा करायें और इसके साथ जो एरियर्स हैं उनके खाते में जब तक वे पूरे न हो जायं २.२५ हजार रुपया हर साल जमा कराते रहें। इस तरह २.२५ हजार रुपया तो करेंट ईयर का जो एक था वह और २.२५ हजार रुपया जो पुराने एरियर्स थे उसके सम्बन्ध में जमा कराया। इस प्रकार ४.५० हजार रुपया इस सीमेंट कम्पनी ने राजस्थान सरकार में जमा कराया।

तो चुनावों के पहले जो सरकार थी, उसने जो कुछ किया तो यह किया कि पहली

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बार ८ लाख रुपये के करीब राजस्थान सरकार के खजाने में इस कम्पनी से जमा करवाया। इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जब लोन दिया गया तो पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई, किसी भी कन्सर्न की आर्थिक स्थिति के बारे में जांच पड़ताल का यह तरीका होता है कि मार्केट में उसके शेअर की स्थिति क्या है, यह देखा जाता है। तो मैं निवेदन करूं कि आज उसके १० रुपये ऑर्डीनरी शेअर की कीमत १२.३१ है। तो जो कहा गया कि जो लिक्विडेशन में जाने वाली कम्पनी है, उसको ६० लाख रुपया दे दिया, यह कहना अनुचित है। अपना एक्स्पेन्शन करने का उनका प्रोग्राम था। पहले इस बात की सम्भावना थी कि चम्बल से पॉवर दे सकते थे पर आज हम इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि भरतपुर में यह पॉवर दे दिया जाय।

कोटा में नायलन एन्ड रेयन फैक्टरी की बात करते हैं, स्टीम टर्बाइन्स नहीं लगा सके उसका प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए हमने फैसला किया है पॉवर के लिये कि इसे पूरी तरह डेवलप करना है। टोटल पॉवर जेनरेटिंग केपेसिटी १५००० किलोवाट होगी। जब कि हम ७ लाख रुपये देते हैं, उस एक्सट्रा पॉवर को प्राप्त करने के लिये जो ५ या ६ हजार किलोवाट से ज्यादा नहीं होते लेकिन इस एक्सट्रा पोवर के साथ साथ जो वहां पोवर इन्सटाल होगा वह १५ हजार किलोवाट एट सवाई माधोपुर फोर यूज़ ओफ राजस्थान होगा और वहां उसकी टोटल पोवर जेनरेटिंग केपेसिटी होगी और उसको जिस तरह राजस्थान सरकार चाहेगी यूज़ कर सकेगी। यह उस पार्टी से एग्रीमेंट है। यह एग्रीमेंट हमने पार्टी को फाइनेन्शियली साउन्ड समझते हुए उनसे किया है। हमारे यहां पॉवर जल्दी अवेलेबल हो रहा है। दूसरी जगह जहां सन् ६० में अवेलेबल हो रही है वहां जल्दी अवेलेबल हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक याद नहीं, जैसे ५ या ६ करोड़ के बीच में टोटल एसेट होते थे, जिसके अगेन्सट में ७५ लाख दिये। ६० लाख जो दे रहे है वह जुड़ता था, अलग पहले प्रिफरेन्स शेअर्स ३ प्रतिशत थे, अभी ५॥ प्रतिशत हैं; जो लोन के तौर पर हैं, शेअर के तौर पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हम अब औद्योगीकरण की बात तो कई बार कहते हैं लेकिन इसके लिए जो हमारे सामने रुकावट है वह सबसे बड़ी रुकावट पॉवर की है क्योंकि जब तक बिजली सस्ती उपलब्ध नहीं तब तक काम चल नहीं सकता। इसके लिए रॉ मेटीरियल उपलब्ध होते हुए भी हमारे सामने यह बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस बात को लेकर बैठ जावें कि पॉवर सन् ६० में आवेगा उस समय हम इस पर सोचेंगे तो मैं यह कहूंगा कि भारतवर्ष में बहुत से प्रान्त, औद्योगीकरण में हमसे आगे बढ़ जावेंगे और हम उनसे बहुत पीछे रह जावेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आ रही है, उसको ठीक तरह से कार्यान्वित करने के लक्ष्य हमारे सामने हैं और हम यह जानते हैं कि जहाँ औद्योगीकरण होगा वहां पर सरकारी की ओर से ज्यादा फेसिलिटीज़ और ट्रान्सपोर्ट की सुविधाएं मिलती है। बंबई, बंगाल और मद्रास के हिस्सों को लीजिये, उधर औद्योगीकरण बहुत है और इसी लिए उधर रेलवे, ट्रान्सपोर्ट आदि फेसेलिटीज बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों डिमान्ड होती जाती है

Page No.117

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

त्यों त्यों साधन बढ़ते जाते हैं। यह एक प्रकार की साइकिल है सारी की सारी। यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो राजस्थान पर बहुत वर्षों तक इसका असर पड़ता है। यह हम सबके सोचने की बात है। ये सब चीजें हमें राजस्थान को स्थिति को देख कर ही आंकना चाहिये। आज पॉवर दो आना, ढाई आना और कुछ जगह चार आना युनिट जेनरेट होती है। अगर इस पर सोचें तो धौलपुर की ग्लास फैक्ट्री और बॉलबियरिंग फैक्ट्री एक दिन भी चल नहीं सकती। अगर यह हाईडल पॉवर का दो-तीन साल का समय है अभी इस वक्त ट्रान्ज़ेक्शनल फेज़ है वह निकल जावेगा और वह चीज स्टेबिलाइज़ हो जायगी; तो राजस्थान को आगे बढ़ने में पूरी पूरी मदद मिलेगी।

कोई ऐसा कहते हैं कि टीका करने के लिये कुछ न कुछ कहना ही चाहिये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इन तथ्यों में गये बिना बड़े बड़े सवालों को हल करना मुश्किल है और इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमने शुरुआत की। मुझे आश्चर्य हुआ जब ऐसी बातें कही गईं। कोई सवाई माधोपुर के बारे में कहते हैं, कोई जे. के इन्डस्ट्रीज को लेकर १० लाख रुपयों के लोन की बात का जिक्र करते हैं, तो कहीं पर मेटल कोर्पोरेशन का जिक्र होता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : जयपुर उद्योग के लिए मैंने नहीं कहा। मैंने तो जयपुर वीविंग एण्ड स्पिनिंग मिल्स के लिये कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने ही नहीं कहा है, मैं आपको नहीं कहता। दूसरों ने भी कहा है। जो बात मेरे सामने थी उसके लिए मैं पहले कहना चाहता हूं। अपन आमने-सामने बहस तो यहां अभी नहीं कर रहे हैं। आप मुझे कहने दीजिये।

तो मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थान की एक विशेष परिस्थिति है जिसमें से गुजरते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय चर्चाएं चलती हैं हम तो पूरा समय बैठ कर उनको उत्सुकता से सुनते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव आवेंगे जिसे आगे हमें बहुत सहायता मिलेगी। माननीय सदस्य, जो विरोधी दल के नेता मुझे मानना चाहिये, जो बीकानेर से चुन कर आये हैं, उन्होंने कहा कि तीन चौथाई के करीब रुपया मेवाड़ की तरफ खर्च किया गया है। इसके बारे में कई बार बहस हो चुकी है और मैं प्रकाश डाल चुका हूँ। कुछ तो कहना स्वभाविक ही है। जो लोग अलग अलग जिलों से आये हैं उनका कर्तव्य है कि दरअसल विकास योजना के मातहत खर्च किया जाए। कहां कितना खर्च हो रहा है, इस संबन्ध में मैं जानकारी देना इसलिये आवश्यक समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को अन्दाज हो सके। मैं इस वर्ष के सन् ५७-५८ के लिये जो आंकड़े बजट में प्रस्तुत किये गये हैं बताना चाहता हूँ। इसमें करीब १४ करोड़ के आस-पास की रकम है माइनर इरिगेशन, हैल्थ एण्ड एग्रीकल्चर आदि, जिसके डिटेल्स अभी नहीं पूरे हो पाये हैं। ८ करोड़ ३१ लाख के करीब होते हैं उसके आंकड़े मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम होगा कि कहने-सुनने की बात नहीं है, यहां तो आंकड़े मौजूद हैं, इसमें मैं

Page No.118

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर केपिटा बताना चाहता हूँ। राजस्थान में चंबल और भाकरा इसमें नहीं है। भाकरा और चंबल पर खर्च जो हो रहा है उसको शरीक करने से और पोजिशन हो सकती है। राजस्थान में पर केपिटा :

गंगानगर में	१३
बूंदी	१३
चूरू	११
भीलवाड़ा	७.५
टोंक	७.५
जयपुर	५.०
जोधपुर	७.०
जैसलमेर	५.०
भरतपुर	४.०५
डूंगरपुर	४.७५
कोटा	४.५
झालावाड़	४.५

और इसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। मैंने आपको १२ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताये। जिसके बारे में डिटेल्स वर्क आउट किये हैं जिससे आपको सारा अन्दाजा मालूम हो सके।

हमारे भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा वेगन फैक्ट्री, स्टीम टर्बाइन इलेक्ट्रीसिटी का विशेष प्रबन्ध किया जा रहा है ; इस प्रकार से दूसरे खर्चों से भी आइटम बढ़ते हैं जिससे तादाद बढ़ जाती है। ये जो आंकड़े आते हैं....

श्री श्रीभान सिंह : इस हाउस में आपने पहले 16 point & something बताये थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह सन् ५७–५८ की बात बता रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह : That means per capita expenditure has decreased. Even on the Governor's Address it was 16 point and something. आपने गवर्नर के भाषण के समय 16 point and something बताया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने शायद सारे प्लान के बताये होंगे। कुछ आइटम्स जुड़े नहीं हैं। जिन चीजों को इसमें जोड़ा गया है उसका मैं निवेदन करूं कि इरिगेशन और कुछ ऐसी चीजें हैं वे इसमें जोड़ी हैं।

अब मैं आपको कॉम्युनिटी ब्लोक्स अलग अलग जगह पर खोले गये हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। जहां रूरल पोपुलेशन है उसमें विशेष रूप से दो हैं :

डूंगरपुर में	सेन्ट परसेन्ट
अजमेर	७५
पाली	७८.००
स० माधोपुर	६५.०
गंगानर	५३.७
झुंझुनू	५३
बूंदी	५२
कोटा	५१
टोंक	४६.८०
उदयपुर	४७
जैसलमेर	४५
झालावाड़	४२
बांसवाड़ा चितौड़ (जयपुर मिलाकर)	४५

पॉवर के मामले में और दूसरी चीजों के मामले में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जैसे चम्बल की योजना है वह कोटा और उदयपुर के लिए ही बनी हुई है और दूसरे प्रान्तों को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। तो उसका भी एक एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहां पर जो चम्बल का प्रोजेक्ट है उससे दो जगह इर्रिगेशन होगा अर्थात् कोटा-बूंदी और उदयपुर। इन स्थानों के अलावा इस योजना से इर्रिगेशन कहीं और दूसरी जगह होने वाला नहीं है। जो योजना यहां बनाई जायगी उसका लाभ उसी क्षेत्र में अधिक होगा। उस योजना के अन्दर जो इर्रिगेशन होगा उसमें ८०४ लाख रुपया कोटा पर ही खर्च होने वाला है, १ करोड़ ६० लाख रुपया बूंदी पर खर्च होगा। उसके बाद पॉवर आदि के लाने में भी खर्च होगा। जो चम्बल की पॉवर आएगी और उसके जो एस्टीमेट्स हैं उनके अनुसार अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से रुपया खर्च होगा; ४२ हजार जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर में ८.२२ लाख रुपया, टोंक में ६.४२ लाख रुपया, कोटा में १४८ लाख रुपया, बूंदी में २४ लाख रुपया, उदयपुर में ३.२३ लाख रुपया और अजमेर में १६४ लाख रुपया। यह कोटा की योजना है कि जिससे कई चीजों के बारे में मैं समझता हूं कि जानकारी के आधार पर बहुत अन्तर पड़ सकता है। हमें सम्पूर्ण जानकारी है और यह फिगर्स जो हमने आपको दिये है गलत नहीं हो सकते हैं। जानकारी करने में तो गलत बात भी आ सकती है। इसी प्रकार से भाखड़ा के अन्दर भी, मैं आपसे निवेदन करूं, कि भाखड़ा केवल बीकानेर डिवीजन तक ही सीमित नहीं होगा उसकी पॉवर का लाभ नागौर आदि को भी मिल सकेगा। इस भाखड़ा स्कीम से अलग २ प्रान्तों को जितने रुपये का लाभ होगा वह इस प्रकार है। नागौर को ८.६३ लाख रुपये का, सीकर को १७.२६ रुपये का, झूंझुनू को १ करोड़ ३ लाख रुपये का, गंगानगर को २.४१ लाख रुपये का और बीकानेर को १४५ लाख रुपये का लाभ होगा। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बीकानेर के अन्दर कोई योजना नहीं है, वहां पानी आदि की दिक्कतें हमेशा सामने आती हैं। तो वहां के पानी की दिक्कत को हम भी दूर करना चाहते हैं, हम स्वयं ही इसके प्रति जागरूक हैं। हां, वैसे उनका भी हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना ठीक ही है। इन योजनाओं से बीकानेर को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, ऐसी बात नहीं है। यह तो केवल भाखड़ा से जो लाभ इन प्रान्तों को होगा वे फिगर्स मैंने आपको बतलाए हैं। तो मैंने यह जानकारी माननीय सदस्यों को इसलिए दी कि हम कई बार तो तथ्यों के आधार पर न जाकर यों ही जानकारी के आधार पर बातें कह देते हैं। जो योजनाओं के लिए प्रोवीजन किया जाता है तो उस योजना का लाभ कोई सम्पूर्ण राजस्थान को तो होता नहीं है। कहीं साधन अधिक उपलब्ध होते हैं और कहीं कम। जो चम्बल की योजना है उसका अधिक लाभ कोटा को ही हो सकता है। आज राजस्थान केनाल का लाभ जैसलमेर और बीकानेर के ही इलाके में हो सकता है, उसका लाभ कोई दूसरी जगह तो नहीं हो सकता। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं और इन अलग २ परिस्थितियों से जिन प्रान्तों को लाभ पहुंचना चाहिए उन्हीं को यह लाभ मिलता है। अब मिनरल्स का लाभ तो उसी स्थान पर मिलता है जहां कि वह है। हर जगह कोई एक सी ही परिस्थितियां तो होती नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी में है कि इन्डस्ट्रियल पोलिसी आज गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया अनाउन्स करती है, लेकिन सच बात तो यह है कि बहुत बड़े माने में इन्डस्ट्रियल पोलिसी गवर्नमेन्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ऑफ इन्डिया की पोलिसी से गवर्न होती है। आज अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी इन्डस्ट्रियल पोलिसी डिक्लेयर नहीं करतीं। आप और हम तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही बातें कर सकते हैं. पोलिसी आदि तो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ही ले आउट करती है। जैसे इन्डस्ट्रीज़ के नेशनेलाइजेशन का सवाल आया या कोई बड़े टैक्स लगाने आदि का सवाल आया, या इनकम-टैक्स का सवाल आया; यह सब आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ही कन्ट्रोल करती है। अब इन पोलिसीज़ में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें हम नेशनेलाइज़ेशन कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें हम नेशनेलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इस मामले में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की यह डिक्लेयर्ड पोलिसी है कि सीमेन्ट, टेक्सटाइल मिल्स और जो छोटे छोटे कारखाने हैं वे नेशनेलाइज़ नहीं किए जा सकते। आज हमारे जो मेजर मिनरल्स हैं, जिनके अन्दर हम कोपर को लें, जिंक एण्ड लैड को लें तो हो सकता है कि ये इन्डस्ट्रेलाइज हो सकें; लेकिन हम जिन चीजों को समझते हैं कि नेशनेलाइज कर लेना चाहिए वह सब केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ही कर सकते हैं। अब ६ करोड़ की इन्डस्ट्रीज़ को लेने के लिए साठ लाख रुपया देना होगा, तब कहीं जाकर हम नेशनेलाइज़ेशन करेंगे तो यह ठीक नहीं है, बल्कि सेकिण्ड फाइव इयर प्लान तो यह कॉन्टेम्प्लेट करता है कि इण्डिया के अन्दर दो करोड़ के आस-पास प्राइवेट सेक्टर के अन्दर लगेंगे। जब कि हमारी पोलिसी निगेटिव है कि जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज करें तो हम समझते हैं कि हम अधूरा लाभ उठाते हैं। जो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का सेक्टर है या केन्द्रीय सरकार रेल्वेज़ आदि में जो खर्च करती है, इन चीजों के लिए तो हम उसको कह सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्र में इतना खर्च कीजिये और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इन्डस्ट्रीज़ को छोड़ दिया गया है जिससे कि उनमें भी डेवलपमेन्ट हो और जो दृष्टि रखकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि जिससे राजस्थान का सभी तरह से विकास हो सकता है।

मैं समझता हूं कि जो बजट पेश किया गया है उस पर वादविवाद के समय फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के बारे में बातें कही गई। हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके दिल में यह ख्याल न हो कि इसमें हम कुछ करना चाहते हैं। हम भी सतर्क हैं और प्रयत्न करना चाहते हैं लेकिन राजस्थान के साधनों को देखते हुये कितना आगे बढ़ा जा सकता है, यह प्रश्न मूल में है। इस बात को ज्यों ही हम सोचते हैं तो हमें निराशा होती है। तो हमने जो पांच रुपये नीचे के कर्मचारियों के बढ़ाये हैं वे अभी की परिस्थितियों को देखते हुए तो ठीक हैं। आगे और भी इन चीजों के ऊपर, जैसे भी सारी बातें सामने आयेंगी; राजस्थान सरकार उन पर ख्याल करेगी। इतना ही अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना था। वैसे बातें तो बहुत सी सामने आई। लेकिन उनमें से बहुत सी बातें यहाँ कहने की नहीं है। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : एक विषय के बारे में मुझे पूछना है। क्या शुगर मिल का राष्ट्रीयकरण केन्द्रीय सरकार ने किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका कोई राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है।

Page No.121

श्री अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही १४ तारीख को ११ बजे मध्यान्ह पूर्व तक के लिए स्थगित की जाती है ?

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर ४८ मिनट पर दिनांक १४ जून, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, १० मई, १९५७)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	१५३३
२५०) रु० से कम वेतन भोगियों को होम डिस्ट्रिक्ट में रखने सम्बन्धी	
जयपुर शहर के बढ़ते हुये ट्रैफिक की व्यवस्था	
कोटा फोरेस्ट स्कूल से पास हुये व्यक्तियों का वेतन स्तर	
मेट्रिक तक के रूपवास तहसील में विद्यालय	
बुनाई विभाग को कुटीर उद्योग शिक्षणालय, जयपुर से समाप्त करना	
मेज नदी पर बंध कार्य का ठेका	
कोटपुतली से डाबला सड़क चलने वाली गाड़ियां	
वीलवाड़ी (त० बैराठ) से मैड़ तक की सड़क का टेन्डर	
कोटपुतली में कॉलेज खोलने की योजना	
जनवरी १९५३ से कृषकों को ट्रैक्टर्स हेतु दिया गया ऋण	
राजस्थान के नवोदित हिन्दी साहित्यकारी के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु कदम	
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हेतु ५० प्रतिशत भारत सरकार की सहायता	
सीकर जिले के विभिन्न थानों में अनुज्ञापत्र हेतु पड़े हथियार	
सीकर जिले के जे. टी. सी अध्यापकों को ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड	
सन् १९५० के जयपुर डिवीजन के शोर्ट टर्म ट्रेन्ड अध्यापकों के ग्रेड	
वन विभाग के सबोर्डिनेट सर्विसेज़ का फिक्सेशन	
सन् १९५५-५६ में टोरिया कूप (किशनगढ़ रेंज) का ठेका	
अचनावर रेंज में दो कूपों का ठेका	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	१५८२
प्रथम पंचवर्षीय योजना में बीकानेर डिवीजन हेतु रखी गई धन-राशि	
राजस्थान के यु. डी. सीज़ व एल. डी. सीज़ में हरिजन	
जनवरी से मार्च ५७ तक मन्त्री मण्डल के सदस्यों की कार्यालय में उपस्थिति	
उदयपुर डिवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारी	
वन महोत्सव एवं वृक्षारोपण आन्दोलन में लगाये गये वृक्ष	
बीकानेर पॉवर हाउस की माहवारी उत्पादन क्षमता	

स्तम्भ

राजस्थान में सन् १९५२ से ५७ तक वितरित किया गया बीज

राजस्थान सोसाइटीज रजि-स्ट्रेशन विधेयक, १९५७ १५८९

उपरोक्त विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों की घोषणा।

विभिन्न समितियों की घोषणा १५९१

विशेषाधिकार, याचिका-पत्र, आश्वासन एवं गृह-समितियों के सदस्यों की घोषणा की गई।

विधेयकों की पुरःस्थापना १५९३

निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :

(१) राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स) विधेयक, १९५७

(२) मारवाड़ पट्टा ऑर्डिनेन्स (रिपील) विधेयक १९५७

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद १५९४

पूर्व क्रम से आज भी इस पर वाद-विवाद जारी रहा और निम्नलिखित सदस्यों ने अपनी आलोचनाएं प्रस्तुत कीं ;

१. श्री तनसिंह
२. श्री श्रीमानसिंह
३. श्री मदनसिंह
४. श्री नारायणसिंह मसूदा
५. मेजर श्री फतहसिंह
६. श्री हरिश्चन्द्र
७. श्री जनार्दनराय नागर
८. श्री अर्जुनदास
९. डा० श्रीमती चन्द्रकला
१०. श्री तेजाराम
११. श्री शिवनाथ सिंह
१२. राजा श्री मानसिंह
१३. श्री अनोपसिंह
१४. श्री सतीशचन्द्र
१५. श्री लच्छूराम
१६. श्री नाथूलाल
१७. श्रीमती शान्तोदेवी

आय-व्ययक पर हुई आलोचनाओं का उत्तर वित्त मन्त्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने दिये।

श्री हरिभाऊ उपध्याय के पत्र पर औचित्य प्रश्न एवं प्रजा समाजवादी सदस्य के अतिरिक्त विरोधी दल के अन्य सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

वित्त मन्त्री, श्री उपाध्याय जब उत्तर देने खड़े हुए तो उपरोक्त पत्र सम्बन्धी श्री सतीशचन्द्र ने औचित्य प्रश्न उपस्थित किया एवं वित्त मन्त्री के भाषण में बार बार बाधायें उपस्थित की गईं। अन्त में उपरोक्त सदस्यों ने सदन मे बहिर्गमन किया।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०० का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Name of work.________________________

Name of contractor.________________________

Contract No.______________

TENDER FORM C.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Irrigation Branch

______________ Division

Item Rate Tender and Contract for Works.

General Rules and Directions for the Guidance of Contractors

1. Copies of the specifications, designs & drawings & any other documents required in connection with the work signed for the purpose of identification by the Chief Engineer or other duly authorized Engineer, shall be open for inspection by the contractor at the offi e of the Chief Engineer or other duly authorized Engineer during the office hours.

2. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each member thereof, or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorising him to do so and the fact so noted in the Tender.

3. Receipts for payments made on account of a work when executed by a firm, must also be signed by the several partners except where the contractors are described in their tender as a firm. in which case receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners, or by some other person having authority to give effectual receipts for the firm.

4. Any person who submits a tender shall fill-up the usual printed form including the column total according to estimated quantities stating at what rate he is willing to undertake each item of the work. Tenders whith propose any alteration in the work speci fied in the form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work or which contain any other conditions of any sort will liable to rejection. No single tender shall include more than one work, but contractors who wish to tender for two or more works shall submit a separate tender for each. Tenders shall have the name and number of the work to which they refer written outside the envelope.

5. The Chief Engineer or other duly autborized Engineer will open tenders in the presence of any intending contractors who may be present at the time, and will enter the amounts of the several tenders in a compative statements in a suitable form. Receipts for the earnest money forwarde with the tender shall be given to the contractor on the day the money is received. In the event of a tender being rccepted the contractor shall thereupon for the purpose of identification sign copies of the specifications and other documents relating to the work. In the event of a tender being rejected, the earnest money forwarded with such unexpected tender shall be returned to the contractor making the tender on his giving a stamped receipt for the return of the money.

6. The receipt of an accountant or clerk for any money paid by the contractor will not be considered as any acknowledgment of payment to the Chief Engineer or other duly authorized Engineer and the cotractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the Engineer concorned.

7. The memorandum of work tendered for and the memorandum of materials to be supplied by the Irrigation Department and their issue rates shall be filled in and completed before the tender form is issued. If a form is issued in tho office of the Engineer concerned to an intending tenderer without having been so filled in and completed, he shall request the office to have this done before he completed and delivered his tender.

Approval of tenders will be accorded as per P. W. D. Schedule of Powers

TENDER FOR WORKS

I/we hereby tender for the execution for the Rajasthan Government of the work specified in the underwritten memorandum within the

time specified in such memorandum at the rates specified therein and in accordance in all respects with the specifications, designs, drawings and instructions in writing referred to in Rule I hereof and in Clause 2 of the annexed conditions and with such materials as are provided for by and in all other respects in accordance with such conditions so far as applicable.

MEMORANDUM

(a) General description ...Rs.

(a) If several sub-work are included they should be detailed in a separate list.

(b) Estimated cost ...Rs.

(c) Earnest money ...Rs.

(d) Security deposit (including earnest money) ...Rs.

(d) This deposit will vary from 1 percent to 10 percent of the estimated cost of the work according to the requirements of the case.

(e) Percentage, if any, to be deducted from bills ...Rs.
(Rupees) per cent.

(e) This percentage where no security deposit is taken will vary from 5 per cent to 10 percent according to the requirements of the cases. Where security deposit is taken see Note to Clause I of condition of contract.

(f) Time allowed for the completion of work from date fixed in written order to commence months

Item No.	Quantities estimated but may be more or less	Item of work	RATE TENDERED In figures	RATE TENDERED In words	Unit	Total according to estimated quantities
			Rs. a. p.			

Note:—To be continued on additional sheets as found necessary.

Should this tender be accepted, I/we hereby agree to abide by and fulfil all the terms and provisions of the said conditions of contract annexed hereto so far as applicable, or in default thereof to forfeit and pay to the Rajasthan Government the sums of money mentioned in the said conditions.

The sum of Rs. 1

1. Give particulars and numbers.

Strike out (a) if no cash security deposit is to be taken.

is herewith forwarded in currency notes as earnest money (a) the full value of which is to be absolutely forfeited to the Rajasthan Government should I/we not deposit the full amount of security deposit specified in the above memorandum, in accordance with Clause 1 (A) of the said conditions of contract, otherwise the said sum of Rs.

shall be retained by the Govt. as on account of such security deposit as aforesaid or [(b) the full value of which shall be retained by the Govt. on account of the security deposit specified in clause (B) of the said conditions of contract].

Strike out (b) if any cash security deposit is taken.

2

2. Signature of contractor before submission of tender.	Dated the	day of	195.
	(Witness)3		
3. Signature of witness to contractor's signature.	(Address)		
	(Occupation)		

The above tender is hereby accepted by me on behalf of the Rajasthan Government.

4

4. Signature of the officer by whom accepted.			Engineer
	Dated the	day of	195.

CONDITIONS OF CONTRACT

Security depost.

Clause 1. The Person/Persons whose tender may be accepted hereinafter called the contractor shall (A) (within one day for a contract of Rs, 1,000 or less, two days for one of Rs. 2,000 or less, and so on, upto a limit of ten days of the receipt by him of the notification of the acceptance of his tender) deposit with the Chief Engineer or other duly authorized Engineer in cash or Government of India securities endorsed to the Chief Engineer or other duly authorized Engineer (if deposited for more than twelve months) a sum sufficient with the amount of the earnest money deposited by him with his tender to make up the full security deposit specified in the tender, or (B) permit the Govt. at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct such sum as will (with the earnest money deposited by him) amout to* percent of all moneys so payable. (Such deductions to be held by the Govt. by way of security deposit), Provided always that in the event of the contractor depositing a lump sum by way of security deposit as contemplated at (A) above than and in such case, if the sum so deposited shall not amount to‡ per cent of the total estimated cost of the work, it shall be lawful for the Govt. at the time of making any payment to the contractor for work done under the contract to make up the full percentage of

percent by deducting a sufficient sum from every such payment as last aforesaid. All compensation or other sum of money payable by the contractor to the Govt. under the terms of his contract may be deducted from or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit, or from the interest arising therefrom, or from any sums which may be due or may become due to the contractor by the Govt. on any account whatsoever and in the event of his security deposit being reduced by reason of any such deduction or sale as aforesaid the contractor shall within ten days thereafter make good in cash or Government of India securities endorsed as aforesaid any sum or sums which may have been deducted from or raised by sale of his security deposit or any part thereof.

---

*This will be the same percentage as that in the tender at (e)

‡The amount of this percentage (not exceeding 10 per cent.) will be fixed in every case to suit requirements e. g. if it is fixed at 8 per cent. and the security deposit only amounts to 5 per cent of the estimated cost of the work, then 3 percent should be deducted from every payment if the percentage is fixed at 10 per cent, and the security deposit only amounts to 6 per cent then 4 per cent should be deducted and so on

Clause 2. The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be reckoned from the date noted in the written order to commence. The work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence (time being deemed to be of the essence of the contract on the part of the contractor) and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one per cent, or such smaller amount as the Chief Engineer (whose decision writing shall be final) may decide on the amount of the estimated cost of the whole work as shown by the tender for every day that the work remains uncommenced or unfinished, after the proper dates. And further, to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound, in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month to complete 1/4 of the whole of the work before 1/3 of the whole time allowed under the contract has elapsed: one-half of the work before one-half of such time has elapsed; and three fourths of the work before three-fourths of such time has elapsed. In the event of the contractor failing to comply with this condition he shall be liable to pay as compensation an amount equal to one per cent or such smaller amount as the Chief Engineer (whose decision in writing shall be final) may decide on the said estimated cost of the work for every day that the due quantity of work remains incomplete: PROVIDED ALWAYS that the entire amount of compensation to be paid under the provisions of this clause shall not exceed 10 per cent on the estimated cost of the work as shown in the tender.

Compensation for delay.

Clause 3. In any case in which under any clause of this contract the contractor shall have rendered himself liable to pay compensation amounting to the whole of his security deposit (whether paid in one sum or deducted by instalments) the Chief Engineer or other duly authorized Engineer on behalf of the Rajasthan Government shall have power to adopt any of the following courses, as may deem best suited to the interest of the Government.

Action when whole of security deposit is forfeited.

(a) To rescind the contract of which rescimd notice in writing to the contractor under the hand of the Chief Engineer or other duly authorized Engineer shall be conclusive evidence, and in which case the security deposit of the contractor shall stand forfeited and be absolutely at the disposal of the Goverument.

(b) To employ labour paid by the P. W. Department and to supply materials to carry out the work, or any part of the work debiting the

contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price a, certificate of the Chief Engineer shall be final and conclusive against the contractor) and crediting him with the value of the work done in all respects in the same manner and at the same rates as if it had been carried out by the contractor under the terms of his contract; the certificate of the Chief Engineer or other duly authorized Engineer as to the value of the work done shall be final and conclusive against the contractor.

(c) To order that the work of the contractor be measured up and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete, in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been exscuted by him (of the amount of which excess the certificate in writing of the Chief Engineer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by the Government under the contract or otherwise or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or a sufficient part thereof.

In the event of any of above courses being adopted by the Chief Engineer or other duly authorized Engineer the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his haviug purchased or procured any materials or entered into any engagements, or made any advances on account of, or with a view to, the execution of the work or the performance of the contract. And in case the contract shall be rescinded under the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work theretofore actually performed under this contract unless and until the Chief Engineer or other duly authorized Engineer shall have certified in writing the performance of such work and the value payable in respect there of , and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

Contractor remain liable to pay compensation if action not taken under Clause 3

Clauae 4. In any case in which any of the powers conferred upon the Chief Engineer or other duly authorized Engineer by Clause 3 hereof, shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the non exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exerciseable in the event of any future case of default by the contractor

for which by any clause or clauses hereof he is declared liable to pay compensation amounting to the whole of his security deposit and the liability of the contractor for past and future compensation shall remain unaffected. In the event of the Chief Engineer or other duly authorized Engineer putting in force either of the powers (a) or (c) vested in him under the preceding clause, he may, if he so desires, take possession of all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof or belonging to the contractor, or procured by him and intended to be used for the execution of the work or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or in case of these not being applicable at current market rates to be certified by the Chief Engineer or other duly authorised Engineer whose certificate thereof shall be final, otherwise the Chief Engineer or other duly authorized Engineer may by notice in writing to the contractor or his clerk of the works, foreman or other authorized Agent require him to remove such tools, plant, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) and in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Chief Engineer or other duly authorized Engineer may remove them at the contractor's expenses or sell them by auction or private sale on account of the contractor and at his risk in all respects and the certificate of Chief Engineer or other duly anthorized Engineer as to the expenes of any such removal and the amount of the proceeds and expense of any such sale shall be final and conclusive against tbe contractor.

Power to take possession of, or require removal of or sell contractor's plant.

Clause 5. If the contractor shall desire an extension of the time for completion of the work on the grounds of his having been unavoidably hindered in its execution or on any other ground, he shall apply in writing to the Chief Engineer within 30 days of the date of the hindrance on account of which he desires such extensien as aforesaid and the Chief Engineer shall if in his opinion (which shall be final) reasonable grounds be shown therefor, authorize such extension of time if any, as may, in his opinion be necessary or proper.

Extension of time.

Clause 6. On completion of the work the contractor shall be furnished with a certificate by Chief Engineer or other duly authorized Engineer (hereinafter called the Engineer-in-charge) of such completion, but on such certificates being given, nor shall the work be considered to be completed untill the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding,

Final certificate.

surplus materials and rubbish, and cleaned off the dirt from all wood-work, doors, windows, walls, floors or other parts of any building in, upon or about which the work is to be exceuted, or of which he may have had possession or the purpose of the execution thereof, nor until the works shall have been measured by the Engineer-in-charge or his subordinate which measurments after approval by the Engineer-in-charge if the measurements were taken by a subordinate shall be binding and conclusive against the contractor. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this clause as to removal of scaffolding, surpuls materials and rubbish and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of the work the Engineer-in-charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surpuls materials and rubbish, and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the contractor shall forthwith pay the amount of all expenses so incurred and shall have no claim in respect of any such scaffolding or surpuls materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.

Payment on intermediate certificates to be regarded as advances.

Clause 7. No payments shall be made for works estimated to cost less than rupees one thousand till after the whole of the works shall have been completed and a certificate of completion given. But in the case of works estimated to cost more than rupees one thousand the contractor shall on submitting the bill therefor be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part thereof then approved and passed by the Engineer-in-charge whose certificate of such approval passing of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor. But all such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payments only and not as payments for work actually done and completed, and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilful work to be removed and taken away and reconstructed, or re-erected, or be considered as an admission of the due performance of the contract or any part thereof in any respect or the accruing of any claim; nor shall it conclude, determine or affect in any way the powers of the Engineer-in-charge under these conditions or any of them as to the final settlement and adjustment of the accounts or otherwise, or in any other way vary or affect the contract. The final bill shall be submitted by the contractor within one month of the date fixed for completion of the work, otherwise the Engineer-in-charge's certificate of the measurement and of the total amount payable for the work accordingly shall be final, and binding on all parties.

Payment of reduced rates on account of items of work not accepted and completed to be at the discretion of the Engineer-in-charge.

Clause 8. The rates for several items of works estimated to cost more than Rs 1,000/- agreed within will be valid only when the item concerned is accepted as having been completed fully in accordance with the sanctioned specifications. In cases where the items of work are not accepted as so completed the Engineer-in-charge may make payment on account of such items at such reduced rates as he may consider reasonable in the preparation of final or on account bills.

Bills to be submitted monthly.

Clause 9. A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the Engineer-in-charge for all works executed in the previous month, and the Engineer-in-charge shall take or cause to be taken requisite masurement for the purpose of having the same verified, and the claim as far as admissible, adjusted if possible, before the expiry of ten days from the presentation of the bill. If the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid the Engineer-in-charge may depute a subordinate to measure up the work in the presence of the contractor whose countersignature to the measurement list will be sufficient warrant and the Engineer-in-charge may prepare a bill from such list which shall be binding on the contractor in all respects.

Bills to be on printed forms.

Clause 10. The contractor shall submit all bills on the printed forms to be had on application at the office of the Engineer-in-charge and the charges in the bills shall always be entered at the rates specified in the tender or in the case of any extra work ordered in pursuance of these conditions and not mentioned or provided for in tender at the rates hereinafter provided for such work.

Stores supplied by the Govt.

Clause 11. If the specification or estimate of the work provides for the use of any special description of materials to be applied from the Engineer-in-charge's store, or if it is required that the contractor shall use certain stores to be provided by the Engineer-in-charge (such material and stores and the prices to be charged therefor as hereinafter mentioned being so for as practicable for the convenience of the contractor, but not so as in any way to control the meaning or effect of this contract specified in the schedule or memorandm hereto annexed) the contractor shall be supplied with such materials and stores as required from time to time to be used by him for the purposes of the contract only and the value of the full quantity of materials and stores

so supplied at the rates specified in the said schedule or memorandum may be set of or deducted from any sums then due or thereafter to become due to the contractor under the contract or otherwise or against, or from the security deposit, or the proceeds of sale thereof; if the same is held in Government of India securities, the same or a sufficient portion thereof being in this case sold for the purpose. All materials supplied to the contractor shall remain the absolute property ot the Government and shall not on any account be removed from the site of the work, and shall at all times be upen to inspection by the Engineer-in-charge. Any such materials unused and in perfectly good condition at the time of completion or determination of the contract shall be returned to the Engineer-in-charge's stores, if by a notice in writing under his hand he shall so require but the contractor shall not be entitled to return any such materials unless with such consent and shall have no claim for compensation on account of any such material so supplied to him as aforesaid being unused by him or any wastage in or damage to any such materials.

Works to be executed in accordance with specifications, drawings, orders etc.

Clause 12. The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner, and both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also confirm exactly fully and faithfully, to the designs, drawings, and instructions in writing relating to the work signed by the Engineer-in-charge and lodged in his office and to which the contractor shall be entitled to have access at such office, or on the site of the work for the purpose of inspection during office hours, and the contractor shall, if he requires, be entitled at his own expense to make or cause to make copies of the specifications, and of all such designs, drawings and instructions as aforesaid.

Alterations in specifications and designs.

Do not invalidate contracts.

Clause 13. The Engineer-in-charge shall have power to make any alteration in, or additions to, the original specifications, drawings, designs, and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work and the contractor shall be bound to carry out the work in accordance with any instructions which may be given to him in writing signed by the Engineer-in-charge, and such alteration shall not invalidate the contract; and any additional work which the contractor may be directed to do in the manner above specified as part of the work shall be carried out by the contractor

Extension of time in consequence of alterations.

on the same conditions in all respects on which he agreed to do the main work, and at the same rates as are specified in the tender for the main work. The time for the completion of the work shall be exended in the proportion that the Engineer-in-charge shall be conclusive as to such proportion and if the additional work includes any class of work, for which no rate is provided in this contract, then such class of work shall be carried out at the rates entered in the schedule of rates of the Govt. and if such last mentioned class of work is not entered in the schedule of rates of the Govt. then the contractor shall, within seven days of the date of this receipt of the order to carry out the work, inform the Engineer-in-charge of the rate which it is his intention to charge for such class of work, and if the Engineer-in-charge does not agree to this rate, he shall, by notice

Rates for work not in estimate, or schedule of rates of the Govt.

in writing be at liberty to cancel his order to carry out such class of work, and arrange to carry it out in such manner as he may consider advisable; provided always that if the contractor shall commence work or incur any expenditure in regard thereto before the rates shall have been determined as lastly hereinbefore mentioned, then in such case, he shall be entitled to be paid in respect of the work carried out or expenditure incurred by him prior to the date of the determination of the rate as aforesaid according to such rate or rates as shall be fixed by the Engineer-in-charge. In the event of a dispute, the decision of the Chief Engineer will be final.

Clause 14. If any time after commencement of the work, the

No compensation for alteration in or restriction of work to be carried out.

Rajasthan Government shall for any reason whatsoever not require the whole thereof as specified in the tender to be carridd out, the Engineer-in-charge shall give notice in writing of the fact to the contractor who shall have no claim to any payment or compensation whatsoever on account of any profit or advantage, which he might have derived from execution of the work in full, but which he did not derive in consequence of the full amount of the work not having been carried out; neither shall he have any claim for oompensation by reason of any alterations having been made in the original specifications, drawings, and instructions which shall involve any curtailment of the work as originally contemplated.

Clause 15. If it shall appear to the Engineer-in-charge or his subordinates in-charge of the work that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskilful workmanship or with materials of any inferior description, or that any materials or articles provided by

Action and compensation payable in case of bad work.

for the execution of the work are unsound or of a quality inferior or that contracted for, or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing from the Engineer-in-charge specifying the work materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been inadvertently passed, certified and paid for forthwith rectify or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require, or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper aed suitable materials or articles at his own proper charge and cost, and in the event of his failing to do so within a period to be specified by the Engineer-in-charge in his demand aforesaid then the contractor shall be liable to pay compensation at the rate of one percent on the amount of the estimate for every day not exceeding ten days, while his failure to do so shall continue, and in the case of any such failure, the Engineer-in-charge may rectify or remove, and re-execute the work, or remeve and replace with others, the materials or articles complained of, as they may be, at the risk and expense in all respects of the contractor.

Works to be open to inspection.

Contractor or responsible Agent to be present.

Clause 16. All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract shall at any time be open to the inspection and supervision of the Engineer-in-charge and his subordinates, and the contractor shall at all times buring the usual working hours, and all other times at which reasonable notice of the intention of the Engineer-in-charge or his subordinate to visit the works shall have been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instruction, or have a responsible agent duly accredited in writing present for that purpose.. Orders given to the conaractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the centractor himself.

Notice to be given before work is covered up

Clause 17. The contractor shall give not less than five days' notice in writing to the Engineer-in-charge or his subordinate-in-charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of th emeasurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up or place beyond the reach of measurement any work without the consent in writing of the Engineer-in-charge or his subordinate-in-charge of the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach or measurement without such notice having been given or consent obtained

the same shall be uncovered at the contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Contractor liable for damage done and for imperfections for three months after certificate.

Clause 18. If the contractor, or his work people, or servants shall break, deface, injure or destroy any part of a building in which they may be working or any building, road, fence, enclosure, or grase land or cultivated ground continuous to the premises on which the work or any part of it is being executed, or if any damage shall heppen to the work while in progress, from any cause whatever or imperfections become apparent in it within three months after a certificate, final or other, of its completion shall have been given by the Engineer-in-charge as aforesaid the contractor shall make the same good at his own expense, or in default, the Engineer-in-charge may cause the same to make good by other workmen and deduct the expense (of which the certificate of the Engineer-in-charge shall be final) from any sums that may be then, or at any time thereafter, may become due to the contractor or from his security deposit, or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof.

contractor to supply plant, ladders, scaffoldings etc.

Clause 19. The contractor shall supply at his own cost all materials (except such special materilas, if any, may in accordance with the contract be as supplied from the Engineer in-charge's)plant, tools appliances, implements, ladders, cordage, tackle, scaffolding, and temporary works requisite for the proper execution of the work whether original, altered or substituted, and whether included in the specification or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied or which he is entitled to require together with carriage therfor to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials necessary for the purpose of setting out works and counting, weighing, and assisting in the measurament or examination at any time and from time to time of the work or meterials. Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer-in-charge at the expense of the contractor and the expenses may be deducted from any money due to the contractor under the contract, or from his security deposit or the proceeds of

sale thereof, or of a sufficient portion thereof. The contractor shall also provide all necessary fencing and lights required to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedins, at law, that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precaution, and to pay any damages and costs which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such person or which may with the consent of the contractor be paid to compromise any claim by any such person.

And is liable for damages arising from non-provision of light, fencing etc.

Clause 20. The controctor shall not set fire to any standing jungle, trees, brushwood or grass without a written permit from the Engineer-in-charge.

Measure for prevention of fire.

When such permit is given and also in all cases when destroying, cut or dug up treess, brushwood, grass, etc. by fire, the contractor shall take necessary measures to prevent such fire spreading to or otherwise damaging surrounding property.

Any damage caused by the spreading of such fire, whether in or beyond the limits of the Govt. property, shall be made good by the contractor within a period specified by the Engineer-in-charge or in dafault the amount of the damage may be made good by the Engineer-in-charge the expense being recovered from the contractor as damages in the manner prescribed in clause 1, or deducted by the Chief Engineer or other duly authorized Engineer, from any sums that may be due or become due from the Govt. to the contractor under this contract or otherwise.

The contrector shall bear the expenses of defending any action or law proceedings that may be brought by any person for injury sustained owing to negiect of pecautions to prevent the spread of fire and shall pay any damages and cost that may be awarded in consequence.

Clause 21. The contract shallnot be assigned or sublet without the written approval of the Chief Engineer or other dnly authorized Engineer. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt so to do or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors, or attempt so to do, or if any bribe. gratuiy, gift, loan, requisite reward or advantage, pecuniary or otherwise,

Work not to be sublet.

shsll either ditectly or indirectly be given, promised or offered by the contractor, or any of his servants or agents to any public officer er person in the employ of the Govt. in any way relating to his office or employment, or if any such officer or person shall beceome in any way directly or indirectly interested in the contract, the Chief Engineer or other duly authorised Engineer may thereupon by notice in writing rescind the contract and the security deposit of the contractor shall thereupon stand forfeited and be absolutely at the disposal of the Govt. and the same consequences shall ensue as if the contract had been rescinded under Clause 3 hereof and in addition the contractor shall not be entitled to rccover or be paid for any work theretofore actually performed under the cantract.

Contract may be rescinded and security deposit forfeited for sub-letting, bribing or if contractor becomes insolvent.

Clause 22. All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of the Govt. without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

Sum payable by way of compensation to be considered as reasonable compensation without reference to actual loss.

Clause 23. In the case of a tender by partners any charge in the constitution of the firm shall be forthwith notified by the contractor to the Engineer-in-charge for nis information.

Changes in constitution of firm.

Clause 24. All works to be executed under the contract shall be executed under the direction and sudject to the approval in all respects of the Chief Engineer for the time being who shall be entitled to direet at what points and in what manner they are to be commenced, and from time to time carried on.

Works to be under direction of Chief. Engineer.

Clause 25. Except where otherwise specified in the contract, the decision of the Chief Engineer for the time being shall be final, conclusive and binding on all parties to the contract upon all questions relating to the meaning of the spec. ifications, designs drawings and instructions hereinbefore mentioned and as to the quality of workmanship or material used on the work or as to any other question, claim, right, matter, or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contractor, designs, drawings. specifications. esimates instructions, orders or these conditions or otherwise

Decision of Chief Engineer to be final.

concerning the works, or the execution or failure to execute the same, whether arising, during the progress of the work, or after the completion or abandonment thereof, or the contract by the contractor shall be final. conclusive and binding on the contractor,

Clause 26. Stores of European or American manufacture to be obtained from the Govt. The contaractor shall obtain from the stores of the Engineer-in-charge all stores and articles of European or American manufacture, which may be required for a work or any part thereof or in making up articles required therefor or in connection-therewith, unless he has obtained permission in writing from the Engineer-in-charge to obtain such stores and articles elswhere. The value ef such stores and articles as may be supplied to the contractor by the Engineer-in-charge will be debited to the contractor in his account at the rates shown in the schedule attached to the contract, and if they are not entered in the schedule they will be debited at cost price which for the purposes of this contract shall include the cost of carriage all other expenses whatsover which shall have been incurred in obtaining delivery of the same at the stores aforesaid.

Clause 27. Lump sums in estimates. When the estimate on which a tender is made includes lumpsums in respect of parts of the work, the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of works involved or the part of the work in question at the same rates as are payable under this contract for such items, or if the part of the work in question is not in the opinion of the Engineer-in-charge, capable of measurement, the Engineer-in-charge may at his discretion pay the lump sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Engineer-in-charge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the pravisons of this clause.

Clause 28. Action where no specification. In the case of any class of work for which there is no specification such work shall be carried out in accordance with the Government specifications, shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-charge.

Clause 29. Definition of work. The expression "works" or "work" where used in these conditions shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction be constructed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed, whether temporary or permanent and whether original, altered, substituted or additional.

Clause 30 A. All quarry fees, royalties, octroi dues and other similar charges shall be paid by the contractor, except where otherwise specially mentioned.

Clause 30 B. The cost of all water connections, necessary for the execution of the work—and the cost of water consumed and hire of meters shall be paid by the contractor.

Clause 31. The contractor shall be responsible for, and shall pay any compensation to his workmen payable for injuries under the Workmen's Compensation Act, 1923 (VIII of 1923) hereinafter called the said Act. If such compensation is paid by the Govt. as principal under sub-section (1), section 12 of the Act, on behalf of the contractor, it shall be recoverable by the Govt. from the contractor under sub-section (2) of the said section. Such compensation shall be recovered in the manner laid down in Clause 1 of the conditions of contractor in Contract Form C.

Clause 32. If the Engineer-in-charge shall, at any time, and for any reasons whatever, think that any portion of the work should not be executed or should be withdrawn from the contractor he may, by notice in writing to that effect, require the contractor not to execute the portion of the work specified in the notice or may withdraw from the contractor the portion of the work so specified and the contractor shall not be entitled to any compensation by reason of such portion of the work having been withdrawn from him or not having been executed by him, and the value (i. e. cost attender rates) of the portion of work so omitted or withdrawn shall in cases where the contractor has for any reasons already received payment for it or in the cases of lump sum contracts be deducted from any sums then due or thereafter to become due under the contract or otherwise against or from the security deposit or the proceeds of sale thereof.

Clause 33. The contract includes clearance, levelling and dressing of site within a distance of 50 ft. of the building on all sides except where the building adjoins another building.

Clause 34. The contractor shall arrange to protect at his own cost in an adequate manner all cut stone work and other work requiring protection and to maintain such protection as long as work on the building is in progress. He shall remove and replace this protectionas required by the Engineer-in-charge from time to time. Any damage to the work so protected no matter how it may be caused, shall be made good by the contractor free of cost. All templates forms moulds centring false work and models which in the opinion of the Engineer-in-charge are necessary for the proper and workmanlike execution of the work, shall be provided by the contractor free of cost.

Schedule showtng (approximately) materials to be supplied from the Public works Stores. for work contracted to be executed and the rates at which they are to be charged for.

Particulars	Retes at which the material will be charged to the contractor	Place of delivery

Note:—The person or firm submitting the tender should see that the rates in above schedule are filled up by the Engineer-in-charge on the issue of the form prior to the submission of the tender.

(Signature of Contractor) *(Signature of Engineer)*

१५६३

परिशिष्ट २

(कृपया ता० प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.
FINANCE DEPARTMENT-A (Rules).
O R D E R.

No. F. 1 (182) A-Rules/56. Dated Jaipur, the 20th March, 1957.

Subject :—Relief to low-paid Government employees—grant of ad-hoc increase of Rs. 5/- in Dearness allowance.

In partial modification of Finance Dapartment Order No. F. 7 (1) R/51, dated January 11, 1951, regarding Unified rates of dearness allowance, the Governor has been pleassed to order that Government servants under his rule making power, whose emoluments (i. e., pay plus dearness allowance) do not exceed Rs. 100/- p. m., shall be allowed to draw an ad hoc increase of Rs. 5/- p. m. in their dearness allowance with effect from 1-4-57 as under :—

Pay	Rates of dearness allowance.
Less than Rs. 40/- p. m.	Rs. 20/- p. m.
Rs. 40/- and above, but less than Rs. 60/- p. m.	Rs. 25/- „
Rs. 60/- and above, but upto Rs. 70/- p. m.	Rs. 30/- „

Government servants in receipt of pay above Rs. 70/- p. m., shall be entitled to the ad hoc increase in their dearness allowance equal to the amount by which their pay plus dearness allowance falls short by Rs. 100/- p. m. The ad hoc increase will be admissible only to those employees whose present scale of dearness allowance is less than the scale of dearness allowance admissible to corresponding employess of the Central Government.

By Order,
G. S. PUROHIT.
Finance Secretary to Government.

No. F. 1 (182) A-Rules/56. Dated Jaipur, the 20th March, 1957.
Copy to :—

1. All Secretaries to Government.
2. All Private Secretaries to Ministers & Deputy Ministers.

3. All Sections of the Secretariat.
4. All Heads of Departments.
5. Accountant General, Raja-sthan, Jaipur (65 copies).
6. Supdt. Govt. Press, Jaipur, for publication in the next issue of Rajasthan Gazette in Part 1 (B).

Copy also to :—

1. Secretary, Rajasthan legislative Assembly.
2. Secretary, Rajasthan Publie Service Commission.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

(Dwarka Nath)
Assistant Secretary
to the Government of Rajasthan.

१८०१

परिशिष्ट ३

(कृपया तॉ० प्रश्न संख्या १०५ का उत्तर देखिये)

LIST OF MULTIPURPOSE SCHOOLS

S. N.	Name of Schools	Total No. of Students before conversion into Multipurpose
1.	M. P. H. School, Jodhpur	272
2.	M. P. H. School, Nagaur	454
3.	M. P. H. School, Barmer	313
4.	M. P. H. School, Sojat	285
5.	M. P. H. School, Nathdwara	564
6.	M. P. H. School, Shahpura	341
7.	M. P. H. School, Dungarpur	626
8.	M. P. H. School, Pratapgarh	514
9.	M. P. H. School, Kotah	510
10.	M. P. H. School, Baran	375
11.	M. P. H. School, Karauli	357
12.	M. P. H. School, Jaipur (Boys)	1214
13.	M. P. H. School, Jaipur (Girls)	830
14.	M. P. H. School, Jhunjhunu	553
15.	M. P. H. School, Alwar	623
16.	M. P. H. School, Bharatpur	619
17.	M. P. H. School, Dholpur	439
18.	M. P. H. School, Bikaner	1339
19.	M. P. H School, Sujangarh	550
20.	M. P. H. School, Ganganagar	628

LIST OF MULTIPURPOSE SCHOOLS		List of Higher Secondary Schools
1. Multipurpose Schools, Jodhpur.		1. High School, Phalodi.
2. ,, ,,	Nagaur.	2. H. S. Rajgarh (Churu)
3. ,, ,,	Barmer.	3. H. S. Rajgarh (Alwar)
4. -do-	Sojat.	4. H. S. Gangapur (Swai Madhopur)
5. -do-	Nathdwara.	5. H. S. Chittorgarh.
. -do-	Shahpura.	6. Middle School, Svratgarh
7. -do-	Dungarpur.	7. M. S. Kalu.
8. -do-	Pratapgarh.	8. M. S. Nokha.
9. -do-	Kotah.	9. Jamwa Ramgarh. M. S.
10. -do-	Baran.	10. Khandar M. S.
11. -do-	Karauli.	11. M. S. Gaurir.
12. -do-	Jaipur (Boys).	12. M. S. Lambaharisingh
13. -do-	Jaipur (Girls).	13. M. S. Pindwara.
14. -do-	Jhunjhunu.	14. M. S. Chottikhatu.
15. -do-	Alwar.	15. Baran. M. S. For Girls.
16. -do-	Bharatpur.	16. M. S. For Girls Bankora.
17. -do-	Dholpur.	17. Middle School, Gangapur.
18. -do-	Bikaner.	18. -do- Amet
19. -do-	Sujangarh.	19. -do- Roopnagar
20. -do-	Ganganagar.	20. -do- Pratapgarh. (For Girls)
		21. -do- Jaitaran.
		22. -do- Ajitgarh.
		23. -do- Bijawar Chohan
		24. -do- Bijaynagar
		25. -do- Bichan (Jaipur.)
		26. -do- Chippa Barod.

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

सूची 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या १६ सी. एम. का भाग (ख) ।

क्रम संख्या	मन्त्री का नाम	क्षेत्रों का नाम जिनका ओफिशियल दौरा जनवरी, फरवरी और मार्च, १६५७ में किया गया।	टी. ए. बिल की रकम । जनवरी, ५७	फरवरी, ५७	मार्च, ५७
१.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ।	दिल्ली, कांकरौली, आमेट, उदयपुर, भीलवाड़ा, नसीराबाद, जोधपुर, अजमेर, कुंवारिया, रींगस, रामगढ़, फतेहनगर, चित्तौड़, अलवर ।	२६०-६	—	१८०-६
२	श्री रामनिवास मिर्धा, यातायात मन्त्री ।	कांकरौली, जोधपुर, दिल्ली, हनुमानगढ़, नागोर, उदयपुर, झालावाड़, तिलवाड़ा ।	४७१-२	—	१८२-२
३.	श्री अमृतलाल यादव सहकारी मंत्री ।	दिल्ली ।	१८३-१४	—	१५६-८
४.	श्री भोगीलाल पंड्या, उद्योग मन्त्री ।	अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, आसपुर, पिड़वारा, दिल्ली ।	३१३-१३	—	३१२-४
५.	श्री बद्रीप्रसाद, स्वायत्त शासन मन्त्री ।	बीकानेर, अलवर, बंसोर, रामपुर, बहरोड, हमीदपुर, जिन्दोली, हरसौरा, चावल ।	१७६-१४	—	५०-०

६.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, वित्त मन्त्री।	बूंदी, भोगल, ठेकड़िया, आवरी, जल का नया, सीतापुर, लक्ष्मीपुर, दूदू, सींघरिया, दऊरा, सेवरा, दिल्ली, हिन्डोली, बारां, दसूली (कोटा)	८५८-०	—	२०२-
७.	श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री।	दिल्ली, माजपुरा, जोधपुर, टोडारायसिंह, सौडा (डिग्गी)	अभी तक टी. ए. बिल नहीं बनाया गया।		
८.	श्री रामकिशोर व्यास, गृहमन्त्री।	दिल्ली, अलवर, कोटपूतली, अजमेर, बैराठ।	८७-८	—	३७-८
९.	श्री रामचन्द्र चौधरी, मन्त्री, निर्माण विभाग।	हनुमानगढ़, पीर का माडिया, दिल्ली, बीकानेर, सांगडिया।	३८३-१०	—	—
१०.	श्री सम्पतराम, उप राजस्व मन्त्री।	अलवर, दिल्ली, किशनगढ़।	४१२-०	—	१३७-८
११.	श्री शाह अलीमुद्दीन अहमद उप स्वायत्त शासन मंत्री।	उदयपुर, अजमेर, फुलेरा, जोधपुर, दिल्ली।	१४८-१	—	६२-८
१२.	श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल, उप मंत्राणी शिक्षा।	दिल्ली।	१०६-८	—	—
१३.	श्री खेतसिंह उपमंत्री सहकारी।	दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, चौरडियाँ, बारां, नागौर, शेरगढ़, पोकरण।	३७३-८	११८-१२	१८४-१०

सूची 'ब'

अतारांकित प्रश्न संख्या १६—सी. एम. का भाग 'ग'

टी. ए. बिल की रकम जो सन् १६५६ में ली गई।

क. सं.	मंत्री का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
१.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री।	६४७।०।०	१२८६।५।०	१०२६।३।०	५४७।१०।०	४६१।२।०	६००।५।०	४७०।१०।०	१३११।५।०	....	४१७।४।०	....	५०८।१४।०
२.	श्री अमृतलाल यादव, मंत्री सहकारी	६०७।१०।०	१४५।२।०	४६४।१४।०	५०।०।०	१०८।१४।०	२८०।१४	४६०।१२	३८०।१२	३३६।१४	३५६।३	३२४।१०	३४६।८
३	श्री भोगीलाल पांड्या, उद्योग मंत्री	१२८४।४	१२६।१२	१५७।१	१७२।०	२४४।६	३६४।११	३८८।०	४४६।५	२८२।२	१७५।१	४५५।१३	५६१।१२
४.	श्री रामनिवास मिर्धा, यातायात मंत्री	१२४६।८	८६२।१०	६४४।८	८४२।६	....	८५३।१	५७४।७	६२।८	४६८।५	६२७।७	४३७।१२	२४४।८
५.	श्री बृजप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री	२२८।१४	१६३।०	३६२।५	....	११५।२	३१६।६	१८७।८	३६०।३	७११।१०	२४०।१०	२६८।३	२०४।७
६.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, वित्त मंत्री	३१४।८	१२१।०।४	४०५।७	४८१।६	५४६।११	....	५८७।१	....	५०८।०	५२३।२	८७१।०	१०८२।१०
७.	श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री	१६८।१२	२६०।०	१२।८	२७।८	६८।१२	१८७।८	२२५।६	१२३।१२	७५।०	१००।१२	३११।१२	६।४
८.	श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री	१६७।०	२०६।८	६०५।१४	८३।८	२६७।३	....	१७२।१४	५७४।८	६८।१२	१३७।८	८४२।०	१६५।०
६.	श्री रामचन्द्र चौधरी, मंत्री, निर्माण विभाग	....	....	५०२।४	३८८।१२	२२०।१२	३३६।६	२५२।१	१५०।०	१६८।७	३१३।०	३५५।५	१२।८
१०.	श्री सम्पतराम, उप राजस्व मंत्री	७५६।८	३४५।१०	१२५।०	२६७।४	३२१।८	४३५।८	१००।०	३६०।१२	३७।८	१४६।६	२३७।८	३३४।८
११.	श्री शाह अलीमुद्दीन अहमद, उप स्वायत्त शासन मंत्री	२६७।१	४०६।१२	४३४।१	७६।१	१४५।१२	१८६।६	६१।३	३८४।१५	१४६।२	३५०।४	१७७।१	३७।८
१२.	श्रीमती कमला बेनीवाल, उप शिक्षा मंत्राणी	१७१।८	...	....	१२६।१२	१०६।३	२४०।०	....	३१७।२	७१।६	३६७।७	....	....
१३.	श्री खेतसिंह, उप मन्त्री सहकारी	....	३०२।६	१२१।६	४७८।१०	१५०।०	४७५।१४	२०४।१३	३२१।७	२२१।६	२१२।१२	८८७।१२	४७२।३
१४.	श्री बृजमोहन लाल शर्मा, श्रम मंत्री	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	३६५।०	२३४।८
१५.	श्री रामकरण जोशी, स्वास्थ्य मंत्री	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	३०७।१२	२७१।८

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

Departmentwise list of cases of corruption registered in Udaipur Division since 1.1.1955 till 25.4.57

S. No.	Case No. & date.	Name of P. S. & district	Name of the accused	Details of the case	Punishment awarded Department	Punishment awarded (by Court	Disposal of the cases other than the conviction	Reasons for pendency, if any	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Police Department. 1955				
1	10-1-55	Gogunda (Udaipur)	Malum singh constable of P. S. Gogunda	Shri Bhanwar singh s/o Bhawani singh of Gogunda offered Rs. 30/- as bribe for favouring him in a case of Mar pit pending at P. S.	Grade increment stopped for one year	—	Final Report given.	—	Case was not found fit for challan due to retraction of the statements of Prosecution witnesses.
					Land Records. 1955				
2	11/d 16-1-55	Pratapgarh (Chittor)	Chauthmal Patwari of Tehsil Pratapgarh	Shri Modiram offered Rs. 10/- to Chauthmal Patwari to expedite his case of distribution of land.	—	Convicted to 1½ years R. I. and fined Rs. 50/- on 6-10-56	—	—	—
					1956				
3	26/ 10-6-56	Kheroda (Udaipur)	Kesrimal Patwari of Tehsil Kurabad	Shri Gangaram Rawat offered Rs. 20/- to the Patwari to get him the allotment of piece of land.	—	--	--	S.D.M. Ciwra Udaipur has not yet finalised the D. E. and accorded sanction for the prosecution of the accused.	--
4	20/ 2-10-56	Tidi (Udaipur)	Fatehlal Patwari of Tidi	Shri Bhura Mina offered Rs. 5/- for getting his application for 'Takavi' verified early.	--	--	--	-do-	--
					Agriculture Department. 1955				
5	12/ 17-1-55	Kotwali (Udaipur)	Rajbeharilal Saxena, Fisheries, Supervisor Udaipur.	Shri N. C. Kapur, Fisheries contractor offered Rs. 500/- (five hundred) for getting the period of his contract extended further.	Dismissed on D. E.	---	--	Pending for want of the sanction for the Prosectuion of the accused.	—
					Judicial. 1956				
6	50/ 1-3-55	Kotwali (Udaipur)	Shersingh Clerk of 3rd Magistrate. Udaipur.	Shri Bhureylal of Udaipur offered Rs. 20/- to Shersingh for getting the date of hearing of a case adjourned and to show his presence instead of absence on the date of hearing.	—	—	Final Report		The case on D.E. failed and the accused exonerated. No sanction for the prosecutiou was given.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1956. Judicial				
7	34/ 30-10-56	Nathadwara (Udaipur)	Sobhagsingh Reader, Munsif Magistrate, Nathdwara.	Shri Purushottam c/o Nathadwara offered Rs. 5/- to show him favour in the case pending in the Court with the accused.	—	—	Challan is to be put up in the Court. Sanction has been received.	—	The result of the D. E. held up till the case is decided by the Court.
					Forest-Department 1955.				
8	7/ 24-2-55	Kanore (Udaipur)	Motilal, Forester, Kanore.	Shri Kishanlal offered Rs. 12/- to the accused in connection with the case pending with him.	—	—	—	The D. E. was not held properly by the authorities concerned and hence Secy. A. C. Board has asked to hold it afresh.	—
					Panchayats. 1955				
9	27/ 24-7-55	Mandalgarh (Bhilwara)	Mathuradass peon, village Panchayat, Mandalgarh.	Shri Mathuradass peon got Rs. 6/- from Mathuradas Vaishnav to go to inspect a site of land. On investigation the case was found to be falling U/s. 420 IPC & hence the section was altered.	—	—	Challaned to the Court on 7-1-56.	—	—
					1956				
10	25/ 14-9-56	Dungla (Chittor)	Gulabchand Panchayat Clerk Dungla.	Shri Gokal Kalal offered Rs. 10/- as bribe for expediting his case in his favour early, which was pending since long in the Panchayat,	—	—	—	For want of the result of the D. E. & sanction for prosecution of the accused.	—
11	28/ 4-12-56	Bhinder (Udaipur)	Shankarlal Sarpanch of village Panod.	Inspector Gram Panchayat made enquiries on a complaint of corruption against Sarpanch. From his enquiry the allegations were proved and he sent papers to get the case registered to the Police.	—	—		-do-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Excise and Texation. 1956.				
12	4/ 1-2-56	G. R. P. S., Mavli Jn. (Udaipur)	Devilal, Inspector, Mavli (Excise Deptt.)	Shri Sheoram Jat of Bishanpura offered Rs. 50/- to the Inspector to show him favour in case of illicit liquor pending against him.	—	—	—	The Commissioner has exonerated the Inspector on D. E. The file of D. E. has been sent for. After its scrutiny the case will be finalised on merits.	—
					Revenue Department. 1956.				
13	2/ 14-2-56	Akola (Udaidur.)	1. Shri Ghasi Khan Sehna of Tehsil Bhupalsagar. 2. Mangilal, Inspector, Land Records.	Inspector, Land Records demanded Ra. 100/- from Shri Udai Ram Jat through Ghasi Khan Sehna to show favour to the complainant in his case pending in Tehsil. The Sehna took Rs. 100/- for payment to above noted officers and was arrested red handed.	Mangilal Inspector degraded	—	—	For want of the result of D. E. and sanction for prosecution of the accused.	—
14	28/ 24-4-56	Nimbaheda (Chittor)	Sobhagmal Tehsil Record-keeper Nimbahera.	One Gashiram reported to the Tehsildar Nimbahora that he paid Rs. 2/- to the Record-keeper for copying out the jndgement of the Court. Sobhagmal also admitted this fact. The Teesildar found it unauthorised transaction and requested the Police to register a case u/s. 161 I. P. C.	—	—	—	-do-	—
15	47/ 6-9-56	Pratapgarh (Chittor)	Basantilal Accountant, Tehsil Pratapgarh.	Shri Ram Rai Gatta, Gram Sewak Salarpura gave Rs. 10/- to Basantilal in bribe for getting his T. A. and D. A. bills passed early.	—	—	—	The D. E. has been held and the accused exonerated. The D. E. was not conducted properly and hence the Secy. A. C. Board has been requested to order a fresh D. E. On receipt of orders the case will be finalised on merits.	—

१८०६ ई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Municipality, 1956.					
16	29/ 15-9-56	Nathdwara (Udaipur)	1. Ambalal, Senitary Inspector 2. Faqir Mohd. Head Jamadar.	Shri Narsingh dass offered Rs. 35/- to fhe accused persons for not challaning the case under Excise Act against him. The amount was recovered from the pant of Ambalal, Inspector.	—	—	—	For want ot the D. E. and senction for the prosecution of the D. E.	—
				Private matters, 1955.					
17	48/	Mavli	Hira s/o. Chokha Dangi of Ghasa.	Shri Hira Dangi offered Rs. 10/- to P. S. I. Shri Bansilal of Mavli to get his favour in the prosecution of a case of abduction conducted by him in the Court against one of his relations. The S. I. got a case registered against Hira who offered the bribe u/s. 105A IPC.	—	—	—	The investigation is complete when a Special Judge will be appointed by the Government. The case will be put up in the Court as there are two Sessions Judges at Udaipur.	—

N. B. No case has so for taken place in Udaipur Division u/s. 161 and 165 A I. P. C. since 1-1-1957.

१८०७

परिशिष्ट ६.

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में सन् १९५१-५२ से १९५६-५७ तक निम्नलिखित बीज वितरण किये गये थे (मनों में)

वर्ष	गेहूं	जौ	आलू	बाजरा	मक्का	धान	ज्वार	चना
१९५१-५२	१८२७	–	१३८२	–	–	–	–	–
१९५२-५३	५३९८	–	८३९	४९	३३४१	–	–	–
१९५३-५४	२४८२७	–	–	९१	१७३९	८३७	–	–
१९५४-५५	५२७२३	२५८	३३६२	–	२३४	७५१	५२	–
१९५५-५६	१५०६२१	–	१९८४	–	–	–	–	२६२४
१९५६-५७	२१०३५६	६०५९	३५२९	–	–	–	–	२००६६

जिला जालौर और बाड़मेर में १९५१-५२ से १९५६-५७ तक निम्न बीज बांटे गये थे :

(जालौर)			(बाड़मेर)
१९५१-५२	गेहूं	–	गेहूं –
१९५२-५३	गेहूं	४०	" –
१९५३-५४	गेहूं	१८०	" –
१९५४-५५	गेहूं	१६९३	" १३२
१९५५-५६	गेहूं	८६७८	" १७९५
१९५६-५७	गेहूं	६२७५	" २-६९ बाजरा १५० मन

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण शुक्रवार, दिनांक १० मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१५३३	१३	६५ श्री लछमण हीरात	श्री लछमण हीरात
१५३४	१०	श्रीमती सतवतकौर	श्रीमती सतवन्तकौर
१५३७	२६	Minister infrom in	Minister inform in
१५४४	२२	is being p (aced .	is being placed
,,	३३	Conditions publieised	conditions publicised
,,	३५	on the Buond	on the Bund
१५४५	२	(श्री मी (भाई)	(श्री मीखाभाई)
१५४६	७	mattr is under	matter is under
,,	२७	Please peace	Please place
,,	३५	has aclually	has actually
१५४७	२५	say whethrr the buud	say whether the bund
१५४८	२१	has been but	has been put
१५५०	१४, १६ व २८	श्री नाथूराम मिर्ग्रा	श्री नाथूराम मिर्धा
१५५१	७ व १८	श्री नाथूराम मिर्ग्रा	श्री नाथूराम मिर्धा
१५५४	१८	for purchaaing	for purchasing
१५५६	१६–१७	the qunstion	this Question
१५५७	२४	ताने की कृपा	बताने की कृपा
१५८६	२०	(राजस्थान में वन	(क) राजस्थान में वन
१५८९	२४	सदस्य की नमावली)	सदस्यों की नामावली
१५९३	२७	श्री हरिभाऊ (वत्त मंत्री)	श्री हरिभाऊ (वितमन्त्री)
१५९४	१	फाइनेन्स विधेयके	राजस्थान फाइनेन्स विधेयक
,,	२१	(पूर्व मय से)	(पूर्व क्रम से)
१५९८	२५	ध्यान आकर्षित	ध्यान आकर्षित
१६१८	२९	the dedate today	the debate to-day
१६२६	२८	चोजें बीच में आती	चीजें बीच में आतीं
१६२७	३२	हम पब्लिक	हमें पब्लिक
१६२८	३	नसे-पत्ते की चीजें	नशे पत्ते की चीजें
,,	२३	जिन नसीली चीजों	जिन नशीली चीजों
१६३५	२०	की तरफ जरूर कदम	की तरफ जरूर कदम
१६३७	१५	एक डिनोन्सट्रेशन	एक डिमोन्सट्रेशन
१६३९	१५	advice the Government	advise the Government
१६४०	६	opening of the school	opening of the schools
१६४१	९	Bhim snb Division	Bhim sub-Division
१६४३	३	objeet of the Government	object of the Government

१	२	३	४
१६४४	१४	to very a large	to a very large
१६४७	३८-३९	by the Governmeut	by the Government
,,	४४	fo the people	of the people
१६४८	६	चन्द बातें ऐस है	चन्द बातें ऐसी हैं
,,	१०	कुछ कन्फज्यूड थिंकिंक	कुछ कन्फ्यूज्ड थिंकिंग
१६५१	३३-३४	आपनो तहसील लैवल व डिस्ट्रिक्ट	आपको तहसील लैवल व डिस्ट्रिक्ट लैवल
१६६९	३३	are some whee else	are somewhere else
,,	३४	handd are in our pockets	hands are in out pockets
१६८२	२६	पीटें मैं समझती हूँ	पीटें । मैं समझती हूँ
१७१४	२१	बनाये राजस्थान की	बनाई राजस्थान की
१७१७-१७१९ व	२		
१७२१		(श्री अनोपसिंह)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१७२३	२४	year' rveport	Year's report
१७३७	२५	दिया जवे ।	दिया जावे ।
१७३८	२५	श्री सतीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१७५६	३४	श्री श्रीमानिसह	श्री श्रीमानसिंह
१७८४	२ (मार्जिनल नोट)	Security depost	Security deposit
१७८८	१५	of all expenses	of all expense
१७९२	२३	times buring the	times during the
१७९३	७	or grase land\	or grass land
,,	२३	be as supplied	be supplied
१७९५	२५	nis information	his information
,,	२८	and sudject to	and subject to
,,	३०	entitled to direet	entitled to direct